



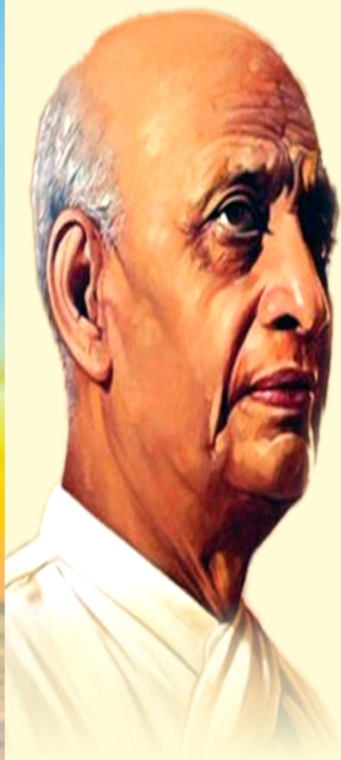
सतर्कता संदेश

SATARKTA SANDESH

अक्टूबर / October, 2025, अंक / Issue No. 27



‘सतर्कता : हमारी साझा जिम्मेदारी’



*Saluting the
Iron Man and the
Pioneer of National Integration*
Sardar Vallabhbhai Patel
on his birth anniversary.

31st Oct, 1875 - 15th Dec, 1950

“सतर्कता जागरूकता सप्ताह”
सरदार वल्लभभाई पटेल
के जन्मदिवस के अवसर पर
मनाया जाता है।



सतीश कुमार

SATISH KUMAR



अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
रेलवे बोर्ड
पदेन प्रमुख सचिव, भारत सरकार
रेल मंत्रालय

CHAIRMAN & CHIEF EXECUTIVE OFFICER,
RAILWAY BOARD
EX OFFICIO PRINCIPAL SECRETARY
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS

MESSAGE

As we observe Vigilance Awareness Week, let us reflect on this year's theme- "**Vigilance: Our Shared Responsibility**" a principle that must guide us every day as proud members of Indian Railways.

Indian Railways has been the lifeline of the nation for decades – connecting people, moving goods. Each of us should take pride in being part of this great organization that has contributed immensely to the country's development.

With pride comes a massive responsibility. Vigilance is an integral part of administration to assist in clean and efficient delivery of services. Vigilance is not the job of a few – it is a collective responsibility. It means being alert, honest, and committed to transparency in everything we do.

By upholding integrity, following procedures and reporting wrongdoings, we strengthen not only our systems but also win the trust of the people we serve.

Let us carry forward the legacy of Indian Railways with dedication and ethical conduct. Together, we can build a better, more accountable and stronger organization for Viksit Bharat.

I extend my best wishes for the grand success of this year's Vigilance Awareness.

(Satish Kumar)



छत्रसाल सिंह
महाप्रबंधक
Chhatrasal Singh
General Manager



सत्यमेव जयते

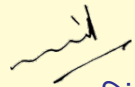
पूर्व मध्य रेल
East Central Railway
Hajipur, Vaishali (Bihar), Pin-844101
Phone : +91-06224-274728
Fax : 271513, 274738
E-mail : gm@ecr.railnet.gov.in



मुझे प्रसन्नता है कि पूर्व मध्य रेल का सतर्कता संगठन 27 अक्टूबर से 2 नवम्बर, 2025 तक मनाए जाने वाले सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर “सतर्कता संदेश” का 27वाँ अंक प्रकाशित कर रहा है। इस वर्ष का विषय है “सतर्कता : हमारी साझा जिम्मेदारी” जो हमारे आचरण के उच्चतम मानक को बनाए रखने की प्रतिबद्धता के प्रति हमारे सभी प्रयासों में गहराई से प्रतिध्वनित होता है।

संगठन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण आवश्यक है। भ्रष्ट आचरण हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं और विकास की प्रक्रिया को धीमा करते हैं। भ्रष्टाचार से यात्रियों और रेल उपयोगकर्ताओं का सिस्टम पर विश्वास भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है, तथापि, सभी रेलकर्मियों के सक्रिय सहयोग से भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने में सफलता प्राप्त की जा सकती है। हमें ऐसा वातावरण उपलब्ध कराना होगा जहाँ आम जनता को रेलवे की सेवाओं को स्पष्ट रूप से प्रदान करने की क्षमता पर पूरा भरोसा हो।

अधिकारियों और पर्यवेक्षकों को सलाह दी जाती है कि वे इस पुस्तिका को पढ़ें और दिन-प्रतिदिन के कार्यों में निर्णय लेते समय ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।


(छत्रसाल सिंह)



छत्रसाल सिंह
महाप्रबंधक
Chhatrasal Singh
General Manager



पूर्व मध्य रेल
East Central Railway
Hajipur, Vaishali (Bihar), Pin-844101
Phone : +91-06224-274728
Fax : 271513, 274738
E-mail : gm@ecr.railnet.gov.in



MESSAGE

I am glad that Vigilance Organization of East Central Railway is bringing out 27th issue of “**Satarkta Sandesh**” on the occasion of Vigilance Awareness Week starting from 27th October to 2nd November, 2025. This year's theme, “**Vigilance : Our Shared Responsibility**” resonates deeply with our commitment to uphold the highest standards of conduct in all our endeavors.

For all officers and staff in organization, there is a need to promote a corruption free environment. Corrupt practices damage our economy and slow down developmental process. Corruption also adversely affects passengers and rail user's confidence in the system. The break-through in rooting out corruption, however, can be achieved only with the active co-operation of all railwaymen. We have to provide an environment where the general public has full confidence in the railway's ability to deliver its services in a forthright manner.

Officers and supervisors are advised to go through this booklet and take necessary action to avoid recurrence of such cases while taking decisions in day to day work.

(Chhatrasal Singh)

डी. के. सिंह

प्रधान कार्यकारी निदेशक (सतर्कता)

D. K. Singh

Principal Exe. Director (Vigilance)



भारत सरकार

रेल मंत्रालय,

रेलवे बोर्ड, रेल भवन,

रायसीना रोड, नई दिल्ली-110001

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF RAILWAYS

RAILWAY BOARD, RAIL BHAVAN

NEW DELHI-110001



संदेश

सतर्कता जागरूकता सप्ताह सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा, नैतिकता और नैतिक आचरण के महत्व को उजागर करने और इन मूल्यों के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा चुनी गई इस वर्ष की थीम **‘सतर्कता : हमारी साझा जिम्मेदारी—Vigilance : Our Shared Responsibility’** एक पारदर्शी और जवाबदेह समाज के निर्माण में नागरिकों और संस्थानों की सामूहिक भूमिका पर जोर देती है।

सीवीसी के निर्देशों के अनुरूप, भारतीय रेलवे ने 18 अगस्त से 17 नवंबर, 2025 तक तीन महीने का अभियान शुरू किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य निवारक सतर्कता और व्यवस्थागत सुधारों पर केंद्रित है। हमारे प्रयासों का उद्देश्य न केवल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है, बल्कि प्रक्रियाओं को सरल बनाना और हर स्तर पर निष्पक्ष और न्यायसंगत निर्णय सुनिश्चित करना भी है, जो शासन में ईमानदारी और विश्वास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।

आइए, सतर्कता को एक साझा मूल्य बनाने के अपने संकल्प की पुनः पुष्टि करें। यह कदाचार की रिपोर्ट करके, नैतिक आचरण का पालन करके और अपने सभी कार्यों में पारदर्शिता को प्रोत्साहित करके प्राप्त किया जा सकता है। हम सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बना सकते हैं जहाँ ईमानदारी एक आदर्श हो, अपवाद नहीं।

मैं इस कार्य में योगदान देने वाले सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ तथा सभी को एक सार्थक एवं सफल सतर्कता जागरूकता सप्ताह की शुभकामनाएँ देता हूँ।

(डी. के. सिंह)

डी. के. सिंह

प्रधान कार्यकारी निदेशक (सतर्कता)

D. K. Singh

Principal Exe. Director (Vigilance)



सत्यमेव जयते

भारत सरकार

रेल मंत्रालय,

रेलवे बोर्ड, रेल भवन,

रायसीना रोड, नई दिल्ली-110001

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF RAILWAYS

RAILWAY BOARD, RAIL BHAVAN

NEW DELHI-110001



MESSAGE

Vigilance Awareness Week is observed annually to highlight the importance of integrity, ethics and moral conduct in public life, reaffirming our collective commitment to these values. This year's theme "सतर्कता : हमारी साझा जिम्मेदारी-*Vigilance : Our Shared Responsibility*", as chosen by the Central Vigilance Commission, emphasizes the collective role of citizens and institutions in building a transparent and accountable society.

In line with the CVC's directions, Indian Railways has launched a three-month long campaign from 18th August to 17th November, 2025 with centered focus on preventive vigilance and systemic improvements. Our efforts aim not only at curbing corruption but also simplify procedures, ensuring fair and just decisions at every level which is critical in promoting integrity and trust in governance.

Let us reaffirm our resolve to make vigilance a shared value. This can be achieved by reporting misconduct, adhering to ethical practices and encouraging transparency in all our actions. Together, we can foster an environment where integrity is the norm, not an exception.

I extend my sincere greetings to all who are contributing to this cause and wish everyone a meaningful and successful Vigilance Awareness Week.

(D. K. Singh)



पी. के. सिन्हा

वरिष्ठ उप महाप्रबंधक

P. K. Sinha

Sr. Dy. General Manager



सत्यमेव जयते

पूर्व मध्य रेल

हाजीपुर – 844101

East Central Railway

Hajipur- 844101

Phone : + 91-06224-272494 (O)

Fax : 06224-274133

E-mail : sdgm@ecr.railnet.gov.in



प्रस्तावना

सतर्कता संगठन, पूर्व मध्य रेल 27 अक्टूबर से 2 नवंबर, 2025 तक मनाए जाने वाले **सतर्कता जागरूकता सप्ताह** के अवसर पर **“सतर्कता संदेश”** का 27वाँ अंक प्रकाशित कर रहा है।

भ्रष्टाचार से निपटना एक जटिल और सतत् चुनौती है जिसके लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें सरकार, सभ्य समाज और व्यक्तियों की भागीदारी हो। जन जागरूकता अभियान, नैतिकता और ईमानदारी की संस्कृति को अपनाना, पारदर्शिता को बढ़ावा देना और तकनीक का उपयोग जैसे कुछ उपाय भ्रष्टाचार से निपटने में सहायक हैं।

मुझे विश्वास है कि इस **“सतर्कता संदेश”** में प्रस्तुत केस अध्ययन, प्रणाली-सुधार-पत्र और लेख रेलकर्मियों में सतर्कता चेतना को बढ़ावा देने में सहायक होंगे जिससे वे कुशलतापूर्वक और निर्भीकता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेंगे।

मुझे आशा है कि यह **“सतर्कता संदेश”** अधिकारियों और कर्मचारियों के दैनिक कामकाज में अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। सुधार हेतु आपके सुझावों का सदैव स्वागत है। अपने सुझाव कृपया अद्योहस्ताक्षरी को प्रेषित की जाए।

(पी. के. सिन्हा)



पी. के. सिन्हा
वरिष्ठ उप महाप्रबंधक
P. K. Sinha
Sr. Dy. General Manager



पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर – 844101
East Central Railway
Hajipur- 844101
Phone : + 91-06224-272494 (O)
Fax : 06224-274133
E-mail : sdgm@ecr.railnet.gov.in



FOREWORD

Vigilance Organization of East Central Railway is bringing out its 27th issue of “**Satarkta Sandesh**” on the occasion of **Vigilance Awareness Week**, starting from 27th October to 2nd November, 2025.

Combating corruption is a complex and ongoing challenge that requires a multifaceted approach involving government, civil society and individuals. Some of the tools to combat corruption like Public Awareness Campaigns, Promote a Culture of Ethics and Integrity, Promote Transparency and Use of technology.

I hope the case studies, system improvement letters and articles in this “**Satarkta Sandesh**” will help to promote vigilance consciousness among Railwaymen to enable them to discharge their duties efficiently and fearlessly.

I hope this “**Satarkta Sandesh**” shall be of immense help to the officers and Staff in their day to day working. Suggestions for improvement are always welcome and be sent to undersigned.

(P. K. Sinha)

सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा

मेरा विश्वास है कि हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है।

मेरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिल कर कार्य करने की आवश्यकता है।

मेरा मानना है कि प्रत्येक नागरिक को सतर्क होना चाहिए तथा उसे सदैव ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष में साथ देना चाहिए।

अतः, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि :-

- जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी तथा कानून के नियमों का पालन करूँगा;
- ना तो रिश्वत लूँगा और ना ही रिश्वत दूँगा;
- सभी कार्य ईमानदारी तथा पारदर्शी रीति से करूँगा;
- जनहित में कार्य करूँगा;
- अपने निजी आचरण में ईमानदारी दिखाकर उदाहरण प्रस्तुत करूँगा;
- भ्रष्टाचार की किसी भी घटना की रिपोर्ट उचित एजेंसी को दूँगा।



विषय सूची / INDEX

क्र.सं.	पृष्ठ सं.
1. सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी ✍ पी. के. सिन्हा, वरिष्ठ उप महाप्रबंधक	02
2. सतर्कता प्रशासन के अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य ✍ संजीव कुमार, प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक/वेला	06
3. सतर्कता: हमारी साझा जिम्मेदारी ✍ शम्भु कुमार, निजी सचिव II / भंडार	10
4. क्या करें और क्या न करें (Do's & Don'ts) यातायात — ✍ सुबोध कुमार, Dy. CVO/ Traffic कार्मिक — ✍ शिशिर कुमार, APO/RRC/ Patna	12 16
5. केस अध्ययन (Case Study) यातायात (Traffic) लेखा एवं कार्मिक (Accounts & Personnel) अभियंत्रण (Engineering) भंडार एवं चिकित्सा (Stores & Medical) विद्युत एवं एस. एण्ड टी. (Electrical and S&T)	20 30 34 38 44
6. प्रणाली सुधार पत्र (System Improvement Letters)	50
7. कविता ✍ जूही बाला कर्ण, लेखाकार/बजट/लेखा ✍ महादेव कुमार मंडल, मुसतानि/भंडार	111 112

सतर्कता - हमारी साझा जिम्मेदारी

✍ पी. के. सिन्हा, वरिष्ठ उप महाप्रबंधक/पूमरे

सतर्कता एक साझा जिम्मेदारी है, यह केवल पदासीन सतर्कता अधिकारियों की गतिविधि नहीं है बल्कि यह संगठन में काम करने वाले सभी प्रमुखों और अधिकारियों का कर्तव्य है। किसी संगठन या समाज को ईमानदारी से काम करने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को नैतिक मानकों को बनाए रखने, कदाचार को रोकने और गलत काम की रिपोर्ट करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।

यह सामूहिक दृष्टिकोण निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण हो जाता है:-

व्यापक दृष्टिकोण : एक अकेला सतर्कता विभाग हर हस्तानांतरण या निर्णय की निगरानी नहीं कर सकता है। सभी कर्मचारी, अधिकारी और नागरिक सतर्कता के प्रहरी हैं, जो उन्हें प्रथम-स्तरीय महत्वपूर्ण समस्याओं का खोजी/अन्वेषक बनाते हैं।

नैतिक कार्य संस्कृति : जब किसी संगठन का प्रत्येक सदस्य ईमानदारी और पारदर्शिता का अभ्यास करना शुरू कर देता है, तो यह एक नैतिक और नीतिपरक संस्कृति का निर्माण करता है जो भ्रष्ट या अनैतिक व्यवहार को अपवाद बनाता है न कि प्रतिमान।

प्रणालीगत सुधार : प्रक्रियाओं को सरल बनाना, खामियों को दूर करना और डिजिटल पहल को नवीन रूप देना—तब अधिक प्रभावी होते हैं जब हर कोई आदान-प्रदान करता है। यह दंडात्मक कार्रवाइयों से लेकर कदाचार को पूर्ण रूप से रोकने पर ध्यान केंद्रित करता है।

हितधारकों को सशक्त बनाना : जब नागरिक, कर्मचारी और अन्य हितधारक अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक होते हैं, तो वे उतने ही अधिक जवाबदेही की मांग करने और बिना किसी डर के समस्याओं की रिपोर्ट करने के लिए सशक्त होते हैं।

आउटपुट में वृद्धि : भ्रष्ट आचरण और अनैतिक व्यवहार में कमी से स्वतः कुशल परिणाम, तीव्र गति से गुणवत्ता वाले उत्पाद आएंगे और शिकायतों की संख्या में कमी आएगी।

Article

Vigilance - Our Shared Responsibility

 P. K. Sinha, SDGM/ECR

Vigilance is a shared responsibility, not an activity solely for designated vigilance officers but it is the duty of all executives and officials working in the organization. For an organization or society to function with integrity, every individual must take an active role in maintaining ethical standards, preventing misconduct, and reporting wrong doing. This collective approach becomes important due to following reasons:

Wider approach: A single vigilance department cannot monitor every transaction or decision. All employees, officials, and citizens are the eyes and ears on the ground, making them critical first-level detectors of problems.

Ethical working Culture: When every member of an organization starts practicing honesty and transparency, it creates a moral and ethical culture that makes corrupt or unethical behavior the exception and not the norm.

Systemic improvements : simplifying the procedures, closing the loopholes and innovating digital initiatives—are more effective when everyone provides input. It moves the focus from punitive actions to misconduct to preventing it altogether.

Empowering the stakeholders: When citizens, employees, and other stakeholders are aware of their rights and duties, they are empowered to demand more accountability and report issues without fear.

Increase in output: The reduction in corrupt practices and unethical behavior will automatically bring efficient results, quality products at fast pace and will reduce number of grievances.

किसी संगठन में विभिन्न घटकों की भूमिका : एक सरकारी अभिकरण के भीतर, साझा सतर्कता में एक बहु-आयामी दृष्टिकोण शामिल होता है।

प्रबंधन : जबकि एक सतर्कता अधिकारी सतर्कता मामलों में निरंतर सहायता प्रदान करता है, सत्यनिष्ठा की समग्र जिम्मेदारी मुख्य कार्यकारी और वरिष्ठ प्रबंधन की होती है। उन्हें ऐसा वातावरण बनाना होगा जो नैतिक व्यवहार को बढ़ावा दे और पारदर्शी प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करे। सभी प्रधान विभागाध्यक्षों/विभागाध्यक्षों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्हें समग्र संस्कृति और नैतिक प्रथाओं की निगरानी करनी होगी और समय पर उचित कार्रवाई करनी होगी।

कर्मचारी : प्रत्येक कर्मचारी से आचरण नियमों का पालन करने, कदाचार की रिपोर्ट करने और अनैतिक प्रथाओं में भाग न लेने के प्रति सतर्क रहने की अपेक्षा की जाती है। सतर्क कर्मचारी यह सुनिश्चित करते हैं कि दैनिक कार्य ईमानदारी से किया जाए।

सतर्कता विभाग : सतर्कता टीम की भूमिका अकेले कार्य करने के बजाय सत्यनिष्ठा की इस व्यापक संस्कृति को सुविधाजनक बनाना और समर्थन प्रदान करना है। वे विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर प्रणालीगत सुधार, क्षमता निर्माण और गंभीर कदाचार की जांच पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

समाज में सतर्कता साझा करना : बड़े पैमाने पर, साझा जिम्मेदारी संगठनों से परे व्यापक रूप से जनता तक फैल जाती है।

नागरिक : एक सतर्क नागरिक अपनी सरकार के कार्यों पर नजर रखता है और अपने नेताओं को पारदर्शी और नैतिक शासन के लिए जवाबदेह बनाता है। इसमें संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करना, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना और न्याय की वकालत करना शामिल है।

मीडिया और गैर सरकारी संगठन : वे बाहरी निगरानीकर्ता के रूप में कार्य करते हैं, संभावित भ्रष्टाचार पर जनता का ध्यान लाते हैं और प्रणालीगत सुधारों की वकालत करते हैं।

व्यवसाय : निजी क्षेत्र की भी नैतिक प्रथाओं का पालन करने की जिम्मेदारी है। आर्थिक सतर्कता का अर्थ है कि व्यवसायों को अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए भ्रष्टाचार का सहारा लिए बिना, पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए।

*

Role of different constituents in an organization :

Within a government agency, shared vigilance involves a multi-pronged approach.

Management: While a Vigilance Officer provides continuous support in vigilance matters, the overall responsibility for integrity lies with the Chief Executive and senior management. They must create an environment that promotes ethical behavior and ensures transparent processes. The role of all the Principal Heads of the department/Head of the departments becomes very important. They have to monitor the overall culture and moral practices and take appropriate timely actions.

Employees: Each employee is expected to be vigilant by adhering to conduct rules, reporting misconduct, and not participating in unethical practices. Vigilant employees ensure the day-to-day work is carried out with integrity.

Vigilance department: The vigilance team's role is to facilitate and support this wider culture of integrity, rather than act alone. They focus on systemic improvements, capacity building, and investigating serious misconduct based on information from various sources.

Shared vigilance in society : On a larger scale, shared responsibility extends beyond organizations to the public at large.

Citizens: A vigilant citizen monitors the actions of its government and holds its leaders accountable for transparent and ethical governance. This includes reporting suspicious activities, being aware of one's rights, and advocating for justice.

Media and NGOs: They serve as external watchdogs, bringing public attention to potential corruption and advocating for systemic reforms.

Businesses: The private sector also has a responsibility to adhere to ethical practices. Economic vigilance means businesses must operate transparently and fairly, without resorting to corruption to gain an unfair advantage.

✱

सतर्कता प्रशासन के अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य

 संजीव कुमार, प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक/बेला

एक लोकतांत्रिक देश में सतर्कता एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। जॉन फिलपोट करन (John Philpot Curran), जो एक आयरिश (Irish) वक्ता, राजनीतिज्ञ, वकील और न्यायाधीश थे, ने कहा था कि 'ईश्वर ने मनुष्य को जिस शर्त पर स्वतंत्रता दी है, वह है शाश्वत सतर्कता (eternal vigilance)'। अमेरिकी लेखक और उपन्यासकार पर्ल एस. बक (Pearl S- Buck) ने हमारे दैनिक जीवन में सतर्कता के महत्व को पुष्ट करते हुए कहा था कि 'जब किसी देश में अच्छे लोग अपनी सतर्कता और संघर्ष करना छोड़ देते हैं, तो बुरे लोग हावी हो जाते हैं।'

यही कारण है कि प्राचीन काल से ही सतर्कता को प्रशासन का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता रहा है। बेबीलोन में हम्मुराबी की संहिता (लगभग 1754 ईसा पूर्व), मिस्र में होरेमहेब का फरमान (लगभग 1300 ईसा पूर्व), और भारत में अर्थशास्त्र (दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व) भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों के सबसे पुराने लिखित प्रमाणों में से हैं। ये सभी ग्रंथ सरकारी अधिकारियों द्वारा रिश्वत लेने की निंदा करते हैं और इसे रोकने के लिए नाक काटने (राइनोटॉमी) और मृत्युदंड जैसी कठोर सजाएँ निर्धारित करते हैं।

आधुनिक युग के आगमन के साथ, शुरू में भ्रष्टाचार को एक राष्ट्रीय चिंता तक ही सीमित माना जाता था। कई देशों को दूसरे देशों के भ्रष्टाचार से लाभ भी हुआ। उदाहरण के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी बहुत भ्रष्ट थे और भारतीय शासकों के साथ अपने संघर्ष में भी भ्रष्ट आचरण में लिप्त थे। लेकिन ग्रेट ब्रिटेन को लाभ पहुंचाने के कारण ब्रिटिश सरकार ने उनके कुकृत्यों पर आँखें मूंद लीं।

इन दिनों भ्रष्टाचार पूरी दुनिया में फल-फूल रहा है। हमारी दिवंगत प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक बार इसे एक वैश्विक घटना (Global Phenomenon) बताया था। लेकिन भ्रष्टाचार से निपटने के प्रयास जारी हैं। यह लेख विभिन्न देशों में सतर्कता प्रशासन और भ्रष्टाचार के अभिशाप को समाप्त करने के प्रयासों का सर्वेक्षण करता है। इन प्रयासों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

राष्ट्रीय प्रयास

राजशाही शासन में, यह अपेक्षा की जाती थी कि आगंतुक, चाहे वे विदेशी ही क्यों न हों, राजा या उच्च अधिकारियों को कोई उपहार भेंट करें।

इसे भारत में नजराना कहा जाता था। आधुनिक लोकतंत्रों ने “नजराना संस्कृति” के खतरों को शीघ्रता से पहचान लिया। संयुक्त राज्य अमेरिका में, संविधान के अनुच्छेद 1, खंड 9 में विदेशी सरकारों और उनके प्रतिनिधियों से उपहार और अन्य अनुग्रह स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बाद, भ्रष्टाचार के विभिन्न पहलुओं से निपटने के लिए और भी कानून बनाए गए। इसी तरह के कानून अन्य पश्चिमी देशों में भी पारित किए गए।

भारत जैसे उपनिवेशों में, साम्राज्यवादी शक्तियों ने आम जनता के मुद्दों से निपटने वाले निचले स्तर के कर्मचारियों में छोटे-मोटे भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। इसका उद्देश्य ऐसे लोगों का एक वर्ग बनाना था जिनका औपनिवेशिक शासन को कायम रखने में निहित स्वार्थ था। आजादी के बाद, इन छोटे-मोटे भ्रष्ट अधिकारियों ने अपना जाल फैलाया है। इन देशों में भ्रष्टाचार बढ़ा है। कई वरिष्ठ राजनेता और अधिकारी भ्रष्ट गतिविधियों में लिप्त बताए जाते हैं। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए बनाए गए कानून बेअसर साबित हुए हैं।

चीन जैसे अन्य देशों ने भी मौत जैसी कठोर सजा देकर भ्रष्टाचार से निपटने की कोशिश की है। लेकिन वहाँ भी सफलता क्षणभंगुर ही लगती है। हर दिन ऐसी खबरें आती हैं कि मंत्रियों सहित उच्च अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई जा रही है। लेकिन इन कदमों से इन देशों में भ्रष्टाचार का खतरा खत्म होता नहीं दिख रहा है।

सिंगापुर जैसे देशों ने एक बेहतरीन संतुलन कायम किया है। इसके लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छा वेतन और सुविधाएँ, भ्रष्टाचार पर सख्त रुख और उचित लोक प्रशासन व्यवस्थाएँ जरूरी प्रतीत होती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय प्रयास

भ्रष्टाचार उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौतों, निगरानी तंत्रों और सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में वैश्विक पहलों का संयोजन शामिल है। ये रणनीतियाँ रोकथाम, कानून प्रवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और परिसंपत्तियों की वसूली पर जोर देती हैं।

प्रमुख सम्मेलन और कानूनी ढाँचे

भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCAC)— 2003 में अपनाया गया, UNCAC एकमात्र सार्वभौमिक, कानूनी रूप से बाध्यकारी भ्रष्टाचार-विरोधी साधन है। इसका ढाँचा राज्य पक्षों को निम्नलिखित कार्य करने के लिए बाध्य करता है—

- निवारक उपायों को लागू करना, जैसे कि स्वतंत्र भ्रष्टाचार-विरोधी निकायों की स्थापना करना।
- रिश्वतखोरी, गबन और धन शोधन सहित कई प्रकार के भ्रष्ट कृत्यों को अपराध घोषित करना।
- आपराधिक मामलों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रदान करना।
- संपत्ति की वसूली और चुराए गए धन की वापसी को सुगम बनाना।

भ्रष्टाचार विरोधी जन जागरूकता बढ़ाने के लिए 31 अक्टूबर 2003 को भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के पारित होने के बाद से प्रतिवर्ष 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है।

ओईसीडी (OECD) रिश्वत-विरोधी सम्मेलन:

1997 में अपनाया गया यह कान्वेन्शन, सदस्य देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लेनदेन में विदेशी सरकारी अधिकारियों की रिश्वतखोरी को अपराध घोषित करने के लिए बाध्य करके, भ्रष्टाचार के 'आपूर्ति पक्ष' पर केंद्रित है।

- यह अनुचित प्रतिस्पर्धा को रोककर कंपनियों के लिए समान अवसर प्रदान करता है।
- रिश्वतखोरी पर ओईसीडी कार्य समूह एक सहकर्म-समीक्षा तंत्र के माध्यम से कार्यान्वयन की निगरानी करता है।

क्षेत्रीय सम्मेलन:

अन्य क्षेत्रीय समझौते भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनमें भ्रष्टाचार के विरुद्ध अंतर-अमेरिकी सम्मेलन (OAS) और भ्रष्टाचार की रोकथाम एवं मुकाबला पर अफ्रीकी संघ सम्मेलन (AUC) शामिल हैं।

अंतर-सरकारी और बहु-हितधारक संगठन

विश्व बैंक समूह:

विश्व बैंक ने जवाबदेह संस्थाओं के निर्माण में सहायता करके ग्राहक देशों में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए काम किया है। यह भ्रष्टाचार के जोखिमों के लिए अपनी परियोजनाओं की जाँच करता है और धोखाधड़ी करने वाली फर्मों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक स्वतंत्र प्रतिबंध प्रणाली संचालित करता है।

संयुक्त राष्ट्र मादक द्रव्य एवं अपराध कार्यालय (UNODC) :

UNCAC के सचिवालय के रूप में, UNODC इसके कार्यान्वयन में सहायता करने में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। यह भ्रष्टाचार-विरोधी संसाधन भी विकसित करता है और अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार-विरोधी दिवस अभियान का आयोजन करता है।

चोरी हुई संपत्ति पुनर्प्राप्ति पहल (Stolen Asset Recovery Initiative Star) :

चोरी हुई संपत्ति पुनर्प्राप्ति पहल विश्व बैंक समूह और संयुक्त राष्ट्र मादक द्रव्य एवं अपराध कार्यालय (UNODC) के बीच एक साझेदारी है, जो भ्रष्टाचार के माध्यम से उत्पन्न धन के सुरक्षित ठिकानों को समाप्त करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन करती है।

G20 भ्रष्टाचार-विरोधी कार्य समूह (ACWG):

2010 में स्थापित, ACWG भ्रष्टाचार से निपटने में रणनीतियों को साझा करने और चुनौतियों का समाधान करने के लिए G20 सदस्य देशों को एक साथ लाता है।

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) :

यह अंतर-सरकारी निकाय धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है, जिनका उपयोग अक्सर भ्रष्टाचार की आय को छिपाने के लिए किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक अकादमी (IACA) :

ऑस्ट्रिया में स्थित IACA, पेशेवरों को भ्रष्टाचार-विरोधी शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करती है।

पारदर्शिता और नागरिक समाज पहल

खुली सरकारी भागीदारी (OGP) :

OGP एक बहुपक्षीय पहल है जहाँ सरकारें और नागरिक समाज संगठन पारदर्शिता को बढ़ावा देने, नागरिकों को सशक्त बनाने और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए मिलकर काम करते हैं। सदस्य विशिष्ट सुधारों के साथ कार्य योजनाएँ बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल (TI) :-

यह वैश्विक गैर-सरकारी संगठन वार्षिक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक प्रकाशित करता है और भ्रष्टाचार-विरोधी सुधारों की वकालत करने और सरकारी जवाबदेही की निगरानी के लिए नागरिक समाज के साथ काम करता है।

नागरिक समाज की भागीदारी :

वैश्विक प्रयास सरकारों को जवाबदेह बनाने, प्रक्रियाओं की निगरानी करने और जागरूकता बढ़ाने में नागरिक समाज संगठनों और नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका पर तेजी से जोर दे रहे हैं। इसमें व्हिसलब्लोअर (Whistle blower) को सुरक्षा प्रदान करना भी शामिल है।

चुनौतियाँ और निरंतर प्रयास:

उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद, भ्रष्टाचार से निपटने के वैश्विक प्रयासों के सामने अभी भी चुनौतियाँ हैं, जिनमें सुधारों का धीमा कार्यान्वयन, असमान प्रवर्तन और तकनीक द्वारा समर्थित भ्रष्टाचार की बदलती प्रकृति शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय पहलों को अवैध वित्तीय प्रवाह, आपातकालीन स्थितियों में रिश्वतखोरी और राजनीतिक वित्तपोषण के जोखिमों जैसे उभरते मुद्दों के अनुरूप निरंतर अनुकूलन करना होगा।

इन संस्थागत पहलों के अलावा, समाज के नैतिक ढाँचे में सुधार जरूरी है। अगर समाज भ्रष्ट लोगों को नीची नजर से देखेगा, तो भ्रष्टाचार पनप नहीं पाएगा। इसलिए, शैक्षिक पहल और नैतिक सुधार भी सतर्कता प्रशासन का हिस्सा होना चाहिए।

*

सतर्कता : हमारी साझा जिम्मेदारी

शम्भु कुमार, निजी सचिव II / भंडार

आपने कई जगह लिखा देखा होगा और कई लोगों को कहते भी सुना होगा कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। हम अपनी निजी जिन्दगी की चीजों में तो कई बार सतर्कता या पारदर्शिता को ध्यान में रखते हैं लेकिन जैसे ही बात देश या समाज की आती है तो यहाँ हम अलग तरह से बर्ताव करते नज़र आते हैं। फिर चाहे ऑफिस में कोई काम कर रहे हों या फिर कभी किसी से काम करवाना हो। छोटी-छोटी अनदेखी का असर आज यह हुआ है कि इंसान के जन्म लेने से लेकर उसके मरने तक में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है और इसका सबसे बड़ा कारण कहीं न कहीं कार्यों में पारदर्शिता का अभाव है और हम इसके इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं? आपने कभी सोचा है कि भारत इतने संसाधन सम्पन्न होने के बाद भी उस तेज़ी से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा जिस गति से उसे बढ़ना चाहिए था? क्या कारण है कि आज भी हम विकास की वो गति नहीं पकड़ पा रहे हैं जिसकी हमें जरूरत है? क्या कारण है कि आज भी किसी परियोजना को पूरा होने में दशकों लग जाते हैं? जिस पुल को कुछ लाख रुपए में बन जाना चाहिए वो करोड़ों खर्च करने पर भी तैयार नहीं हो पाते और अगर हो भी जाते हैं तो कुछ दिन के बाद ही ढह जाते हैं। सीएजी की रिपोर्ट में ऐसे वाक्यांश सामने आते हैं जिसमें संगठनों द्वारा सही प्रकार से राशि व्यय नहीं करने के मामले रिपोर्ट किए जाते हैं। भारत के विकास में जो भी योजनाएँ चलाई जा रही हैं क्या उनमें हमारा कुछ भी योगदान है या नहीं? अगर इस सवाल का जवाब ढूँढ़ेंगे तो पता चलेगा कि चाहे बेहतरीन सड़क बन रही हों, चाहे वर्ल्ड क्लास हवाई अड्डे बन रहे हों या गाँव या शहर में 24 घंटे बिजली, पीने के साफ पानी, विद्यालय आदि में हम सभी का भी योगदान है। इनमें हमारा भी पैसा लगा होता है। हम जो टैक्स अदा करते हैं चाहे डायरेक्ट टैक्स या जीएसटी जैसे टैक्स के रूप में हम जो टैक्स अदा करते हैं भारत के विकास में हमारे इसी टैक्स के पैसों से योजनाएँ चलती हैं। फिर जब हमारे सामने किसी योजना पर काम चल रहा होता है तो हम उस वक़्त क्या उस पर नज़र रखते हैं? नहीं ना। और जब उसमें कभी भ्रष्टाचार की बात निकल कर सामने आती है तो हम हल्ला मचाते हैं। जरा सोचिए क्या जब अपना घर बनवा रहे हैं तो क्या उस समय भी आपका रवैया वैसे ही होता है— तमाशा देखने की। नहीं ना, क्योंकि उसे आप अपना घर समझते हैं। फिर यह क्यों भूल जाते हैं यह देश भी तो अपना देश है अपना घर है। अगर आपके घर के पास सड़क बन रही है तो वो ठीक से बन रही है या नहीं इसे देखना हम अपना काम नहीं मानते। हम हर चीज़ के लिए भ्रष्टाचार को दोष तो देते हैं लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि यह इतना कैसे फैल गया? इसलिए हर नागरिक की यह साझा जिम्मेदारी है कि वह जगह हर योजना पर अपनी नज़र रखें और जहाँ

भी कुछ गलत होता दिखे उसकी शिकायत करें। अब भी समय है कि हम सतर्क रहें और हर छोटी-से-छोटी चीज को करने की प्रक्रिया में अपनी साझा जिम्मेदारी को समझें और उसका पालन करें। जैसे ही हम सतर्क होंगे और पारदर्शिता को अपनी आदत में डाल लेंगे और हर कार्य में अपनी साझा जिम्मेदारी को समझेंगे वैसे ही हम भ्रष्टाचार रुपी पेड़ को उगने से पहले उखाड़ फेंकेंगे। इसका फायदा यह होगा कि घोटाले, स्कैम आदि के कारण होने वाली पैसे की बर्बादी समाप्त हो जाएगी और हम समय पर अपने कार्य पूरे कर पाएँगे और पैसे की बर्बादी पर भी लगाम लगेगी और इस तरह से हमारा भारत समृद्ध बनता जाएगा और एक दिन विकसित भारत बन जाएगा।

अतः सबसे अपील है कि देश के लिए अपने मूलभूत कर्तव्यों को पहचानें व अपने परिवार में अच्छे सिद्धांतों को अपनाने के लिए जोर दें क्योंकि देश के प्रति भी हमारी साझा जिम्मेदारी है और हम अपने इसी जिम्मेदारी को समझते हुए प्रण लें कि :

1. न भ्रष्टाचार प्रणाली के घटक बनेंगे और न ही किसी को ऐसा करने देंगे।
2. कोई भी काम क्यों न हो उसमें पारदर्शिता बनाए रखेंगे।
3. एक सतर्क नागरिक के रूप में स्वयं या समुदाय/संगठन बनाकर गरीबों को जागरूक करेंगे जिससे वे भ्रष्टाचारियों के जाल में न फँस सकें।
4. विभाग से संबंधित किसी नियम, कार्यालय आदेश की जानकारी या सरकार के द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी विचौलियों, सोशल मीडिया अनजाने लिंक आदि से न लेकर सीधे सरकार या विभाग के वेबसाइट से लेंगे।
5. यदि आपके घर के आसपास यदि सड़क, नाले या बिजली आपूर्ति की व्यवस्था का काम चल रहा है तो इस बात पर ध्यान दें कि कार्य उच्च कोटि का हो रहा है या नहीं। और अगर आपको थोड़ी भी गड़बड़ी लगे तो आपको तुरंत इसकी शिकायत संबंधित विभाग के सतर्कता संगठन को करनी चाहिए। इसके लिए अब वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाईन शिकायत की भी सुविधा उपलब्ध है।
6. अगर आपके बच्चे पढ़ते हैं तो हमें यह जानकारी रखनी चाहिए कि सरकार की तरफ से उनको क्या सुविधाएँ दी जा रही हैं और क्या स्कूल वो सुविधा आपके बच्चे को दे रहा है या नहीं।
7. यदि हम ऑनलाईन ट्रांजेक्शन करते हैं या फिर किसी नई योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाईन आवेदन करते हैं तो पहले हमें यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि किसी थर्ड पार्टी पोर्टल से ये न करें जबतक कि वह उस कार्य के लिए सरकार द्वारा अधिकृत न हों। और इसका लाभ होगा कि उस योजना का फायदा आप तक सीधे पहुँचेगा और वो भी कम से कम समय में।

अंत में हमें यह समझना होगा कि हम हर समय सतर्क रहें क्योंकि यह सिर्फ सतर्कता विभाग की जिम्मेदारी नहीं है कि वे हमें सतर्क करते रहें बल्कि हमें इसे एक सामाजिक आंदोलन का रूप देना होगा जिसमें हम सभी की साझा जिम्मेदारी होगी कि हम सभी मिलकर इस जिम्मेदारी को समझें और प्रत्येक देश के नागरिक, प्रत्येक कर्मचारी को ईमानदारी, निष्पक्षता और जवाबदेही के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा।



क्या करें और क्या न करें

यातायात



सुबोध कुमार

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/यातायात

क्या करें:-

- ❖ जनता के साथ शिष्टाचार और अच्छा व्यवहार बनाये रखें।
- ❖ उच्च नैतिक मानदंड एवं ईमानदारी बनाये रखें।
- ❖ ड्यूटी आरंभ करने से पहले निजी धन की घोषणा अवश्य करें।
- ❖ पॉलिसी गार्डलाईन के तहत लीज में दिये गये वी.पी.यू एवं एस.एल.आर में लदान किये गये माल का वजन प्रस्थान स्टेशन पर हर पांचवे दिन सुनिश्चित करें।
- ❖ चल टिकट परीक्षक अपनी बीट के अनुसार ड्यूटी सुनिश्चित करें।
- ❖ चल टिकट परीक्षक अपने मूवमेन्ट रजिस्टर को अवश्य ही अद्यतन रखें।
- ❖ प्रत्येक मुद्रण पुस्तिका का प्रयोग करते समय दोनों तरफ कार्बन का प्रयोग अवश्य करें।
- ❖ समय से यू.टी.एस. एवं पी.आर.एस. सिस्टम में लॉग-इन सुनिश्चित करें।
- ❖ हमेशा लॉग-इन के लिए अपना लॉग-इन आई डी का इस्तेमाल करें।
- ❖ फार्म कॉम/डी-16 (संशोधित) में ही विलम्ब शुल्क एवं स्थान शुल्क रिटर्न भरा जाना सुनिश्चित करें।
- ❖ टर्मिनल प्रबंधन प्रणाली (टीएमएस) में डेटा की फीडिंग वास्तविक समय में सुनिश्चित करें।
- ❖ विलम्ब शुल्क और स्थान शुल्क की गणना टर्मिनल प्रबंधन प्रणाली (टीएमएस) के माध्यम से की जानी चाहिए।
- ❖ यदि कोई बिना बुक किया पार्सल स्टेशन पर प्राप्त होता है तो उसके लिए आई.आर.सी.एम. का वॉल्यूम-A का पारा-967 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- ❖ स्टेशन मास्टर/बुकिंग स्टॉफ तुरंत नॉन इश्यू टिकट पर हस्ताक्षर एवं तिथि के साथ रद्द करना सुनिश्चित करें।

Do's and Don'ts

TRAFFIC



Subodh Kumar

Dy. Chief Vigilance Officer/ Traffic

Do's.

- ❖ Maintain courtesy and good behaviour with the people.
- ❖ Maintain high ethical standard and honesty.
- ❖ Must declare private cash before commencement of duty.
- ❖ Weighment of leased SLR/VPU must be conducted at originating station on every 5th day as per policy guidelines.
- ❖ TTEs must travel/perform duty as per their beat.
- ❖ Must maintain TTEs movement dairy.
- ❖ Must use both side carbons on all money value book.
- ❖ Ensure timely log in UTS and PRS system.
- ❖ Always use your own log in ID for log in purpose.
- ❖ Demurrage and wharfage returns must be accounted for in Form Com./D-16 (Rev).
- ❖ Feeding of data in Terminal Management System (TMS) on real time basis.
- ❖ Calculation of Demurrage and wharfage should be done through Terminal Management System (TMS).
- ❖ If any un-booked parcel is received at a station, Para 967 of IRCM volume-1 must be followed.
- ❖ Non-issued ticket must immediately be cancelled and initialled and dated by the SM/ booking staff.

- ❖ आरक्षित कोच में टिकट जाँच करते समय उचित आईडी की माँग अवश्य करें।
- ❖ प्रत्येक महीना के अंत में ई.एफ.टी. रिटर्न अवश्य बनाये और यातायात लेखा कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें।
- ❖ अपने कार्य समाप्ति के उपरान्त प्राप्त सरकारी धन को सरकारी खजाने में जमा करें।
- ❖ प्रेषण बुकिंग से पहले प्रत्येक पैकेज का वजन सुनिश्चित करें।
- ❖ गंतव्य स्थान पर प्रेषण प्राप्त करने वाले या उसके प्रतिनिधि से डिलीवरी बुक में हस्ताक्षर लेना सुनिश्चित करें।
- ❖ सभी उतारे गये प्रेषणों की प्रवृष्टि को डिलीवरी पुस्तिका में अंकित करना सुनिश्चित करें।

क्या नहीं करें।

- ❖ रिश्वत न मांगे एवं न स्वीकार करें।
- ❖ नशे की हालत में ड्यूटी पर न आयें।
- ❖ स्टेशन परिसर में धूम्रपान न करें।
- ❖ लगातार डबल ड्यूटी न करें।
- ❖ बिना रात्रि ड्यूटी किये रात्रि भत्ता का दावा न करें।
- ❖ पेपर टिकट में किसी भी तरह का सुधार या छेड़-छाड़ न करें।
- ❖ स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंसी से प्रत्येक पाली में सरकारी धन जमा करवाना न भूले।
- ❖ बिना परिवर्तित किये सुविधा टिकट पर यात्रा की अनुमति न दें।
- ❖ किसी दूसरे के टिकट पर यात्रा करने की अनुमति न दें।
- ❖ ई.एफ.टी, बी.पी.टी. पर ओवर राइटिंग या परिवर्तन की मनाही है।
- ❖ ओवर कैरिड प्रेषण को लौटाते समय बिना बुक किये वापस न भेजें।
- ❖ निजी धन को रेलवे के दराज में न रखें।
- ❖ ड्यूटी आरंभ करने से पहले साइन-इन करना न भूलें।
- ❖ अवैध धन स्वीकार न करें।
- ❖ पर्यवेक्षक द्वारा किसी भी कर्मचारी को बिना निजी धन राशि की घोषणा के कार्य करने की अनुमति न दी जाए।



- ❖ While checking tickets in reserved coaches, proper ID must be demanded.
- ❖ EFT returns must be prepared after the end of the every month and submitted to the Traffic Accounts office.
- ❖ Collected Government cash must be deposited before leaving the duty place.
- ❖ Each package must be weighed before booking.
- ❖ Make sure to obtain the signature of the consignee or his representative in the delivery book at the destination.
- ❖ All packages unloaded must be entered in the unloading book.

Don'ts

- ❖ Do not solicit or accept gratuities.
- ❖ Do not come to duty in an intoxicated state.
- ❖ Do not Smoke on station premises.
- ❖ Never perform double duty at a stretch.
- ❖ Must not claim false night duty allowance.
- ❖ Corrections in paper ticket are prohibited.
- ❖ Must not forget to collect Govt. cash from STBA in every shift.
- ❖ Must not allow travelling on un-exchanged privilege ticket order.
- ❖ Do not allow journey on transfer of ticket.
- ❖ Overwriting or alteration on EFT or BPT is prohibited.
- ❖ Return over carried Parcel packages in unbooked condition.
- ❖ Do not Keep the personal cash in Railway cash drawer.
- ❖ Do not Forget to sign on before starting duty.
- ❖ Do not accept illegal gratification.
- ❖ Do not allow to perform duty until personal cash has been declared by staff under your control.

*

क्या करें और क्या न करें

कार्मिक



शिशिर कुमार

सहायक कार्मिक अधिकारी / आरआरसी / पटना

क्या करें:-

- यह सुनिश्चित करें कि चयन पदों के लिए चयन से पहले रिक्तियों की संख्या का आकलन किया जाए और अंतिम रूप से अनुमोदित करा लिया जाए।
- यह सुनिश्चित करें कि अलर्ट नोटिस जारी करते समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगनजनों के उम्मीदवारों के लिए रिक्तियों का स्पष्ट उल्लेख किया गया हो।
- सुनिश्चित करें कि चयन समिति के सभी सदस्यों ने चयन कार्यवाही के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किए हैं।
- सुनिश्चित करें कि विभागीय लिखित परीक्षा में राजभाषा नियम/नीति पर प्रश्न कुल अंकों के 10% के लिए निर्धारित किए जाएं।
- ट्यूशन फीस/छात्रावास सब्सिडी का दावा करते समय कर्मचारियों की पास घोषणा की जाँच करें और बच्चों का विवरण सुनिश्चित करें।
- छात्रावास सब्सिडी के दावे पर कार्रवाई करते समय संस्थान और निवास के बीच की दूरी सुनिश्चित करें।
- यह सुनिश्चित करें कि सेवा अभिलेख में कर्मचारी ने अपनी जन्मतिथि स्वयं के हस्तलेख में हस्ताक्षर सहित घोषित की हो।
- यह सुनिश्चित करें कि जब कर्मचारी पर आरएस (डी एंड ए) नियम, 1968 के तहत कोई दण्ड दिया जाता है तो सेवा रजिस्टर में लाल स्याही से उचित प्रविष्टियाँ की जानी चाहिए।
- यह सुनिश्चित करना कि कर्मचारियों के विरुद्ध दिये गए दण्ड का क्रियान्वयन प्रभावी रूप से हो।
- सुनिश्चित करें कि पीएफ/निपटान के लिए दिया गया नामांकन तथा पास/पीटीओ/चिकित्सा सुविधाओं के लिए दी गई पारिवारिक घोषणा की जाँच की जाए।
- यह सुनिश्चित करें कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी, आरोप पत्र जारी करने के समय तथा दण्ड देने के समय, अनुसूची के अनुसार कार्य कर रहा हो।
- एक सशक्त अल्फा-न्यूमेरिक आइपास पासवर्ड द्वारा आइपास आइडी को सुरक्षित करें।
- आइपास पासवर्ड नियमित रूप से बदलते रहें।

Do's and Don'ts

PERSONNEL

 **Shishir Kumar**
APO/RRC/ Patna

Do's:

- Ensure that the number of vacancies is assessed and finally approved before a selection is held for selection posts.
- Ensure that the vacancies meant for SC/ST & PwBD candidates are clearly indicated while issuing the alert notice.
- Ensure that all the members of the Selection Committee have signed in each page of the selection proceedings.
- Ensure that the Questions on Official Language Rules/ Policy are set for 10% of the total marks in departmental written examination.
- Check the Pass declaration of the employees and ensure the details of wards while claiming the tuition fee/hostel subsidy.
- Ensure that the distance between the institution and residence while processing the claim of Hostel subsidy.
- Ensure that the employee declared his date of birth in his own handwriting with signature in his SR without fail.
- Ensure that proper entries made in red ink in the Service Register when any penalty is imposed on the employee under the RS(D&A)Rules, 1968.
- Ensure that the implementation of penalty imposed against the employees as and when the same is given effect to.
- Ensure that the nomination given for PF/Settlement and cross check with the family declaration given for Pass/ PTO/Medical facilities.
- Ensure that the Disciplinary Authority is as per the schedule, both at the time of issue of charge sheet as well as at the time of imposing penalty.
- Protect IPAS ID with a strong Alpha-Numeric password.
- Change the IPAS password regularly.

- यदि यह डर हो कि आईपास पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देख लिया गया है, तो उसे तत्काल बदला जाना चाहिए।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि आईपास यूजर आईडी और पासवर्ड का अनधिकृत उपयोग नहीं हुआ है, लॉगिन हिस्ट्री देखें।
- आईपास में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी (पिन) के माध्यम से प्रमाणन के दूसरे स्तर का भी प्रावधान है। सुरक्षा बढ़ाने की दृष्टि से आपके आईडी में इसे भी इनेबल किया जाना चाहिए।

क्या न करें:-

- ❖ यदि किसी अधिकारी का नाम एग्रीड सूची/सीक्रेट सूची में है तो उसे चयन बोर्ड/समितियों में नामित न करें।
- ❖ किसी भी चयन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों और दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण नियमों को लागू करना न भूलें।
- ❖ चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों, विशेषकर लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा और परिणाम के प्रकाशन के बीच विलंब न होने दें।
- ❖ समापक भुगतान करने के लिए सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के सेवा रजिस्टर और अवकाश खाता को अद्यतन करना न भूलें।
- ❖ पदोन्नति, त्यागपत्र, तकनीकी त्यागपत्र, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और सामान्य सेवानिवृत्ति के संबंध में आदेश जारी करने से पहले डीएआर/सतर्कता मंजूरी प्राप्त करना न भूलें।
- ❖ नियुक्ति के समय अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्रों की वास्तविकता सुनिश्चित करना न भूलें।
- ❖ वेतन बिल तैयार करते समय बुनियादी दस्तावेजों जैसे उपस्थिति रजिस्टर, अवकाश विवरण, टीए जर्नल आदि की जाँच करना न भूलें।
- ❖ अग्रिम राशि प्राप्त करने से पहले आवश्यक दस्तावेज जैसे पर्सनल कंप्यूटर, एचबीए आदि जमा करना न भूलें।
- ❖ बिना किसी वैध दस्तावेज और सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के कर्मचारियों के बैंक खाते में परिवर्तन न करें।
- ❖ अपने आईपास आईडी के पासवर्ड की किसी को भी जानकारी नहीं दें।
- ❖ अपने आईपास आईडी से किसी सार्वजनिक स्थल जैसे साइबर कैफे आदि से डेटा एक्सेस न करें।
- ❖ किसी ऐसे स्थान पर अपने आईपास आईडी का पासवर्ड लिखकर न रखें, जहाँ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसे देखा जा सकता हो।
- ❖ आईपास आईडी ओपन करते समय “सेव पासवर्ड” विकल्प को सलेक्ट न करें, ताकि इसके दुरुपयोग से बचा जा सके।

- In case it is feared that IPAS password is seen by any other person, it should be changed immediately.
- See login history to ensure that there is no unauthorized use of IPAS User ID and Password.
- IPAS has provision of second level of authentication through OTP (PIN) on registered mobile no. It should also be enabled in your ID for enhanced safety.

Dont's

- ❖ Do not nominate an officer in the Selection Board/ Committees, if his name is borne on the Agreed List/ Secret List.
- ❖ Do not forget to implement the Reservation rules for SC/ST & PwBD in any selection.
- ❖ Do not allow delays between various stages of the selection process, particularly between Written Test and Viva Voce and publication of Result.
- ❖ Do not forget to update the Service Register and Leave charts of the employees due to retire, for claiming settlement dues.
- ❖ Do not forget to obtain DAR/Vigilance Clearance before issue of order regarding promotion, resignation, technical resignation, voluntary retirement and normal retirement.
- ❖ Do not forget to ensure the genuineness of the certificates submitted by the candidates at the time of their appointment.
- ❖ Do not forget to check the basic documents viz., attendance register, leave statement, TA journals, etc., while preparing Salary bills.
- ❖ Do not forget to ensure the submission of necessary documents required, before passing the Advances viz., Personal Computer, HBA etc.
- ❖ Do not change the bank account of the employees without any valid documents and approval of competent authority.
- ❖ Do not share password of your IPAS ID with anyone who so ever.
- ❖ Do not use public place like cyber café to access data from your IPAS ID.
- ❖ Do not write down password of IPAS ID at a place which can be accessed by others.
- ❖ Do not select the “save password” option while opening IPAS ID, to avoid its misuse.

केस अध्ययन

यातायात

अमर कुमार, मुसतानि/यातायात	कुमार हिमांशु, मुसतानि/यातायात
मनोज कुमार, मुसतानि/यातायात	राकेश कुमार, मुसतानि/यातायात
कुमार निरज, मुसतानि/यातायात	प्रवीण कुमार, मुसतानि/यातायात
भारत भूषण, मुसतानि/यातायात	अजीत कुमार, मुसतानि/यातायात

1. बुकिंग कार्यालय में अनियमितताएं:-

- I. स्रोत सूचना के आधार पर पूर्व मध्य रेल के सतर्कता दल द्वारा बुकिंग काउंटर पर एक डिकॉय चेक (छद्म जाँच) की गई। जाँच के दौरान यह पाया गया कि ड्यूटी पर तैनात बुकिंग क्लर्क ने एसएमवीबी के लिए द्वितीय श्रेणी मेल/एक्सप्रेस/सुपरफास्ट की 04 (चार) टिकटों के लिए वास्तविक किराया रु. 2300/- के विरुद्ध रु. 2360/- की मांग की और स्वीकार भी कर लिया, यानी रु. 60/- अधिक लिया जो कि व्यक्तिगत लाभ के लिए था। यह डिकॉय नकद राशि उसके काउंटर से बरामद हुई। आगे की जाँच में उसके कुल सरकारी नकद में रु.1255/- अतिरिक्त भी पाए गए।
- II. पूर्व मध्य रेल के सतर्कता दल द्वारा एक विशेष स्टेशन पर विभिन्न यूटीएस काउंटरों पर एक निवारक जाँच की गई। इस दौरान सरकारी नकद एवं निजी नकद की जाँच की गई। जाँच के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई:-
 - ड्यूटी पर तैनात एक बुकिंग क्लर्क का आईटीसी के अनुसार सरकारी नकद रु. 2,03,865/- था, जबकि उसने वास्तव में रु. 2,05,300/- प्रस्तुत किया, यानी रु. 1,435/- की अतिरिक्त राशि पाई गई।
 - ड्यूटी पर तैनात एक अन्य बुकिंग क्लर्क ने रु. 1,49,695/- के आईटीसी नकद के विरुद्ध रु. 1,52,100/- का सरकारी नकद प्रस्तुत किया, यानी रु. 2,405/- की अतिरिक्त राशि पाई गई।
 - वहीं, तीसरे काउंटर पर तैनात बुकिंग क्लर्क ने आईटीसी नकद रु. 1,36,755/- के विरुद्ध रु. 1,36,310/- का सरकारी नकद प्रस्तुत किया, यानी रु. 445/- की कमी पाई गई। इसके अतिरिक्त, उसने अपनी निजी नकद राशि रु. 705/- घोषित की थी, परंतु

Case Study

TRAFFIC

Amar Kumar, CVI/T/ECR

Manoj Kumar, CVI/T

Kumar Niraj, CVI/T

Bharat Bhushan, CVI/T

Kumar Himanshu, CVI/T

Rakesh Kumar Jha, CVI/T

Praveen Kumar, CVI/T

Ajit Kumar, CVI/T

1. Irregularities in Booking Office:-

- i A decoy check was conducted by the vigilance team of ECR at Booking counter on source information. During the check, it was detected that the on duty Booking Clerk demanded & accepted Rs.2360/- for 04 (four) tickets of 2nd class Mail/ Express/Superfast ticket of SMVB against the actual fare of Rs. 2300/-. Thus he demanded & accepted an excess amount of Rs. 60/- for his personal gain. The decoy cash was recovered from his counter. During further check, a sum of Rs.1255/- was also found excess in his overall govt. cash.
- ii A preventive check was conducted by the Vigilance team of ECR on different UTS counters at a particular Station. The govt. cash as well as private cash were checked. During the check following irregularities were detected:
 - One on-duty Booking Clerk's Government cash as per ITC was Rs. 2,03,865/-, whereas the actual Government cash produced by him was Rs. 2,05,300/-, i.e., an excess of Rs.1,435/- was found.
 - Another on-duty Booking Clerk produced Government cash of Rs.1,52,100/- against ITC cash of Rs.1,49,695/-, i.e., an excess of Rs.2,405/- was found.
 - The Booking Clerk at the third counter produced Government cash of Rs.1,36,310/- against the ITC cash of Rs. 1,36,755/-, i.e., a shortage of Rs.445/- was detected. Further, he produced Rs. 5,850/- as his private cash against

जाँच के दौरान रु. 5,850/- की निजी नकद राशि प्रस्तुत की, यानी रु. 5,145/- की अतिरिक्त निजी नकद राशि पाई गई। पहले दो मामलों में, ड्यूटी पर तैनात बुकिंग क्लर्क ने यात्रियों से वसूली गई अतिरिक्त राशि को काउंटर के नीचे स्लैब में छुपा दिया था, ताकि यह दिखाया जा सके कि यात्रियों से कोई अतिरिक्त वसूली नहीं की गई है। तीसरे मामले में, बुकिंग क्लर्क ने अतिरिक्त निजी नकद को अपने बैग के नीचे बने एक पॉकेट में छुपा रखा था।

III पूर्व मध्य रेल के सतर्कता दल द्वारा बुकिंग कार्यालय पर एक निवारक जाँच की गई, जिसमें ड्यूटी पर तैनात बुकिंग क्लर्क का सरकारी नकद एवं निजी नकद की जाँच की गई। ड्यूटी पर तैनात बुकिंग क्लर्क ने अपने सरकारी नकद के रूप में रु. 2,52,970/- प्रस्तुत किया, जबकि आईटीसी नकद रु. 2,52,560/- था, अर्थात् रु. 410/- की अतिरिक्त राशि सरकारी नकद में पाई गई। उसने अपनी घोषित निजी नकद राशि 200/- के विरुद्ध रु. 1,600/- प्रस्तुत किया, अर्थात् रु. 1,400/- की अतिरिक्त निजी नकद राशि पाई गई।

उपरोक्त पाई गई अनियमितताओं के लिए सभी संबंधित बुकिंग क्लर्कों के विरुद्ध अनुशासन एवं अपील नियम के तहत दीर्घ दंड शास्ति की अनुशंसा की गई।

2. ट्रेन में अनियमितताएं:-

I. स्रोत सूचना के आधार पर पूर्व मध्य रेल के सतर्कता दल द्वारा एक ट्रेन में निवारक जाँच की गई। जाँच के दौरान ड्यूटी पर तैनात टिकट चेकिंग स्टाफ का सरकारी नकद एवं निजी नकद की जाँच की गई। जाँच में यह पाया गया कि एक टीटीई द्वारा अपने ईएफटी में रु. 1050/- घोषित किया गया था। हालांकि, जब उससे उसका निजी नकद प्रस्तुत करने को कहा गया तो उसने रु. 8260/- प्रस्तुत किया, अर्थात् रु. 7210/- की अतिरिक्त अघोषित निजी नकद राशि पाई गई। उसी ट्रेन के एक अन्य टीटीई के मामले में रु. 1900/- की अतिरिक्त अघोषित निजी नकद राशि पाई गई। इसके अतिरिक्त, पैट्रीकार की बर्थ के नीचे रु. 26,300/- की बिना दावे की नकद राशि भी पाई गई, जिसे टिकट चेकिंग स्टाफ द्वारा उपयोग में लाया जा रहा था। उपरोक्त सभी नकद राशियाँ ईएफटी के माध्यम से जमा कराई गईं। आगे जाँच के दौरान 06 अनधिकृत यात्रियों को भी नियमित किया गया।

the declared private cash of Rs. 705/-, thereby producing an excess of Rs. 5,145/- in private cash.

In the first two cases, the on-duty Booking Clerks had concealed the excess amount under the counter slab in an attempt to show that no excess realization had been made from the passengers. In the third case, the Booking Clerk had hidden the excess personal cash in a pocket located at the bottom of his bag.

III. A preventive check conducted by the vigilance team of ECR at booking office where govt. cash as well as personal cash of on duty booking clerk was checked. On duty booking clerk produced Rs. 2,52,970/- as his govt. cash against the ITC cash of Rs. 2,52,560/- i.e a sum of Rs. 410/- excess detected in Govt. Cash. He produced Rs. 1,600/- against his declared private cash of Rs. 200/-. Thus, he produced Rs. 1,400/- excess in private cash.

For the irregularities detected above, all the Booking Clerks were taken up under major penalty DAR proceedings.

2. Irregularities in Train check:-

I. A preventive check was conducted by the Vigilance Team of E.C. Railway on the basis of source information in a train. During the check, the Government cash as well as private cash of the on-duty Ticket Checking Staff were checked. It was found that one TTE had declared Rs.1,050/- in his EFT. However, upon being asked to produce his private cash, he produced Rs. 8,260/- as private cash, i.e. an excess amount of Rs. 7,210/-. In the case of another TTE of the same train, a sum of Rs. 1,900/- was detected as excess undeclared private cash. Apart from the above, an unclaimed cash amount of Rs. 26,300/- was found under the berth of the Pantry Car, which was being occupied by ticket checking staff. The above amounts were deposited through EFT. During the further course of the check, 06 unauthorized passengers were also regularized.

उपरोक्त अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए, तीन टिकट चेकिंग स्टाफ के विरुद्ध अनुशासन एवं अपील के तहत कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है।

II. प्राप्त स्रोत सूचना के आधार पर पूर्व मध्य रेल के सतर्कता टीम द्वारा एक ट्रेन में निवारक जाँच की गई।

- जाँच के दौरान पाँच (05) यात्री बिना वैध टिकट के पाये गये।
- इनमें से, दो यात्री रद्द किये गए बर्थ पर यात्री करते हुए, पाए गये।
- अन्य दो यात्री रिक्त बर्थ पर पाए गये।
- और शेष एक यात्री कोच के गलियारे में पाया गया।

आगे की जाँच में एक अनधिकृत यात्री ने लिखित बयान दिया कि उसने बर्थ उपलब्ध कराने के बदले में ड्यूटी पर तैनात कोच अटेंडेंट को ¹ 10,000/- ऑनलाइन भुगतान किया था। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में ड्यूटी पर तैनात टिकट जाँच कर्मचारियों को उनकी लापरवाही के लिए, उनके विरुद्ध अनुशासन एवं अपील के तहत कार्यवाही की गयी है। साथ ही कोच अटेंडेंट द्वारा प्राप्त अवैध धनराशि के संबंध में, अनुबंध समझौते के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की अनुशंसा की गई।

III. स्रोत सूचना के आधार पर पूर्व मध्य रेल के सतर्कता दल द्वारा एक ट्रेन में निवारक जाँच की गई। जाँच के दौरान यह पाया गया कि पैट्री कार मैनेजर ने प्रत्येक यात्री से रु. 1,500/- की अवैध राशि लेकर उन्हें पैट्री कार में अनधिकृत रूप से यात्रा करने की अनुमति दी थी। जाँच के दौरान कुल 39 अनधिकृत यात्री पैट्री कार मैनेजर की मिलीभगत से यात्रा करते हुए पाए गए। इनमें से 32 यात्रियों को एक्सेस फेयर टिकट (EFT) जारी कर नियमित किया गया, जिससे कुल रु. 1,41,435/- की राजस्व प्राप्ति हुई। शेष 07 यात्री, जो जुर्माना राशि का भुगतान नहीं कर सके, उन्हें आरपीएफ के हवाले कर दिया गया।

3. पी.आर.एस. जाँच के दौरान पायी गयी अनियमितताएं:-

पूर्व मध्य रेल के सतर्कता दल द्वारा एक प्रमुख स्टेशन के आरक्षण कार्यालय में निवारक जाँच की गई। यह जाँच तत्काल टिकट बुकिंग समय के दौरान लगभग 10:01 बजे की गई।

जाँच के दौरान यह देखा गया कि ड्यूटी पर तैनात आरक्षण क्लर्क के स्थान पर उसका पर्यवेक्षक काउंटर पर तत्काल समय में कार्य कर रहा था और उसने कुल 05 तत्काल एसी श्रेणी के टिकट जारी किए गये थे। इन 05 तत्काल टिकटों में से केवल 03 तत्काल टिकटों के दावेदार ही आरक्षण कार्यालय पहुँचे। निर्धारित किराया वसूलने के बाद, ड्यूटी पर तैनात

In view of the above irregularities, three Ticket Checking Staff have been taken up under DAR proceedings.

II. Based on source information, a preventive check was conducted by the Vigilance team of East Central Railway in a Train.

- During the check, five (05) irregular passengers were detected.
- Out of these five unauthorized passengers, two (02) were found occupying berths that had been cancelled.
- Another two (02) passengers were found occupying vacant berths.
- The remaining one (01) passenger was detected in the corridor of the coach.

Upon further investigation, one of the irregular passengers provided a written statement stating that he had paid Rs. 10,000/- online to an on-duty coach attendant in exchange for providing berths. Accordingly, on-duty checking staff was taken up under DAR proceedings for lapses on his part. For the illegal gratification received by the coach attendant, action as per the provisions of the contract agreement was recommended.

III. On the basis of source information, a preventive check was conducted by the vigilance team of ECR in a train. During the check, it was detected that the Pantry Car Manager had allowed unauthorized passengers to travel in the pantry car space by accepting an illegal gratification of Rs. 1,500/- from each passenger. A total of 39 unauthorized passengers were found travelling with the connivance of Pantry Car Manager. Out of these, 32 passengers were regularized through Excess Fare Ticket (EFT), resulting in realization of a amount in tune of Rs. 1,41,435/-. The remaining 07 passengers who failed to pay the penalty were handed over to the RPF.

3. **Lapses detected during PRS Check:-**

The Vigilance Team of East Central Railway, Hajipur, organized a preventive check at the Reservation Office of a major station. The check was conducted during Tatkal ticket booking hours at about 10:01 hrs.

During the check, it was noticed that instead of the on-duty Reservation Clerk, his supervisor was manning the PRS counter at TATKAL timing and issued a total of 05 Tatkal AC JCRT . Out of these 05 TATKAL JCRT claimant of only 03 TATKAL JCRT approached the PRS office , after collection of due fare JCRT were handed over to the claimant by on duty reservation clerk after recording their statements. Since no genuine claimant

आरक्षण क्लर्क द्वारा दावेदारों के बयान लेने के पश्चात् टिकट उन्हें सौंपे गए। बाकी 02 तत्काल टिकटों के लिए कोई वास्तविक दावेदार नहीं आया, अतः इन टिकटों को विशेष रद्दीकरण किया गया। इसके अतिरिक्त, आरक्षण पर्यवेक्षक, जो कि ड्यूटी क्लर्क के स्थान पर टिकट बुकिंग कर रहा था, उसके पास से 30,200/— की अघोषित नकद राशि बरामद हुई। इस गंभीर अनियमितता के मद्देनजर, आरक्षण पर्यवेक्षक के विरुद्ध दीर्घ दंड शास्ति की अनुशंसा की गई है।

4. इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन वेब्रिज पर जांच:-

रेलवे बोर्ड के परामर्श पर आण्विक गतिमान तुला चौकियों पर एक निवारक जाँच की गई। इस जाँच के दौरान एक कोयला रैक का पुनः वजन किया गया, जिसे पहले वजन बिंदु पर प्राप्तकर्ता द्वारा समायोजित दिखाया गया था। इस दौरान निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई:-

- पूर्व में समायोजित दिखाए गए 28 डिब्बों में अधिभार पाया गया।
- कुल 369.6 टन अधिभार का पता चला।
- इस खाते पर दंडात्मक मालभाड़ा के रूप में 36,15,776/— (रुपये छत्तीस लाख पंद्रह हजार सात सौ छिहत्तर मात्र) की वसूली की गई। उपरोक्त के अतिरिक्त, चालू वर्ष के दौरान कुल 23 लोड—समायोजित कोयला रैक का पुनः वजन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप रु. 4,12,20,653/— (रुपये चार करोड़ बारह लाख बीस हजार छह सौ तिरपन मात्र) की वसूली हुई। साथ ही, एक प्रणालीगत सुधार का सुझाव रेलवे बोर्ड, सतर्कता को दिया गया है, जो वर्तमान में रेलवे बोर्ड के ट्रैफिक एवं वाणिज्य (T&C) निदेशालय के विचाराधीन है।

5. ऑन डिमांड वी.पी. में अतिलदान:-

स्रोत सूचना के आधार पर पूर्व मध्य रेल के सतर्कता दल द्वारा एक गाड़ी में मांग पर दी गयी वी.पी. में क्षमता से अधिक लदान की अनलोडिंग स्टेशन पर निवारक जाँच की गई।

- जांच के दौरान ऑन—डिमांड वी.पी. के पैकेजों का पुनः वजन अनलोडिंग स्टेशन पर किया गया। वी.पी. में कुल 2573 पैकेज पाए गए जबकि मैनिफेस्ट में 2315 पैकेज अंकित थे। इनका वजन 27,016 कि.ग्रा. पाया गया जबकि मैनिफेस्ट में बुक वजन 23,810 कि.ग्रा. अंकित था। इस प्रकार 3,016 कि.ग्रा. अतिरिक्त वजन पाया गया, जबकि वी.पी. की

appeared for the remaining two tickets, these tickets were made special cancelled. Apart from that an undeclared amount of Rs. 30,200/- was found in the possession of Reservation Supervisor who was found manning the PRS counter in place of on duty reservation clerk .

DAR action of major penalty has been recommended against the supervisor.

4. **Check at Weighbridge:-**

On the advice of the Railway Board, a preventive check was conducted at the Electronic In-Motion Weighbridge. During this check, a coal rake was reweighed, which had earlier been adjusted by the consignee at the first weighment point. The following irregularities were observed:-

- Overloading was found in 28 wagons that had been shown as adjusted earlier.
- A total of 369.6 tonnes of overloading was detected.
- An amount of Rs. 36,15,776/- (Rupees Thirty-Six Lakh Fifteen Thousand Seven Hundred Seventy-Six only) was realized as punitive freight charges on this account.

In addition to the above, during the current year, a total of 23 load-adjusted coal rakes were reweighed, resulting in the realization of Rs.4,12,20,653/- (Rupees Four Crore Twelve Lakh Twenty Thousand Six Hundred Fifty-Three only). Further, one system improvement has been suggested to Railway Board Vigilance, which is presently under consideration with the Traffic & Commercial (T&C) Directorate of Railway Board.

5. **Overloading in on demand VP:-**

Based on the source information of excess loading in on demand VP of a train, a preventive check was conducted by the vigilance team of ECR at unloading station.

- During the check, package of on demand VP were weighed at unloading station. In VP, a total of 2573 packages were found against mentioned packages as 2315 and weight of the same were found 27016 kg against booked weight mentioned in Manifest as 23810 kg. thus, an excess weight of 3016 kg was detected as carrying capacity of the said VP

वहन क्षमता 24,000 कि.ग्रा. थी। इस अनियमितता पर रु.1,63,128 /— की राशि अवशुल्क के रूप में वसूल की गई।

- जाँच के दौरान ऑन-डिमांड वी.पी. के पैकेजों का पुनः वजन अनलोडिंग स्टेशन पर किया गया। वी.पी. में कुल 2108 पैकेज पाए गए जैसा की मैनिफेस्ट में अंकित था। इनका वजन 27740 कि.ग्रा. पाया गया जबकि मैनिफेस्टमें बुक वजन 23915 कि.ग्रा. अंकित था। इस प्रकार 3740 कि.ग्रा. अतिरिक्त वजन पाया गया, जबकि वी.पी. की वहन क्षमता 24,000 कि.ग्रा. थी। इस अनियमितता पर रु. 2,01,971 /— की राशि अवशुल्क के रूप में वसूल की गई।

6. लिज्ड एस.एल.आर. में अतिलदान:-

एक गाड़ी में पट्टे पर दी गयी कम्पार्टमेंट में अधिक लदान की स्रोत सूचना के आधार पर, एक ट्रेन के लीज एसएलआर में सतर्कता दल द्वारा एक निवारक जांच एक स्टेशन पर की गई।

- जांच के दौरान लीज एसएलआर में लदे पैकेजों का पुनः तोलन अनलोडिंग स्टेशन पर किया गया। एसएलआर में कुल 375 पैकेज पाए गए जबकि मैनिफेस्ट में 480 पैकेज दर्ज थे। इनका वास्तविक वजन 7544.9 किग्रा पाया गया, जबकि बुक किया गया वजन मैनिफेस्ट में 3880 किग्रा दर्शाया गया था। इस प्रकार 3644.9 किग्रा अतिरिक्त वजन पाया गया, जबकि लीज एसएलआर की वहन क्षमता 3900 किग्रा थी। परिणामस्वरूप, कम्पार्टमेंट में रु. 90,499 /— रुपये की राशि अधिभार के रूप में वसूल की गई।

7. गुड्स शेड में अनियमितताएं:-

स्रोत सूचना के आधार पर, सतर्कता दल द्वारा गुड्स शेड में एक निवारक जांच की गई। जांच के दौरान यह पाया गया कि खाद्यान्न की खेप से संबंधित 18 वैगन लाईन संख्या 05 से जुड़े व्हार्फ पर ढेर/अनलोड किए हुए पाए गए। पूछताछ करने पर यह ज्ञात हुआ कि उक्त रेक को जाँच के एक दिन पूर्व 21:20 बजे ही रिलीज कर दिया गया था। तथापि, टीएमएस डाटा की जाँच से यह तथ्य सामने आया कि ये 18 वैगन पहले ही हटा दिए गए दर्शाए गए थे, जबकि वे वास्तव में व्हार्फ पर मौजूद थे। बाद में, वास्तविक रूप से माल हटाने पर जाँच के दूसरे और तीसरे दिन रु. 1,82,850 /— की राशि व्हार्फज शुल्क के रूप में वसूल की गई।

कार्यरत मॉल लिपिक एवं सुपरवाइजर पर अनुशासन एवं अपील नियम के तहत दीर्घ दंड की कार्यवाही की अनुशंसा की गई।

*

was 24000 kg. An amount of Rs.1,63,128/- was raised and realized as undercharge.

- During the check, packages of on demand VP were weighed at unloading station. In VP, total 2108 packages were found as mentioned in Manifest and weight of the same were found 27740 kgs against booked weight mentioned in Manifest as 23915 Kgs. Thus, an excess weight of 3740 Kgs was detected as carrying capacity of the VP was 24000 Kgs. An amount of Rs.2,01,971/- was raised and realized as undercharge.

6. Overloading of leased SLR:-

Based on source information of excess loading of leased compartment of a train, a preventive check was conducted by the vigilance team of ECR at a station. During the check, package of leased SLR were reweighed at unloading station.

- In SLR, total 375 packages were found against mentioned packages of 480 and weight of the same were found 7544.9 Kg against booked weight mentioned in Manifest as 3880 kgs. Thus, an excess weight of 3644.9 Kgs was detected as carrying capacity of the lease SLR was 3900 kgs. An amount of Rs.90,499/- was raised realized as undercharge .

7. Irregularity in Goods Shed:-

Based on source information, a preventive check was conducted by the Vigilance Team of ECR at a Goods Shed. During the check, it was observed that 18 wagons of food grain consignment were stacked/unloaded on the wharf connected with Line No. 05. On inquiry, it was revealed that the rake had been released at 21.20 hrs. on the day prior to the check. However, scrutiny of the TMS data indicated that these 18 wagons had already been shown as removed, despite the consignment were found lying on the wharf. Subsequently, an amount of Rs.1,82,850/- was actually collected towards wharfage charges.

DAR proceeding of major penalty has been recommended against on duty goods clerk and supervisor for the lapses on their part.

✱

केस अध्ययन

लेखा एवं कार्मिक

1. अवकाश खाते से अवकाश की राशि डेबिट न करना :-

 श्री प्रभात कुमार, मुख्य सतर्कता निरीक्षक / लेखा

पूर्व मध्य रेल के एक मंडल के स्टेशन X पर स्टेशन उपस्थिति पंजिका में अनियमितताओं के संबंध में निवारक जाँच के दौरान, यह पाया गया कि एक कर्मचारी वर्ष 2024 के दौरान एक निश्चित अवधि के लिए बीमारी अवकाश पर था। रेलवे चिकित्सक द्वारा बीमारी प्रमाण पत्र और स्वस्थता प्रमाण पत्र जारी किया गया था। स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रदान करने के बाद, संबंधित पर्यवेक्षक ने कर्मचारी को अपनी ड्यूटी पर आने की अनुमति दी और उसे अपने सक्षम प्राधिकारी को अवकाश के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया। लेकिन उक्त कर्मचारी ने उसी अवकाश के लिए आवेदन नहीं किया और स्टेशन 'X' पर अपनी ड्यूटी पर वापस लौटा। इस प्रकार, सतर्कता कार्यालय द्वारा जाँच किए जाने तक उस अवधि के अवकाश की कटौती उसके अवकाश खाते से डेबिट नहीं की गई। रेलवे बोर्ड के आरबीई संख्या 94/2023 के अनुसार, "सभी अवकाश आवेदन केवल एचआरएमएस के अवकाश मॉड्यूल के माध्यम से संसाधित किए जाएँगे और 1 अगस्त, 2023 से अवकाश की मैनुअल प्रक्रिया बंद कर दी गई है। यह संभव है कि इस प्रकार की अनियमितताएँ किसी अन्य रेलवे इकाई में भी हो सकती हैं।

इस संबंध में, महाप्रबंधक (कार्मिक) को सुधार प्रणाली पत्र जारी करने के लिए निर्देशित किया गया है और संबंधित डीआरएम को आरोपी कर्मचारी के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई करने के लिए पत्र भेजा गया है।

2. शिशु शिक्षा भत्ता/छात्रावास सन्निधि के भुगतान में अनियमितताएं :-

 श्री जितेन्द्र कुमार, मुख्य सतर्कता निरीक्षक / कार्मिक

 श्री रितेश राज, मुख्य सतर्कता निरीक्षक / लेखा

पूर्व मध्य रेल के मंडलों/इकाइयों में Children Education Allowance/ Hostel Subsidy के भुगतान में अनियमितता के पहलू पर कुछ निवारक जाँच किया गया।

एक निवारक जाँच में पाया गया कि एक रेल कर्मचारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु अपने पुत्र के शिशु शिक्षण भत्ता हेतु दावा प्रस्तुत किया गया, कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किये गये Bonafied Certificate का संबंधित विद्यालय से सत्यापन कराने पर फर्जी पाया गया। यह भी देखा गया कि उसी कर्मचारी ने अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 में उसी पुत्र का भी गलत तरीके से Bonafied Certificate प्रस्तुत कर, भुगतान पाया है। यह भी देखा गया कि कर्मचारी का पुत्र विकलांग था, अतएव शिशु शिक्षण भत्ता के रूप में सामान्य दर के दुगुने दर से दो वर्षों में कुल रु. 108000/- का गलत भुगतान किया गया। उक्त

Case Study

Account & Personnel

1. Non-debiting of leave from leave account.

 **Sri Prabhat Kumar**, CVI/Account)

During investigation of a preventive check at X station of a Division of ECR on the aspect of irregularities in station attendance register, it was found that an employee was on sick leave for certain period during the year 2024. Sick memo and fit certificate were issued by Railway doctor. After providing fit memo, the concerned supervisor allowed the employee to join his/her duty and instructed him to apply leave to his/her competent authority. But the said employee did not apply the same leave and resume his duty at station 'X'. As such, deduction of leave for that period was not debited from his/her leave account until checking by the vigilance office. As per Railway Board's RBE No.94/2023 stipulates that *"all leave application shall be processed only through Leave Module of HRMS and manual processing of leave shall be discontinued w.e.f. 01st August, 2023.* It is possibility that this type of irregularities may be occurred in another Railway unit.

In this connection, it is advised to GM (P) for issuing SIL and a letter has been given to concerning DRM for taking an administrative action against accused employee.

2. Irregularities in payment of Children Education Allowance/ Hostel Subsidy.

 **Sri Jitendra Kumar**, CVI/Personnel

 **Sri Ritesh Raj**, CVI/Accounts

Some preventive checks were conducted on the aspect of irregularities in payment of Children Education Allowance/Hostel Subsidy in the divisions/Units of East Central Railway.

During one preventive check, it was found that a railway employee had submitted a claim for the children education allowance of his ward for the financial year 2021-22 where the Bonafide Certificate submitted by the employee was found fake when it was verified from the concerned school. It was also observed that the same employee had received payment for the same ward in the next financial year 2022-23 too on behalf of producing the fake Bonafide Certificate. It was also seen that the employee's ward was handicap, hence twice the rate of the normal amount i.e. a total of Rs 108000/- was wrongly paid in these two years towards children education allowance. In this case, it has been recommended to impose

मामले में दोषी कर्मचारी के विरुद्ध दीर्घ दण्ड के साथ-साथ गलत भुगतान किये गये रु. 1,08,000/- की कटौती किये जाने का अनुशंसा की गई है।

एक और निवारक जाँच में पाया गया कि एक रेल कर्मचारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु अपने पुत्र के Hostel Subsidy हेतु दावा प्रस्तुत किया, कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किये गये Hostel Subsidy हेतु जारी Bonafied Certificate का संबंधित विद्यालय से सत्यापन कराने पर फजी पाया गया। अतएव Hostel Subsidy के रूप में रु. 54,000/- का गलत भुगतान किया गया। उक्त मामले में दोषी कर्मचारी के विरुद्ध दीर्घ दण्ड के साथ-साथ गलत भुगतान किये गये रु. 54,000/- की कटौती किये जाने का अनुशंसा की गई है।

एक और निवारक जाँच में पाया गया कि एक रेल कर्मचारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में अपने दो पुत्रों का शिशु शिक्षण भत्ता का दावा प्रस्तुत किया गया जो दो अलग-अलग विद्यालयों का था। किन्तु कर्मचारी द्वारा केवल एक ही पुत्र के नाम से दो अलग-अलग विद्यालयों का Bonafied Certificate प्रस्तुत किया गया था। संबंधित इकाई द्वारा इसकी कोई जाँच किये बिना शिशु शिक्षण भत्ता का भुगतान किया गया था। जाँच के दौरान कर्मचारी एवं बिल क्लर्क द्वारा यह बताया गया कि कोविड अवधि होने के कारण उन्होंने पेपर बिना देखे शिशु शिक्षण भत्ता का भुगतान लिया/किया है। मामले में संबंधित दोषी कर्मचारियों पर प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ कोविड अवधि में पास किये गये सभी शिशु शिक्षण भत्ता के भुगतान की गहन जाँच का निर्देश दिया गया है।

3 पेंशन प्राप्तकर्ता बैंक द्वारा पेंशन/पारिवारिक पेंशन का अधिक भुगतान:-

 श्री नीतीश कुमार, मुख्य सतर्कता निरीक्षक/लेखा

पूर्व मध्य रेल के एक मंडल में, 80 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त कर चुके पेंशनभोगियों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान के संबंध में, प्रमुख क्षेत्र में निवारक जाँच के दौरान यह पाया गया कि पेंशन भुगतानकर्ता बैंक द्वारा 90 वर्ष की आयु के अनुसार पारिवारिक पेंशन और उस पर महंगाई राहत की राशि दी जा रही थी जबकि प्रपत्र-6 (पेंशन पत्रों का पारिवारिक विवरण) के अनुसार उस अवधि के दौरान पारिवारिक पेंशनभोगी की आयु 90 वर्ष नहीं हुई थी।

इस मामले में, संबंधित मंडल को मामले की समीक्षा करने और पेंशन भुगतानकर्ता बैंक को पारिवारिक पेंशन और महंगाई राहत की अतिरिक्त राशि अधिक भुगतान की वसूली करने का निर्देश देने के साथ-साथ संबंधित रेलवे इकाइयों और बैंकों द्वारा अन्य सभी मामलों की समीक्षा करने हेतु प्रशासनिक कार्रवाई हेतु एक पत्र जारी किया गया।

अन्य मामले में, यह भी देखा गया है कि कुछ पीपीओ में पारिवारिक पेंशनभोगी की जन्मतिथि और अन्य प्रासंगिक कॉलम का उल्लेख किए बिना ही पीपीओ जारी कर दिया गया था। वर्तमान मामले में, पीपीओ के प्रासंगिक कॉलम में पारिवारिक पेंशनभोगी का पूरा विवरण शामिल करने के लिए एक प्रणाली सुधार पत्र जारी किया गया है।

✱

a major penalty charge sheet against the railway employee along with recovery of Rs 108000/- wrongly paid towards CEA.

In one another preventive check, it was found that a railway employee had submitted a claim for Hostel Subsidy for his ward for the financial year 2020-21. The Bonafide Certificate issued for Hostel Subsidy submitted by the employee was found fake when it was verified from the concerned school. Hence, wrong payment of Rs. 54000/- was made as Hostel Subsidy. In this case, it has been recommended to impose a major penalty charge sheet against the railway employee along with recovery of Rs 54000/- wrongly paid towards Hostel Subsidy.

In another preventive check, it was found that a railway employee had submitted a claim for child education allowance for his two wards in the financial year 2020-21, which were issued from two different schools. But the employee had submitted Bonafide Certificate of two different schools in the name of only one ward. The concerned unit paid the children education allowance without checking these facts. During the investigation, the employee and the bill clerk stated that due to the Covid period, they did not check the documents of children education allowance during payment. In this case, administrative action is recommended against the guilty employees and instructions have also been given to deeply check the children education allowance payments passed during the Covid period.

3. Excess payment of pension/family pension by the pension payee bank.

 **Sri Nitish Kumar, CVI/A**

During investigation of a preventive check on thrust area, in one division of ECR on aspect of payment of pension/family pension to the pensioners who have attained the age of 80 years and above, it was found that additional quantum of Family Pension plus Dearness Relief thereon as per age 90 years was being given by the pension paying Bank whereas as per Form-6 (Family details of pension papers) family pensioner had not attained the age of 90 years during that period.

In the instant case, a letter is issued for administrative action to advice the concerned division to review the case and direct to pension paying bank to recover the excess payment of additional quantum of Family Pension plus Dearness Relief as well as to review all other cases by concerned railway units and by the banks also.

In other case, it is also seen that PPO had issued without reference of Date of Birth of family pensioner and other relevant column in some PPO. In the instant case, a system improvement letter issued to ensure incorporate the complete details of family pensioner in relevant columns of PPO.

✱

अभियंत्रण

1. निविदा में योग्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में अनियमितता:-
 त्रिपुरारी यादव, मुस्तानि/इंजी

यह निष्कर्ष एक शिकायत पर आधारित है जिसमें आरोप लगाया गया है कि निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत गलत प्रमाण-पत्रों के आधार पर ठेका दिया गया था।

निविदाकर्ता के प्रस्ताव पर निविदा समिति के सदस्यों द्वारा निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्र के आधार पर चर्चा की गई तथा अनुशंसा की गई तथा निविदा दस्तावेज का सत्यापन टी.सी. सदस्यों द्वारा नहीं किया गया।

गलत प्रमाण-पत्र के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी, तदनुसार, पूर्णता प्रमाण-पत्र के सत्यापन के लिए सतर्कता विभाग द्वारा पत्र लिखा गया।

योग्यता प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकारी से उत्तर प्राप्त करने के बाद, यह पाया गया कि निविदाकर्ता ने बहुत चालाकी से योग्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है और 10 विभिन्न अनुबंधों के कार्य को एक ही कार्य में संकलित किया है, ताकि निविदा की तकनीकी पात्रता मानदंडों को पूरा किया जा सके।

निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्र को संयोजक द्वारा सत्यापन के लिए नहीं भेजा गया क्योंकि प्रमाण-पत्र पर दिए गए विवरण एक ही प्रमाण-पत्र संख्या, एक कार्य शीर्षक, एक प्रारंभ तिथि, एक समापन तिथि और एक ही कार्य मूल्य के थे। निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्र तकनीकी पात्रता मानदंडों का समर्थन करता है और इससे यह आभास होता है कि यह प्रमाण-पत्र केवल एक ही कार्य के लिए है जो तकनीकी पात्रता मानदंडों को पूरा करता है। पत्र संख्या 2018/CE-I/CT/37/GCC/Policy दिनांक 12.05.2020 के अनुसार, निविदाकर्ता को प्रमाण-पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी जिसमें यह कहा गया हो कि निविदा बोली के साथ प्रस्तुत उनके सभी कथन/दस्तावेज सत्य और तथ्यात्मक हैं।

यह भी देखा गया है कि पूर्णता प्रमाण पत्र में 10 अलग-अलग अनुबंध शामिल हैं और किसी भी अनुबंध की लागत एक समान कार्य के मानदंड को पूरा नहीं करती है, जिनमें से प्रत्येक की लागत विज्ञापित मूल्य के 60% के बराबर राशि से कम नहीं है या दो समान कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत विज्ञापित मूल्य के 40% के बराबर राशि से कम नहीं है या यहां तक कि तीन समान कार्यों के न्यूनतम मानदंड को भी पूरा नहीं करती है, जिनमें से प्रत्येक की लागत विज्ञापित मूल्य के 30% के बराबर राशि से कम नहीं है।

Case Study

ENGINEERING

1. Irregularity in submission of credential in tender:-

 Tripurari Yadav, CVI/Engg

Finding is based on a complaint case alleged that contract was awarded on the **basis of false credentials** submitted by tenderer.

Offer of the tenderer was discussed and recommended by Tender Committee Member on the basis of credential submitted by tenderer and **no verification of tender document was done by TC members.**

A complaint regarding false credential was received, accordingly a letter has been written by vigilance for verification of the completion certificate.

After receiving reply from credential issuing officer, it has been observed that **tenderer has submitted the credential very cunningly and compile the work of 10 different agreements into a single work**, so that technical eligibility criteria of tender may be fulfill.

Credential submitted by tenderer was not send for verification by Convenor as the details given on certificate was of single certificate number, one work title, one start date, one completion date, and one value of work done, the certificate submitted by tenderer supporting the technical eligibility criteria gives an impression that this certificate is for only one work which qualifies the technical eligibility criteria. As per the letter no.2018/CE-I/CT/37/GCC/Policy dated 12.05.2020 the tenderer shall submit a copy of certificate stating that all their statement/documents submitted along with bid are true and factual.

It has also been observed that completion certificate consists of 10 different agreement and cost of none of the agreement has fulfill the criteria of one similar work each costing not less than the amount equal to 60% of advertised value or two similar works each costing not less than the amount equal to 40% of advertised value or even the minimum criteria of Three similar works each costing not less than the amount equal to 30% of advertised value.

अतः जिस आधार पर निविदा स्वीकार की गई है, वह तकनीकी पात्रता मानदंड (जीसीसी-2020 का खंड 10.1) को पूरा नहीं कर रही है।

चूंकि तकनीकी पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज के विरुद्ध गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने के संबंध में अनियमितता है, जिसके लिए निविदाकर्ता जिम्मेदार है।

जीसीसी 2020 के पैरा 11(vi)(b) के अनुसार, यदि अनुबंध प्रदान किए जाने के बाद निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत कोई भी जानकारी झूठी, जाली या गलत पाई जाती है, तो अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा। रेलवे के पास उपलब्ध बयाना राशि (ईएमडी), निष्पादन गारंटी और सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी। इसके अतिरिक्त, इस अनुबंध के अंतर्गत ठेकेदार की अन्य देय राशि, यदि कोई हो, जब्त कर ली जाएगी और एजेंसी पर पाँच वर्ष तक का व्यवसाय करने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।

उपरोक्त अनियमितताओं के लिए निविदाकर्ता को जिम्मेदार माना गया और जीसीसी 2020 पैरा 11(vi)(b) के अनुसार निविदाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रमुख मुख्य इंजीनियर/पूमरे को पत्र लिखा गया है।

2. लाइसेंस शुल्क की वसूली में पाई गई अनियमितताएं:-

 संजय कुमार वर्मा, मुसतानि/इंजी

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में मत्स्य अधिकार लाइसेंसिंग के संबंध में निवारक जाँच की गई। जाँच के दौरान पाया गया कि एजेंसी को मत्स्य अधिकार लाइसेंस 05 वर्षों के लिए दिया गया था। एजेंसी ने स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के 07 दिनों के भीतर पहली किस्त और सुरक्षा राशि जमा कर दी। इसके अतिरिक्त, एजेंसी ने आगामी वर्षों के लिए लाइसेंस शुल्क का भुगतान सितंबर के बजाय दिसंबर माह में किया है, जो 03 माह की देरी से हुआ।

लेकिन समझौते के अनुसार, "एक वर्ष से अधिक समय के लिए मछली पकड़ने के अधिकार के अनुबंध के मामले में, ठेकेदारों को अगले वर्ष का लाइसेंस शुल्क अगले सीजन के शुरू होने के 03 (तीन) महीने पहले जमा करना होगा। ऐसा न करने पर ठेकेदार की सुरक्षा राशि जब्त कर ली जाएगी और नई निविदा आमंत्रित की जाएगी।" और चूककर्ता लाइसेंसधारियों से 12% प्रतिवर्ष की दर से क्षति शुल्क लिया जाएगा।

अतः इस अनियमितता के लिए संबंधित कार्यालय अधीक्षक को अनुबंध के दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने तथा आगामी वर्षों के लिए 03 (तीन) महीने से पहले एजेंसी से 12% प्रति वर्ष की दर से क्षति शुल्क नहीं काटने के लिए जिम्मेदार पाया गया।

इस मामले में संबंधित कार्यालय अधीक्षक के खिलाफ लघुदंड शास्ति की अनुशंसा की गई।

✱

Hence, on the basis of which tender has been accepted is not fulfilling the technical Eligibility Criteria (Clause 10.1 of GCC-2020).

As there is an irregularity regarding submission of false documents against the document required for fulfilling the technical eligibility criteria for which tenderer is responsible.

As per GCC 2020 para 11(vi)(b) In case of any **information submitted by tenderer is found to be false forged or incorrect** after the award of contract, the contract shall be terminated. Earnest Money Deposit (EMD), Performance Guarantee and Security Deposit available with the railway shall be forfeited. In addition, other dues of the contractor, if any, under this contract shall be forfeited and agency shall be banned for doing business for a period of upto five years.

For the above irregularities Tenderer is consider responsible and letter has been written to PCE/ECR for **taking action against tenderer as per GCC 2020 para 11(vi)(b).**

2. Irregularities found in recovery of licensing fee:-

 **Sanjay Kumar Verma, CVI/Engg**

A preventive check was conducted regarding licensing of fishing rights in Divisional Railway Manager office. During investigation, it was found that the licensing of fishing right is awarded to agency for 05 years. Agency has submitted first instalment & security deposit within 07 days on receipt of acceptance letter. Further agency has paid licensing fee for subsequent years in month of December instead of September which is delayed by 03 months.

But as per agreement “In case of contract of fishing rights for more than one year the license fee of the subsequent year shall have to be deposited by the contractors before 03 (Three) months of the commencement of the next season. Failing which the contractor’s security money should be forfeited and fresh tender invited” & Liquidated damage charges of @ 12% PA will be charged against defaulting licensees.

Hence for this irregularities concerning Office superintendent is responsible for not follow the guidelines of agreement & not deducting liquidated damage charges @ 12% PA from agency before 03 (Three) months for next subsequent years.

In this case proposed a Minor penalty against concerning office superintendent.

✱

भंडार एवं चिकित्सा

1. पैनलबद्ध डायग्नोस्टिक जाँच केंद्र द्वारा प्रस्तुत बिलों के निस्तारण में अनियमितताएँ

 संजय कुमार, मुख्य सतर्कता निरीक्षक / भंडार

पूर्व मध्य रेल के एक मंडलीय चिकित्सालय में हाल ही में एक सतर्कता जाँच की गई। इस जाँच का उद्देश्य मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (CMS) और पैनलबद्ध डायग्नोस्टिक जाँच केंद्र के बीच हस्ताक्षरित सहमति ज्ञापन (MoU) के कार्यान्वयन की समीक्षा करना था।

सहमति ज्ञापन के अनुसार, रेल चिकित्सा लाभार्थियों के सभी संदर्भ पत्र (Referral Letters) का अनुमोदन अनिवार्य रूप से CMS अथवा किसी अन्य अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, संदर्भ पत्र के साथ लाभार्थी का यूनिक मेडिकल आइडेंटिटी (UMID) कार्ड संलग्न होना आवश्यक है। पैनलबद्ध डायग्नोस्टिक जाँच केंद्र द्वारा बिल प्रस्तुत करते समय विधिवत अनुमोदित संदर्भ पत्र और संबंधित चालान (Invoice) संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

सतर्कता जाँच के दौरान यह पाया गया कि एक मामले में संबंधित कर्मचारी ने बिना वैध संदर्भ पत्र की जाँच किए बिल प्रस्तुत कर दिया। प्रस्तुत संदर्भ पत्र पर न तो CMS और न ही किसी सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर थे। यह निष्कर्षित प्रक्रिया का उल्लंघन था।

अतः इस लापरवाहीपूर्वक कार्य के लिए संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही करने की अनुशंसा की गई है।

2. कबाड़ सामग्रियों के लॉट के रख-रखाव में अनियमितताएँ

सतर्कता / पूर्व मध्य रेल द्वारा एक मंडल में बिक्री हेतु कबाड़ सामग्रियों के लॉट के रख-रखाव से संबंधित एक निवारक जांच की गई। जांच के दौरान यह पाया गया कि एम.एस. स्कैप सामग्री का एक लॉट 40 मीट्रिक टन का बनाया गया था, किंतु बिक्री हेतु केवल 35.408 मीट्रिक टन ही दर्शाया गया।

Case Study

STORES & MEDICAL

1. Irregularities in Passing of Bills Claimed by Empanelled Diagnostic Investigation Centre

 Sanjay Kumar, CVI/Stores

A preventive check was recently conducted at one of the Divisional Hospitals of East Central Railway (ECR) to review the implementation of the Memorandum of Understanding (MoU) signed between the Chief Medical Superintendent (CMS) and the empanelled diagnostic centre.

As per the MoU, all referral letters for Railway medical beneficiaries must be duly approved by the CMS or any other authorised competent authority. Additionally, the referral letter must be accompanied by the Unique Medical Identity (UMID) card of the beneficiary. While raising claims, the empanelled diagnostic centre is required to submit the duly issued referral letter along with the corresponding invoice for settlement of bills.

During the preventive check, it was observed that in one case the concerned official had forwarded a bill without verifying a valid referral letter. The referral letter submitted was neither signed by the CMS nor by any other competent authority. This constituted a violation of the laid-down procedure.

Accordingly administrative action has been recommended against the concerned official.

2. Irregularities in the Formation of Scrap Material Lots

A preventive check regarding irregularities in the formation of scrap material lots for sale was conducted by Vigilance in one of the divisions of East Central Railway. During the check, it was noticed that a lot of MS scrap material was created for 40 MT, but only 35.408 MT was offered for sale. However, the actual aggregate

जबकि संयुक्त नोट्स के अनुसार वास्तविक कुल तौल 40 मीट्रिक टन था। यह प्रविष्टि संयुक्त नोट्स में दर्ज की गई थी और उस पर लेखा भंडार परीक्षक तथा संबंधित भंडार धारक द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर किए गए थे।

इसके अतिरिक्त स्थल पर लॉट संबंधी कोई जानकारी जैसे लॉट संख्या, मात्रा अथवा बिक्री हेतु प्रस्तुत विवरण प्रदर्शित नहीं किया गया था। यह भी स्पष्ट हुआ कि संबंधित भंडार धारक द्वारा लॉट रजिस्टर का संधारण निर्धारित ढंग से नहीं किया गया था।

भंडार कोड के पैरा 2410 के अनुसार, जब नीलामी बिक्री के लिए लॉट तैयार हो जाते हैं तो उनका विवरण अनिवार्य रूप से लॉट रजिस्टर में अंकित किया जाना चाहिए। इसमें लॉट संख्या, विवरण, बुक रेट, अनुमानित मात्रा, पिछली नीलामियों में प्राप्त दर, क्रेता का नाम, कुल मूल्य तथा टिप्पणियाँ शामिल होनी चाहिए।

लॉट रजिस्टर का रख-रखाव ठीक से न होने और वास्तविक व प्रस्तुत मात्रा में अंतर पाए जाने से यह स्पष्ट है कि निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया है। ऐसे लापरवाह आचरण से न केवल अनियमितताओं और कदाचार की संभावना बढ़ती है बल्कि रेलवे को संभावित राजस्व हानि भी हो सकती है। साथ ही, निपटान प्रक्रिया की पारदर्शिता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

पुनरावृत्ति रोकने हेतु यह आवश्यक है कि कोड के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। कबाड़ लॉट पर विवरण स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे और क्रेताओं को स्पष्ट जानकारी उपलब्ध हो।

उक्त लापरवाहियों के लिए संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। साथ ही, एक प्रणाली सुधार पत्र भी जारी किया गया है जिसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया गया है कि कबाड़ सामग्रियों के प्रत्येक लॉट तैयार होने के बाद उसे लॉट रजिस्टर में अंकित किया जाए और बिक्री हेतु प्रस्तुत करने से पूर्व विवरण दर्ज कर दिया जाए।

*

weighment of the lot was found to be 40 MT, which was recorded in the joint notes and duly signed by the Accounts Stock Verifier and the concerned Stock Holder.

It was further observed that no details such as Lot Number, Quantity, or Offered for Sale particulars were displayed at the site. It was also revealed that the concerned Stock Holder had not maintained the Lot Register in the prescribed manner.

As per Para 2410 of the Stores Code, once lots are formed for auction sale, their details must be compulsorily entered in the Lot Register. The register should contain columns for Lot Number, Description, Book Rate, Approximate Quantity for Sale, Rate secured at previous auctions, Name of Purchaser, Total Value of Stores, and Remarks.

Non-maintenance of the Lot Register and the discrepancy between the actual and the offered quantity indicate non-compliance with the prescribed rules. Such lapses create scope for irregularities and malpractice, may cause potential loss of Railway revenue, and adversely affect transparency in the disposal process.

To prevent recurrence, it is essential to ensure strict adherence to the provisions of the Code. Lot details must be clearly displayed at the scrap yard to maintain transparency and to provide clear information to the purchasers.

For the lapses noticed, administrative action has been recommended against the concerned officials. Further, a system improvement has been issued, mandating that once lots of scrap material are created, all details must be recorded in the Lot Register before being offered for sale.

✱

चिकित्सा

1. सिक-फिट प्रमाण पत्र में अनियमितता

प्रमन तिवारी, मुख्य सतर्कता निरीक्षक/चिकित्सा

एक मंडल रेल अस्पताल में सिक-फिट प्रमाण पत्र जारी करने में अनियमितता के पहलू पर निवारक जाँच के दौरान, यह पाया गया कि सिक-फिट प्रमाण पत्र मैन्युअली और ऑनलाइन दोनों तरह से जारी किए गए थे। उल्लेखनीय है कि कुछ मामलों में, यह पाया गया कि 90 दिनों की अवधि से अधिक समय तक उपचार किया गया, लेकिन ऐसे मामलों को ए.एम.ए. द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, जो रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2010/एच/5/12 दिनांक 14.06.2010 में जारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन है, जिसमें निर्देश दिया गया है कि 'सभी लंबी बीमारी और आईओडी मामले जो सिक-लिस्ट में हैं, उनकी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा क्रमशः 3 महीने और 6 महीने बाद संबंधित विशेषज्ञ के साथ उपचार या फिटनेस जारी रखने के लिए समीक्षा की जाए।

इस संबंध में प्रमुख मुख्य चिकित्सा निदेशक/पूमरे द्वारा पहले भी एक प्रणाली सुधार पत्र जारी किया गया था, लेकिन अब तक इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका है।

इसलिए, प्रमुख मुख्य चिकित्सा निदेशक द्वारा निम्नलिखित के लिए फिर से एक प्रणाली सुधार पत्र (एसआईएल) जारी करने हेतु अनुशंसा की गई है:-

- (i) सभी स्वास्थ्य इकाइयों में एकरूपता बनाए रखने के लिए, केवल ऑनलाइन मोड में सिक-फिट प्रमाण पत्र जारी करने की प्रणाली अपनाई जाए।
- (ii) ए.एम.ए. द्वारा सभी लंबी बीमारी के मामलों को प्रत्येक 3 महीने की अवधि के बाद समीक्षा हेतु मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

2. आईएमई/पीएमई में अनियमितता

एक गुड्स गार्ड की प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षा (IME) और प्रथम आवधिक चिकित्सा परीक्षा (PME) में हुई अनियमितताओं के संबंध में स्रोत से मिली जानकारी के आधार पर एक निवारक जाँच की गई।

प्रारंभिक जाँच के परिणामस्वरूप, यह बात सामने आई कि एक गुड्स गार्ड, मानक से परे दूरदृष्टि दोष होने के बावजूद, IME संचालित करने वाले डॉक्टर की मिलीभगत से रेल सेवा में भर्ती होने में कामयाब रहा, जिसने उसे IME के दौरान A-2 चिकित्सा श्रेणी में फिट घोषित किया था। उपरोक्त डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार, उसकी दोनों आँखों की दूरदृष्टि 6/9 थी।

यह बात भी सामने आई कि उक्त गुड्स गार्ड ने प्रथम आवधिक चिकित्सा परीक्षा (PME) के दौरान भी अपनी फिटनेस का प्रबंधन किया। इस बार PME संचालित करने वाले डॉक्टर ने उसे A-2 चिकित्सा श्रेणी में फिट घोषित किया। इस बार भी, उपरोक्त डॉक्टर ने उसकी दोनों आँखों की दूरदृष्टि 6/9 बताई।

लेकिन स्रोत सूचना के आधार पर सतर्कता संगठन/पूमरे ने प्रमुख मुख्य चिकित्सा निदेशक से नेत्र चिकित्सा बोर्ड द्वारा जाँच कराने का अनुरोध किया था।

जिसके अनुपालन में प्रमुख मुख्य चिकित्सा निदेशक द्वारा सीएसएसएच/पटना में एक नेत्र चिकित्सा बोर्ड का गठन किया। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, रेलवे सेवा के छह वर्षों के अन्दर उक्त गुड्स गार्ड की उनकी दाईं और बाईं आँख में दूरदृष्टि क्रमशः 6/24 और 6/36 पाई गई।

चूँकि, आईआरएमएम 2000 के पैरा 512 (1) (बी) के अनुसार पुनर्परीक्षा के मानक केवल उन कर्मचारियों के लिए लागू होते हैं जिनकी सेवा अवधि छह वर्ष से कम नहीं है, इसलिए उपरोक्त से यह पता चलता है कि उक्त गुड्स गार्ड अपने आईएमई के समय और साथ ही अपने पहले पीएमई के दौरान ए-2 की चिकित्सा श्रेणी में फिट नहीं था।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि आईएमई संचालन करने वाले डॉक्टर और पीएमई संचालन करने वाले डॉक्टर ने क्रमशः उपरोक्त कर्मचारी के आईएमई और प्रथम पीएमई में जानबूझकर लापरवाही बरती है। लाभार्थी अर्थात् गुड्स गार्ड की भूमिका की जाँच में पाया गया कि यह जानबूझकर किया गया है।

इसके लिए IME तथा प्रथम PME संचालन करने वाले चिकित्सक के साथ-साथ रेलवे बोर्ड ने लाभार्थी अर्थात् गुड्स गार्ड को भी दोषी माना है। जिसके लिए, आईएमई संचालन करने वाले डॉक्टर, प्रथम पीएमई संचालन करने वाले डॉक्टर और लाभार्थी गुड्स गार्ड के खिलाफ रेलवे बोर्ड द्वारा प्रशासनिक अनुशासन व अपील नियम के तहत कार्रवाई करने हेतु अनुशासना की गई है।

3. निजी डायग्नोस्टिक सेंटर का पैनलीकरण

एक मंडल रेल अस्पताल में निजी डायग्नोस्टिक सेंटरों के पैनलीकरण से संबंधित एक निवारक जाँच के दौरान, यह पाया गया कि—

उक्त मंडल रेल अस्पताल, निजी डायग्नोस्टिक सेंटरों से परफॉर्मेंस बैंक गारंटी (पीबीजी) सुनिश्चित कराने में विफल रहा।

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2021/एच-1/11/10/एमओयू दिनांक 22.11.2021 और 03.06.2022 के अनुसार परफॉर्मेंस बैंक गारण्टी, कुशल सेवा वितरण सुनिश्चित करता है और सेवा से इनकार या अधिक बिलिंग जैसी संभावित चूकों से सुरक्षा प्रदान करता है।

हालाँकि, उक्त मंडल रेल अस्पताल द्वारा संबंधित डायग्नोस्टिक सेंटरों को पीबीजी जमा करने के लिए कई अनुस्मारक दिए गए, लेकिन उन्होंने जाँच की तिथि तक इसे जमा नहीं किया था।

यह अनियमितता, सिस्टम की विफलता के कारण संभव हो सका, जिसमें उपरोक्त पैनलीकरण से संबंधित कार्य-आदेश में पीबीजी जमा करने की कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी।

भविष्य में इस तरह के मामलों को रोकने के लिए, सतर्कता संगठन की सलाह पर प्रमुख मुख्य चिकित्सा निदेशक द्वारा निम्नलिखित उपायों के लिए एक प्रणाली सुधार पत्र (एसआईएल) जारी किया गया है।

पैनल से संबंधित कार्य-आदेशों में परफॉर्मेंस बैंक गारण्टी (पीबीजी) जमा करने के लिए एक समय-सीमा शामिल करने हेतु एक प्रणाली अपनाई जाए। यह सेवाओं के लिए अनुबंध की सामान्य शर्तें (जीसीसी), 2018/ट्रांस सेल/मैकेनिकल/सेवा अनुबंध, नई दिल्ली, दिनांक 02.02.2018 के पैरा 4.11.1 के अनुसार या सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार किया जा सकता है।

✱

विद्युत एवं एस एण्ड टी

1. नए और जारी किए गए एयर कंडीशनरों के भुगतान में अनियमितताएं

 श्री रंजीत कुमार, मुख्य सतर्कता निरीक्षक/विद्युत

“नए और जारी किए गए एयर कंडीशनरों का उचित हिसाब-किताब किए बिना भुगतान” के पहलू पर एक निवारक जाँच की गई। यह आरोप “पारंपरिक एयर कंडीशनरों को ऊर्जा कुशल एयर कंडीशनरों से बदलने और ईईएसएल द्वारा सभी मंडलों में पाँच वर्षों तक ऊर्जा प्रदर्शन के तहत रख-रखाव” के कार्य से संबंधित था।

पूमरे मंडल के विद्युत (समान्य) विभाग द्वारा मेसर्स एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड (मेसर्स ईईएसएल), पंजीकृत कार्यालय चौथी मंजिल, सेवा भवन, आर.के. पुरम, नई दिल्ली, कॉर्पोरेट कार्यालय चौथी और पांचवीं मंजिल, आईडब्ल्यूएआई बिल्डिंग, ए-13, सेक्टर-1, नोएडा (यूपी)- 201301 के साथ ऊर्जा प्रदर्शन समझौता (ईपीआर) किया गया था, जिसके तहत “परंपरागत एयर कंडीशनर को ऊर्जा कुशल एयर कंडीशनर से प्रतिस्थापित किया जाएगा और पूमरे के सभी मंडलों में ईईएसएल द्वारा 5 वर्षों के लिए रख-रखाव किया जाएगा।”

यह समझौता पूमरे के मंडल में मौजूद 318 विभिन्न प्रकार के पारंपरिक एसी को नए स्टार रेटेड ऊर्जा कुशल एसी द्वारा प्रतिस्थापित करने के लिए किया गया था, इस समझौते के साथ कि मंडल एसी इन्वेंट्री के नुकसान, चोरी और दुरुपयोग से बचाने के लिए उचित कदम उठाएगा, यानी उचित लेखा और पुरानी हटाई गई वस्तुओं को पूर्व मध्य रेल के मंडल कार्यालय को सौंप दिया जाएगा और मंडल द्वारा पुरानी हटाई गई वस्तुओं और ईईएसएल से प्राप्त बफर स्टॉक को सत्यापित करना होगा।

तदनुसार, मेसर्स ईईएसएल ने कार्य पूर्णता रिपोर्ट के अनुसार पूमरे के सभी मंडलों के विभिन्न स्थानों पर चालान संख्या के अनुसार पारंपरिक प्रकार के मौजूदा 313 एयर कंडीशनर को ऊर्जा कुशल प्रकार के एसी द्वारा प्रतिस्थापित किया।

कार्य प्रमाणन और कार्य निष्पादन पर्यवेक्षक के पास केवल 33 जारी किए गए एसी के रिकॉर्ड हैं, जो 313 एसी के खिलाफ जारी किए गए थे। मेसर्स ईईएसएल के खिलाफ शेष 280 जारी किए गए एयर कंडीशनर के जारी या पुनः उपयोग से संबंधित कोई रिकॉर्ड या दस्तावेज नहीं थे, जो कि स्टार कोड नियम अध्याय VIII नियम संख्या 1213 से 1220 और ACTM (एसी ट्रेवशन मैनुअल) के अनुसार बिलों और कार्यों के भंडार की जांच के संबंध में अध्याय VIII क्रम संख्या 10813 और 10815 के अनुसार समझौते और सामान्य

Case Study

Electrical and S&T

1. Irregularities in payment of new and released Air Conditioners

 Sri Ranjeet Kumar, CVI(Elect.)

A preventive check was conducted on the aspect of “Made payment without proper accountal of new as well released Air conditioners”. The allegation was related to work “Replacement of Conventional Air conditioner by energy efficient Air conditioner & maintenance by EESL over all divisions for 5 Years” against Energy Performance.

An Energy Performance Agreement (EPR) was done with M/s Energy Efficiency Service Limited (M/s EESL), Regd. Office 4th floor, Sewa Bhawan, R.K. Puram, New Delhi, Corporate office 4th & 5th floor, IWAI building, A-13, Sector-1, Noida (U.P)- 201301 by Electrical(G) Deptt. of ECR division for “Replacement of Conventional Air conditioner by energy efficient Air conditioner & maintenance by EESL over division of ECR for 5 Years.

This agreement was done for the replacement of 318 Nos. of different type of conventional AC exist in ECR division by new star rated energy efficient AC with ensuring Agreement that division shall take reasonable steps to protect such inventory from harm, theft & misuse i.e. proper accountal and old removed items shall be handed over to divisional office of EAST CENTRAL RAILWAY and division must verify old removed items and buffer stock received from EESL.

Accordingly, M/s EESL has replaced conventional type existing 313 Nos. Air conditioner by energy efficient type AC vide his challan's No. over division of ECR at different locations vide Work completion report.

Work certifying as well work executing supervisor has records of **only 33 Nos. released AC**, which was released against 313 Nos. AC's . There was no any records or documents pertaining to released or re-use of rest 280 Nos. released Air conditioner against M/s EESL, which should be done as per agreement and common store accountal process as per Store code Rule Chapter XII, Rule No. 1213 to 1220 and ACTM (AC traction manual) regarding Check

स्टोर अकाउंटल प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए। मेसर्स ईईएसएल की 26 नई आपूर्ति की गई एसी के विवरण, इसकी क्षमता, निर्माता सीरियल नंबर आदि गायब हैं और साथ ही 280 पुरानी जारी की गई एसी के रिकॉर्ड/दस्तावेज भी गायब थे।

पूमरे के मंडल में सीनियर एसई (इलेक्ट्रिकल)/एसी के कार्यालय में सतर्कता जाँच के दौरान, एक ईईएसएल लेजर/प्लॉट/एसेट रजिस्टर पाया गया जिसमें ईईएसएल द्वारा केवल 287 एसी का ही आपूर्ति का लेखा-जोखा था (अर्थात् 26 एसी का विवरण गायब था) जो कि भंडार कोड नियम अध्याय XII नियम संख्या 1213 से 1220 और ACTM (एसी ट्रेवशन मैन्युअल) के अनुसार समझौते और सामान्य स्टोर अकाउंटिंग प्रक्रिया के अनुसार नहीं था, जो बिलों और भंडार के कार्यों पर जाँच के संबंध में अध्याय VIII क्रम संख्या 10813 और 10815 के अनुसार था।

इस खाता बही में 287 नंबरों का लेखा-जोखा अस्पष्ट है, जिसमें एसी का सीरियल नंबर, निर्माण, क्षमता, स्थान, प्राप्ति की तारीख, खरीद विवरण और एसएसई/अधिकारी आदि के बिना हस्ताक्षर और टिप्पणी का कोई रिकॉर्ड नहीं है।

(क) कार्य के समुचित समापन को सुनिश्चित किए बिना तथा "परिसंपत्ति/संयंत्र रजिस्टर/लेजर में सभी 313 नए और पुराने जारी किए गए ए.सी. का समुचित लेखा-जोखा सुनिश्चित किए बिना ही भुगतान किया गया।

(ख) जाँच के दौरान 26 नए एसी गायब थे तथा 280 पुराने जारी किए गए एसी का रिकॉर्ड/दस्तावेज भी गायब थे।

(ग) इससे 26 X रु. 37186 = 966837/- (लगभग औसत) और 280 X रु. 6007/- = 16,81,960/- (डीओ/एसआरओ की पुरानी एसी कॉपी का स्कैप) मूल्य = कुल 26,48,797/-रु. रेलवे राजस्व हानि हुई।

उपरोक्त अनियमितता के लिए दो अधिकारियों के विरुद्ध दीर्घ दंड शास्ति की कार्रवाई शुरू की गई।

2. निविदा में गलत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के कारण एल-1 फर्म पर प्रतिबंध लगाने में अनियमितताएं

 श्री रण विजय कुमार, मुसतानि/एसएंडटी

- पूर्व मध्य रेल के दानापुर मंडल में वर्ष 2018 में दिए गए निविदा में अनियमितताओं के संबंध में शिकायत की जाँच के बाद, यह पाया गया है कि निविदा समिति के संयोजक गलत क्रेडेंशियल जमा करने के लिए रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2017/ट्रांस/01/पोलिसी दिनांक: 08.02.2018, अनुलग्नक-ए, मद संख्या 7 के पैरा-3.2 के आलोक में

on bills and stores of works as Chapter VIII Sl. No. 10813 & 10815. Details of 26 Nos. new supplied M/s EESL's AC with its which capacity, make Serial no. etc is missing as well as record/documents of 280 Nos. old released AC were also missing.

During Vigilance check in the office of Sr.SE (Elect.)/AC at one Division of ECR, One no. EESL ledger/Plant/Asset Register was found; in which only account of only 287 Nos. EESL supplied AC's was done (i.e. details missing of 26 Nos. AC) which was not as per agreement and common store account process as per Store Code Rule Chapter XII, Rule No. 1213 to 1220 and ACTM (AC traction manual) regarding Check on bills and stores of works as Chapter VIII Sl. No. 10813 & 10815.

Account of 287 Nos. in this ledger is ambiguous, in which there is no any records of containing AC's serial no., make, capacity, location, date of receipt, procurement details & without putting signature & remarks of SSE/Officer etc.

- (i) Payment was processed without ensuring proper completion of work" as well "without ascertaining/ensuring proper account of all 313 new as well as old released AC in Asset/Plant register/Ledger.
- (ii) There is 26 Nos. of new AC missing and record/documents of 280 Nos. old released AC were also missing during check.
- (iii) This leads to loss of Railway Revenue is $26 \times \text{Rs. } 37186 = 966837/-$ (Approx. average) and $280 \times \text{Rs. } 6007/- = 16,81,960/-$ (Scrap value of old AC copy of DO/SRO)= Total Rs. 26,48,797/-

Major Penalty proceedings against two officials have been initiated for above lapses.

2. Irregularities in banning of L-1 firm for submission of false credentials in Tender

 **Shri Ran Vijay Kumar, CVI(S&T)**

- After investigation of a complaint regarding "Irregularities in a Tender awarded in 2018 in Danapur Division of ECR, it is found that Convener of the Tender Committee is responsible for not banning the "L-1" firm business for 05 years on entire IR in light of para-3.2 of RB letter no.2017/Trans/01/Policy, dated: 08.02.2018, Annexure-A, item no.7

सम्पूर्ण भारतीय रेल पर 05 वर्षों के लिए 'एल-1' फर्म के व्यवसाय पर प्रतिबंध नहीं लगाने के लिए जिम्मेदार हैं। जिसके कारण उक्त फर्म ने 05 वर्ष के भीतर एल-1 बोलीदाता बनकर दूसरे मंडल में एक और टेंडर हासिल कर लिया।

- निविदा समिति के संयोजक ने निविदा दस्तावेज के अनुलग्नक-ए की मद-7 के आलोक में, गलत प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए एल-1 बोलीदाता के विरुद्ध टीसी मिनट्स के पैरा-13.0 (सिफारिशें) में कोई कार्रवाई करने की अनुशंसा नहीं की थी। इसके परिणामस्वरूप, संबंधित सीओएस/निविदा ने एल-1 फर्म के विरुद्ध समय पर कोई कार्रवाई शुरू नहीं की।
- निविदा समाप्ति के 05 महीने बाद, दिनांक 28.06.2019 को एल-1 बोलीदाता द्वारा जमा की गई ईएमडी (रु. 2,55,080/-) को जब्त करने के लिए निविदा समिति के संयोजक द्वारा वित्त विभाग को एक पत्र लिखा गया था, लेकिन अगले 05 वर्षों (लगभग) तक ईएमडी को जब्त नहीं किया गया था जब तक कि सतर्कता विभाग, हाजीपुर ने जांच के दौरान निविदा समिति के संयोजक से स्पष्टीकरण नहीं मांगा।
- दिनांक: 03.07.2020 को निविदा समिति के संयोजक को दूसरे डिवीजन में स्थानांतरित कर दिया गया अर्थात् टीसी मिनट्स समाप्ति के 18 महीने बाद, लेकिन उन्होंने रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2017/ट्रांस/01/पोलिसी, दिनांक: 08.02.2018, अनुलग्नक-ए, आइटम संख्या 7 के पैरा-3.2 के आलोक में सम्पूर्ण भारतीय रेल पर एल-1 फर्म के व्यवसाय पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगाने के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की थी।
- सम्पूर्ण भारतीय रेल पर एल-1 फर्म के कारोबार पर पांच वर्ष तक प्रतिबन्ध न लगाए जाने के कारण, उक्त फर्म ने दूसरे डिवीजन में निविदा प्राप्त कर ली तथा 05 वर्ष के भीतर एल-1 बोलीदाता बन गई।
- अतः निविदा समिति के संयोजक ने समय-समय पर संशोधित रेलवे सेवा आचरण नियम, 1966 के पैरा-3(i)(ii) का उल्लंघन किया है, अर्थात् अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण नहीं बनाए रखा है।
- उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी ने निम्नलिखित सलाह दी है:-
- (i) उपयुक्त प्रशासनिक कार्रवाई अर्थात् टी.सी. के संयोजक के विरुद्ध "रिकॉर्डेड चेतावनी"।
- (ii) पूर्व मध्य रेल के विभिन्न विभागों में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए संबंधित विभाग के प्रधान मुख्य विभाग द्वारा प्रणाली सुधार पत्र जारी किया जाए।

*

for submission of false credential. Due to which the said firm grabbed another tender in other Division becoming L-1 bidder within 05 Year.

- Convener of the Tender Committee had not recommended any action in para-13.0(Recommendations) of TC minutes against the L-1 bidder for submission of false credential, in light of item-7 of Annexure-A of tender document. Due to that concerned COS/tender did not initiate any action against the L-1 firm in time.
- After 05 months of tender finalization, a letter was written by Convener of the Tender Committee to finance department for forfeiture of EMD (Rs.2,55,080/-) submitted by the L-1 bidder on date:28.06.2019 but EMD was not forfeited for next 05 years(approx.) until Vigilance department, Hajipur asked clarification from Convener of the Tender Committee during investigation.
- Convener of the Tender Committee was transferred to other Division on date: 03.07.2020 i.e. after 18 months of TC minutes finalization but he had not initiated any action for “banning of the L-1 firm business for five year on entire IR in light of para-3.2 of Railway Board letter no. 2017/Trans/01/Policy, dated:08.02.2018, Annexure-A, item no.7. for submission of false credential.
- Due to not banning of the L-1 firm business for five year on entire IR, the said firm grabbed a tender in other Division becoming L-1 bidder within 05 year.
- Therefore, Convener of the Tender Committee has violated Para-3(1) (ii) of the Railway Services (Conduct) Rules, 1966 as amended from time to time i.e. not maintained devotion to his duty.
- In view of the above, the competent authority has advised for:-
- (i) Suitable Administrative Action i.e. “Recorded Warning” against the Convenor of the TC.
- (ii) A System Improvement Letter to be issued by PHOD of the concern department to avoid the repetition of similar cases across divisions of ECR.

✱

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.-12/2024



कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर - 844101

सं.-ई.सी.आर./सतर्कता/प्रणाली सुधार/50

दिनांक: 05.11.2024

प्रधान मुख्य विद्युत अभियन्ता

पूर्व मध्य रेल,

हाजीपुर।

विषय: भंडार /कार्य सविदा में आपूर्ति की गई सामग्री का परेषिती निरीक्षण।

एक निवारक जांच के दौरान, यह संज्ञान में आया कि GeM पर विभिन्न अनुबंधों के विरुद्ध, परेषिती द्वारा आपूर्ति की गई सामग्रियों जैसे XLPE 4 कोर X 16 Sq. mm LT केबल्स और XLPE 4 कोर X 185 Sq. mm LT केबल्स को केबल के आकार को सुनिश्चित किए बिना किया गया था, जिससे 2,18,200/- रुपये का रेलवे राजस्व की हानि हुई।

अतः यह सलाह दी जाती है कि हाल ही में प्रौद्योगिकियों की वस्तुओं से युक्त सामग्री जिसके लिए परेषिती को परीक्षण सुविधाओं से सुसज्जित नहीं किया गया है, अनुमोदित/सरकारी प्रयोगशालाओं में परीक्षण किया जा सकता है। यदि ठेकेदार के साथ उचित परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं तब फर्म के कारखाने के परिसर में परीक्षण किया जा सकता है। यदि एक अनुमोदित या सरकारी प्रयोगशाला में प्राप्त की गई सामग्री का परीक्षण करना संभव नहीं है या ठेकेदार के कारखाने के परिसर में उचित परीक्षण सुविधाओं की गैर-उपलब्धता

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No - 12/2024



Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

No. ECR/Vig./System Improvement/50

Date- 05.11.2024

**Principal Chief Electrical Engineer,
East Central Railway,
Hajipur.**

Sub : Consignee inspection of supplied material in Store/Works Contract.

During investigation of a preventive check, it came to notice that against various contracts on GeM, inspection of supplied materials i.e. XLPE 4 Core X 16 Sq.mm LT Cables& XLPE 4 Core X 185 Sq.mm LT cables was done by the consignee without ensuring size of cables which caused loss of Railway Revenue of Rs.2,18,200/-.

It is therefore advised that materials comprising of items of recent technologies for which consignee is not equipped with testing facilities may be got tested in approved/government laboratories. Testing at factory premises of the firm may also be resorted to if proper testing facilities are available with the contractor. In case, it is not possible to get the material tested in an approved or government laboratory or testing at factory premises of the contractor may not be resorted to due to non-availability of proper testing facilities, a suitable clause may be incorporated in the tender conditions which

के कारण परीक्षण नहीं किया जा सकता है तब निविदा शर्तों में एक उपयुक्त खंड शामिल किया जा सकता है जो आपूर्ति के समय ठेकेदार द्वारा प्रासंगिक दस्तावेजों जैसे ओईएम का चालान, परीक्षण प्रमाणपत्र, डिलीवरी चालान, वारंटी प्रमाणपत्र आदि प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जा सकता है अन्यथा आवश्यक परीक्षण ठेकेदार के जोखिम और लागत पर अधिकृत / प्रतिष्ठित/ अनुशंसित परीक्षण प्रयोगशालाओं से किए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे।

यह भी सलाह दी जाती है कि सामग्री की क्रॉस परीक्षा के लिए सभी डिपो इन-चार्ज के साथ पर्याप्त परीक्षण उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करें जिससे भविष्य में रेलवे राजस्व की हानि को रोका जा सके तथा IE नियमों के तहत यात्री/उपयोगकर्ता सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके।

प्रधान मुख्य विद्युत अभियन्ता/पूमरे से अनुरोध किया जाता है कि भंडार या कार्य संविदा के तहत खरीदे गए सामग्रियों का परेषिती निरीक्षण के मुद्दे के साथ-साथ उपरोक्त मुद्दों के संदर्भ में उपयुक्त दिशानिर्देश जारी करें।

इस संबंध में की गई कार्रवाई, कृपया इस कार्यालय में जल्द से जल्द अवगत कराई जा सकती है।

यह वरिष्ठ उपमहाप्रबंधक/पूमरे के अनुमोदन के साथ जारी किया गया है।

(आशुतोष झा)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/विद्युत
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

*

may ensure submission of relevant documents such as OEM's invoice, Test Certificate, Delivery Challan, Warranty Certificate etc. by the contractor at the time of supply otherwise the required tests would liable to be carried out from Authorized/Reputed/Recommendedtesting Laboratories at the risk and cost of the contractor.

It is also advised to ensure availability of sufficient testing instruments with all depot in-charge for cross examination of materials so as to prevent any future loss to the Railway Revenue and to ensure Passenger/user safety under IE Rules & other Electrical safety guidelines.

PCEE/ECR is requested to look into the issue of consignee inspection of materials procured either through store or works contract with respect to the issues raised above and issue suitable guidelines in this regard.

Action taken in this regard may please be apprise to this office at the earliest.

This issued with the approval of SDGM/ECR.

(Ashutosh Jha)

Dy. Chief Vigilance Officer/Elect.
for General Manager/Vigilance

✱

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.-14/2024



कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर - 844101

सं.-ई.सी.आर./सतर्कता/प्रणाली सुधार/50

दिनांक : 07.10.2024

प्रमुख मुख्य इंजीनियर

पूर्व मध्य रेल,

हाजीपुर।

विषय: बिलों की तकनीकी जाँच में जेई/ड्राइंग और एसएसई/ड्राइंग के कर्तव्यों को स्पष्ट करने के संबंध में प्रणाली में सुधार।

एक शिकायत मामले में, सीवीसी ने प्रणाली सुधार के एक भाग के रूप में, बिलों की तकनीकी जाँच में जेई और एसएसई/ड्राइंग के कर्तव्यों को स्पष्ट करते हुए स्पष्ट निर्देश जारी करने की सलाह दी है, ताकि तकनीकी जाँच के दौरान ड्राइंग अनुभाग के अधिकारियों द्वारा जाँच की जा सके। ठेकेदार के बिलों की तकनीकी जाँच, "इंजीनियरिंग विभाग के लिए भारतीय रेलवे संहिता" के पैरा 1355 (ii) ई, (एफ) और (जी) के अनुसार, ड्राइंग कार्यालय में कार्यकारी अभियंता की देखरेख में की जानी चाहिए।

उपरोक्त के मद्देनजर, आपसे अनुरोध है कि संविदात्मक बिलों की तकनीकी जाँच के दौरान इंजीनियरिंग विभाग के लिए "भारतीय रेलवे संहिता" के पैरा 1355 (ii) ई, (एफ) और (जी) में उल्लिखित दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए सभी संबंधितों को एक प्रणाली सुधार पत्र जारी करें।

कृपया जारी किये गये निर्देश की एक प्रति इस कार्यालय को सूचना एवं अभिलेख हेतु भेजी जाए।

(उदयाचल कुमार)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी(भंडार)

कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

*

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No - 14/2024



Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

No. ECR/Vig./System Improvement/50

Date: 07.10.2024

**Principal Chief Engineer
East Central Railway,
Hajipur.**

Sub :- System improvement regarding elucidating duties of
JE/Drawing & SSE/Drawing in technical check of bills.

In a complaint case, CVC has advised to issue explicit instructions elucidating duties of JE & SSE/Drawing in technical check of bills, as part of system improvement, for checks to be conducted by officials of Drawing Section during their technical check. Technical checks of contractor's bills should be exercised in the Drawing Office under the supervision of the Executive Engineer in terms of para 1355 (ii) (e), (f) & (g) of "Indian Railways Code for the Engineering Department".

In view of the above, you are requested to issue a System Improvement Letter to all concerned to follow the guidelines mentioned in para 1355 (ii) (e), (f) & (g) of "Indian Railways Code for the Engineering Department during technical check of contractual bills.

A copy of instructions issued may please be sent to this office for information and record.

(Udyachal Kumar)

Dy. Chief Vigilance Officer(Stores)
for General Manager/Vigilance

*

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.-15/2024



कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर - 844101

सं.-ई.सी.आर./सतर्कता/प्रणाली सुधार/50 दिनांक : 27.12.2024
प्रमुख मुख्य इंजीनियर
पूर्व मध्य रेल,
हाजीपुर।

विषय: एजेंसी को समय विस्तार देने के संबंध में प्रणाली में सुधार।

एक शिकायत मामले में, सीवीसी ने व्यवस्थित सुधार के कार्यान्वयन हेतु यह सलाह दी है कि एजेंसी को नियमित रूप से समय विस्तार न दिया जाए और केवल उचित आधार पर ही दिया जाए। इसके अलावा, कई बार समय विस्तार एक साथ भी नहीं दिया जाना चाहिए।

उपर्युक्त के मद्देनजर, आपसे अनुरोध है कि सीवीसी की उपर्युक्त सलाह के अनुसरण में सभी संबंधितों को एक प्रणाली सुधार पत्र जारी करें।

कृपया जारी किये गये निर्देश की एक प्रति इस कार्यालय को सूचना एवं अभिलेख हेतु भेजी जाए।

(मयंक अग्रवाल)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी(इंजी)

कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

*

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No - 15/2024



Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

No. ECR/Vig./System Improvement/50

Date: 27.12.2024

**Principal Chief Engineer
East Central Railway,
Hajipur.**

Sub : System improvement regarding Time Extensions to the agency.

In a complaint case, CVC has advised to issue for implementation of systematic improvement that time extensions to the agency should not be granted in routine manner and it should be allowed only on justified grounds. Further, time extension in many spells should not be granted straightaway also.

In view of above, you are requested to issue a System Improvement Letter to all concerned in pursuance of the above mentioned advice of CVC.

A copy of instruction issued may please be sent to this office for information and record.

(Mayank Agarwal)

Dy. Chief Vigilance Officer(Engg.)
for General Manager/Vigilance

*

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.-01 / 2025



कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर - 844101

सं.-ई.सी.आर./सतर्कता/प्रणाली सुधार/50

दिनांक 02.01.2025

प्रमुख मुख्य चिकित्सा निदेशक

पूर्व मध्य रेल,

हाजीपुर।

विषय: लंबे बीमारी के मामले को तेजी से निपटारे के लिए प्रणाली सुधार।

संदर्भ: रेलवे बोर्ड पत्र संख्या 2010/H/5/12 दिनांक 14.06.2010
और 29.04.2015

रेलवे बोर्ड द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से संबंधित CMS को निर्देश दिया गया है कि वे सभी लंबे बीमारी और IOD (इंटरा ऑकुलर रोग) मामलों की समीक्षा 3 महीने और 6 महीने के बाद संबंधित विशेषज्ञ के साथ करें, ताकि उपचार की निरंतरता, फिटनेस या आगे की कार्रवाई के लिए, डिकैंटेराइजेशन या अमान्यकरण के लिए निर्णय लिया जा सके। यदि बीमारी/IOD की अवधि को बढ़ाने की आवश्यकता हो, तो मामले की समीक्षा स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड द्वारा हर 3 महीने में उपचार की निरंतरता, फिटनेस, डिकैंटेराइजेशन या अमान्यकरण के संबंध में करनी चाहिए, जिसमें CMS चेयरपर्सन के रूप में होंगे और बोर्ड की सिफारिश CMD (वर्तमान में PCMD) को अनुमोदन के लिए भेजी जानी चाहिए। चिकित्सा बोर्ड की परीक्षा आयोजित करने और इसकी रिपोर्ट को स्वीकार करने में लगने वाला समय एक महीने से अधिक नहीं होना चाहिए।

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No - 01/2025



Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

No. ECR/Vig./System Improvement/50

Date: 02.01.2025

Principal Chief Medical Director

East Central Railway,

Hajipur.

Sub : System Improvement for expeditious disposal of long sickness cases.

Ref: Rly. Board L/No. 2010/H/5/12 Dtd.14.06.2010 & 29.04.2015

Railway Board vide above referred letter has issued instruction to CMS concerned to review all long sickness & IOD (Intra Ocular disease) cases after 3 months and 6 months along with the specialist concerned for continuation of treatment or fitness or for taking further action for decategorisation or invalidation. In case, the period of sick/IOD needs to be extended, the case has to be reviewed after every 3 months with regard to continuation of treatment, fitness, decategorisation or invalidation by Standing Medical Board with CMS as the Chairperson and recommendation of Board to be sent to CMD (now PCMD) for approval. The time taken in holding of Medical Board examination and acceptance of its report should preferably not exceed a period of one month.

लेकिन कुछ मंडलों में किए गए सतर्कता जांच के दौरान यह पाया गया कि उपरोक्त दिशानिर्देशों का सच्चे अर्थ में अनुपालन नहीं किया गया है। जांच रिपोर्ट में सामने आए इस तथ्य को देखते हुए, उपरोक्त अनुपालन न करना प्रणाली की विफलता माना गया और उपरोक्त निर्देशों के अनुसार एक उचित प्रणाली स्थापित करने पर जोर दिया गया।

उपरोक्त परिस्थितियों के मद्देनजर, यह सुझाव दिया गया है कि रेलवे बोर्ड के उपरोक्त परिपत्र का पालन करने के लिए निर्देश जारी किए जाएं ताकि पूर्व मध्य रेल के सभी चिकित्सा इकाइयां अपने स्तर पर लंबी बीमारी के सभी मामलों को त्वरित, कुशल, तार्किक और जवाबदेह तरीके से निपटा सकें। लंबी बीमारी के मामलों का मासिक आधार पर PHOD स्तर पर सभी CMS और MD के साथ भौतिक या वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से आवधिक समीक्षा की जा सकती है। लंबी बीमारी के मामलों की एक सूची हर महीने की 10 तारीख तक सतर्कता संगठन को निश्चित तौर पर प्रस्तुत की जानी चाहिए।

इस मामले में जारी प्रणाली सुधार पत्र से कृपया इस कार्यालय को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए अवगत कराया जाए।

(उदयाचल कुमार)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/भंडार
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

✱

“अनुशासन किसी के ऊपर
थोपा नहीं जाता, अपितु
आत्म अनुशासन लाया जाता है।”
— अटल बिहारी वाजपेयी

But during vigilance checks conducted in some divisions, the above guidelines are found to be not adhered to in a true spirit. While taking note on the above fact brought out in the investigation report, the above non-adherence was considered as system failure at your end and it was emphasized to put a proper system in view of the instructions as mentioned above.

In view of above, it is suggested to issue instruction for adhering to the above Railway Board's circular to enable all Medical Units over ECR to dispose all long sick cases pending at their end in an expeditious, efficient, logical and an accountable manner. Periodical reviews of long sick cases may be conducted on a monthly basis at the PHOD level through physical or virtual meetings with all CMS and MD. A list of long sickness cases may be submitted to Vigilance on a monthly basis, positively by 10th of every month.

System Improvement letter issued on the matter may please be apprised to this office for further needful action at this end.

(Udyachal Kumar)

Dy Chief Vigilance Officer/Stores
For General Manager/Vigilance

*

***"Corruption is the enemy of development,
and of good governance.
It must be got rid of.
Both the Government and the people at
large must come together to
achieve this National objective."***

– Pratibha Patil

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.— 02 / 2025



कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर — 844101

सं.—ई.सी.आर. / सतर्कता / प्रणाली सुधार / 50

दिनांक: 07.01.2025

प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर।

विषय: बोली पात्रता मानदंड के संशोधन संबंधी प्रणाली सुधार पत्र।

लिनन/बेडरोल सामग्री की खरीद से संबंधित एक शिकायत मामले की जाँच के दौरान यह पाया गया कि निविदा स्वीकृति प्राधिकारी (TAA) के रूप में कार्य कर रहे एक एसएजी स्तर के अधिकारी द्वारा GeM निविदा के लिए बोली चरण पर ही लैब परीक्षण रिपोर्ट की आवश्यकता संबंधी बोली शर्त लागू की गई थी। तत्पश्चात् यह भी पाया गया कि पीसीएमएम के निर्देशों का पालन करते हुए किसी अन्य निविदा मामले में निविदा शर्त वापस ले ली गई। इसके अतिरिक्त, जाँच में यह भी पाया गया कि इस शर्त ने संभावित बोलीदाताओं को समान अवसर प्रदान करने में विफलता हुई, जबकि उनके पास निविदा सामग्री की आपूर्ति की पर्याप्त क्षमता एवं योग्यता थी, और यह शर्त Integrated Bid Document (IBD) के अनुरूप भी नहीं पाई गई। इस प्रकार की शर्त गुणवत्तापूर्ण सामग्री की खरीद सुनिश्चित करने में सहायक नहीं है, बल्कि यह संभावित बोलीदाताओं के प्रस्तावों को अनावश्यक रूप से अस्वीकार करने का कारण बनती है।

अतः यह सलाह दी जाती है कि उपयुक्त निर्देश जारी किए जाएँ ताकि यह सुनिश्चित हो कि :-

“स्टॉक/नॉन-स्टॉक वस्तुओं की खरीद हेतु बोली पात्रता मानदंड, पीसीएमएम/पूमरे/हाजीपुर द्वारा जारी Integrated Bid Document (IBD) के अनुरूप ही हो। किसी भी अतिरिक्त या नई बोली पात्रता शर्त को निविदा में केवल तभी शामिल किया जाए जब उसके लिए पीसीएमएम अथवा पीसीएमएम द्वारा नामित प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त हो।”

इस विषय पर वरिष्ठ उप महाप्रबंधक/पूमरे/हाजीपुर का अनुमोदन प्राप्त है।

(उदयाचल कुमार)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/भंडार

कृते महाप्रबंधक / सतर्कता

*

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No - 02/2025



Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

No. ECR/Vig./System Improvement/50

Date: 07.01.2025

PCMM

**East Central Railway,
Hajipur.**

Sub : System Improvement letter regarding revision of bid eligibility criteria.

During the investigation of a complaint case related to procurement of linen/bed roll item, it was found that a bid condition regarding requirement for a lab test report at the bidding stage was enforced for a GeM tender by a SAG level Officer through a note while dealing with the tender case as the Tender Accepting Authority (TAA). Subsequently, it was also found that the same tender condition was withdrawn in another tender case following the instructions of the PCMM.

Further, the investigation revealed that this condition was failed to provide equal opportunities to all prospective bidders, despite their proven capacity and capability to supply the bid items and thus not found to be align with the Integrated Bid Document (IBD). Such a condition does not contribute in procuring quality materials; instead, it results in the unnecessary rejection of offers from prospective bidders.

Hence, it is advised that a suitable instruction may please be issued to ensure that

“the Bid eligibility criteria for procurement of stock/ Non-stock item must align with the Integrated Bid Document (IBD) issued by PCMM/ECR/HJP. Any additional or new bid eligibility criteria should be included in the tender only after obtaining approval from the PCMM or an authority designated by the PCMM”.

This has been issued with approval of PED/Vigilance/RB/ New Delhi & SDGM/ECR/HJP.

(Udyachal Kumar)

Dy. Chief Vigilance Officer/Stores
for General Manager/Vigilance
*

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.-03 / 2025



कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर - 844101

सं.-ई.सी.आर./सतर्कता/प्रणाली सुधार/50

दिनांक: 07.01.2025

प्रमुख समुख्य सामग्री प्रबंधक

पूर्व मध्य रेल,

हाजीपुर।

विषय: बोली प्रक्रिया के समय लैब परीक्षण रिपोर्ट की आवश्यकता IMMS पोर्टल में संशोधित EAC तथा सामग्री के विवरण को IS एवं उसके संबंधित संशोधन वर्ष के साथ अद्यतन करने के संबंध में।

लिनन/बेडरोल सामग्री की खरीद से संबंधित एक शिकायत मामले की जाँच के आधार पर निम्नलिखित बातें सामने आई:-

i) यह पाया गया कि लिनन/बेडरोल सामग्री की खरीद हेतु GeM निविदा के विरुद्ध लैब परीक्षण रिपोर्ट की आवश्यकता बोली शर्त के साथ ही अनिवार्य रूप से लागू किया गया था। इसे भंडार विभाग पूर्व मध्य रेल द्वारा **Buyer Specific Terms and Conditions** अंतर्गत एक विशेष बोली शर्त के रूप में लागू किया गया, जिसका पाठ निम्नलिखित रूप में है:

“बोलीदाताओं को अपने प्रस्ताव के साथ अनिवार्य रूप से उनकी ILAC/NABL/केंद्रीय सरकार मान्यता प्राप्त लैब परीक्षण रिपोर्ट, जिसमें उपलब्ध विवरण और GeM पोर्टल पर उनके आइटम की GeM विनिर्देश में उल्लिखित विवरण शामिल हों, अपलोड करनी होगी, अन्यथा प्रस्ताव को सीधे अस्वीकार कर दिया जाएगा। साथ ही, संबंधित लैब के लिए ILAC/NABL/केंद्रीय सरकार, जैसा भी लागू हो, द्वारा जारी मान्यता प्रमाणपत्र को भी बोली के साथ अपलोड करना होगा।”

यह देखा गया कि उपरोक्त शर्त गुणवत्तापूर्ण सामग्री की खरीद सुनिश्चित करने में सहायक नहीं है, बल्कि संभावित आपूर्तिकर्ताओं

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No - 03/2025



Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

No. ECR/Vig./System Improvement/50
PCMM
E.C.Railway,
Hajipur.

Date: 07.01.2025

Sub : Requirement of lab test report at the time of bidding stage, updating of description of materials with IS and its corresponding year of revision, and revised EAC in IMMS Portal.

Based on the investigation of a complaint case related to procurement of linen/bed rolls items:-

i) It was found that the bid condition regarding requirement for a lab test report has invariably been enforced against a GeM tender for procurement of Linen/Bed roll items through a special bid condition under Buyer specific terms and condition by Stores Department/ECR, which is stated verbatim as below:

“Bidders will have to upload along with the offer, their ILAC/NABL/Central Government accredited lab test report available with details and as mentioned in GeM specification of their item appearing on GeM Portal, else the offer will be summarily rejected. Also, certificate of accreditation by ILAC/NABL/Central Govt, as the case may be, for the subject lab should be uploaded with the bid”.

It has been observed that the above-mentioned condition does not contribute in procuring quality materials and instead leads to the unnecessary rejection of offers of

के प्रस्तावों को अनावश्यक रूप से अस्वीकार करने की ओर ले जाती है, भले ही उनके पास निविदा सामग्री की आपूर्ति की पर्याप्त क्षमता और योग्यता हो। यह सीमा संभावित बोलीदाताओं के बीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बाधित करती है।

अतः यह अत्यावश्यक है कि इस शर्त की समीक्षा की जाए ताकि एक उत्तम न्यायसंगत एवं प्रभावी खरीद प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके।

ii) यह भी पाया गया कि सामग्री का विवरण एवं EAC इस मामले में **MMIS** में अद्यतन नहीं किया गया था। निविदा सामग्री को पुराने IS विनिर्देश IS: 745/90 (जैसा कि **MMIS** में उपलब्ध है) के साथ दिखाया गया, जबकि वस्त्र— हैंडलूम कॉटन बेडशीट— विनिर्देश हेतु संशोधित IS: 745/2021/29-06-22 से लागू है, जोकि इस GeM निविदा (प्रकाशन तिथि 15-07-22) से पहले का है। इसके बजाय, निविदा सामग्री को IS: 745 के साथ प्रकाशित किया गया, जिसमें संशोधन वर्ष का उल्लेख नहीं था। इसके अतिरिक्त, विभिन्न **TC** मिनट्स (वाहे JAG स्तर पर या SAG स्तर पर) में इसे **IMMS** के आधार पर IS: 745/90 के रूप में ही दर्शाया गया।

iii) इस मामले में निविदा सामग्री हेतु मॉग का पूर्वानुमान **MMIS** के माध्यम से उत्पन्न मॉग की EAC को बदलकर किया गया। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि CA की स्वीकृति के बाद EAC को **MMIS** में अद्यतन नहीं किया गया।

इन दोनों पहलुओं को **IMMS** में अद्यतन करना आवश्यक है ताकि IS विनिर्देश के नवीनतम संशोधन का समावेश हो सके तथा खरीद प्रक्रिया के दौरान सामग्री का सही पूर्वानुमान सुनिश्चित किया जा सके।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में, यह सलाह दी जाती है कि सभी संबंधितों को उपयुक्त निर्देश जारी करने का कष्ट करें तथा इस विषय पर निर्गत प्रणाली सुधार पत्र की प्रति इस कार्यालय को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु अवगत कराने का कष्ट करें।

इस विषय पर वरिष्ठ उप महाप्रबंधक/पूरमे/हाजीपुर का अनुमोदन प्राप्त है।

(उदयाचल कुमार)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/भंडार
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

✱

prospective bidders, despite their proven capacity and capability to supply the bid items. This limitation stifles fair competition among prospective bidders.

Therefore, it is imperative that this condition should be reviewed to ensure a more equitable and effective procurement process.

ii) It was also found that Description of materials& EAC was not updated in the instant case in the MMIS, the bid item was found with the older IS specification of IS: 745/90(as per MMIS) whereas revised IS: 745/2021 for Textiles % Handloom Cotton Bed Sheets% Specification has been applicable since 29.06.22, well before the date of publishing of instant GeM bid dt.15.07.22. Instead, the bid item was published with IS: 745 without indicating the year of revision. Further in various TC minutes, whether at the JAG level or SAG level, it has been shown as IS: 745/90 based on the IMMS.

iii) In the instant case forecasting of materials for the bid items was done by altering the EAC of Demand generated through MMIS. It clearly indicates that EAC was not updated in the MMIS after approval of CA.

These two aspect needs to be updated in IMMS to ensure inclusion of the latest revision of IS specification as well as to ensure the correct forecasting of materials during procurement.

In view of above, it is advised that a suitable instruction may please be issued to all concerned and a System Improvement letter issued on these matters may please be appraised to this office for further needful action at this end.

This has been issued with approval of SDGM/ECR/HJP.

(Udyachal Kumar)

Dy. Chief Vigilance Officer/Stores
for General Manager/Vigilance

*

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.-04 / 2025



कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर - 844101

सं.-ई.सी.आर./सतर्कता/प्रणाली सुधार/50

दिनांक: 27.01.2025

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

पूर्व मध्य रेल,

हाजीपुर।

विषय: चिकित्सा विकोटीकरण/आईएमजी की दिशा में प्रणाली सुधार उपाय।

चिकित्सा विकोटीकरण/आईएमजी से संबंधित मामलों की जाँच के दौरान, यह नोट किया गया कि सुरक्षा श्रेणियों के रेलवे कर्मचारियों के बीच संगठन के भीतर आकर्षक नौकरियाँ पाने के लिए अनैतिक साधनों का उपयोग करने की प्रवृत्ति है, जैसे कि मौजूदा सुरक्षा श्रेणियों में बीमारी का बहाना बनाकर स्वयं को चिकित्सा रूप से अयोग्य घोषित करना।

ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, रेलवे बोर्ड ने दिनांक 31.12.2013 को जारी दिशा-निर्देश में कहा है कि जिस कर्मचारी को उसकी मौजूदा चिकित्सा श्रेणी से हटाया गया है, उसे गुड्स क्लर्क/बुकिंग क्लर्क आदि जैसे आकर्षक पदों में नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन हाल के सतर्कता की निवारक जाँच में पाया गया है कि उपरोक्त दिशानिर्देशों का पूर्व मध्य रेलवे में अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

इस संदर्भ में, सलाह दी जाती है कि स्थायी मंडलीय स्क्रीनिंग समिति को उपरोक्त दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया जाए।

जारी किए गए निर्देशों की एक प्रति इस कार्यालय को सूचना और रिकॉर्ड के लिए भेजी जाए।

(उदयाचल कुमार)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/मंडार
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

*

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No - 04/2025



Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

No. ECR/Vig./System Improvement/50

Date: 27.01.2025

Principal Chief Medical Director
East Central Railway,
Hajipur.

Sub : System Improvement Measures towards Medical
decategorisation/AEMG.

During investigation of cases pertaining to Medical decategorisation/AEMG of officials belonging to safety categories, it was noted that there is a tendency among Railway officials of safety categories to get attractive jobs within the organization by using unfair means like getting himself declared as not medically fit in their existing safety categories through malingering etc.

In order to prevent such cases, RB vide L/No. 2013/H/5/1/Policy dated 31.12.13 has issued guideline that the employee who has been decategorized from his existing medical category should not be absorbed in an attractive post like Goods clerk/Booking clerk etc. But it has been found in the recent Preventive checks of Vigilance that the above guidelines are not being followed in ECR.

In view of above, it is advised to instruct the standing divisional screening committee to ensure strict adherence of the above guidelines scrupulously. A copy of instructions issued may be sent to this office for information and record.

(Udyachal Kumar)

Dy. Chief Vigilance Officer/Stores
for General Manager/Vigilance

*

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.-05 / 2025



कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर - 844101

सं.-ई.सी.आर./सतर्कता/प्रणाली सुधार/50

दिनांक: 27.01.2025

प्रमुख मुख्य चिकित्सा निदेशक

**पूर्व मध्य रेल,
हाजीपुर।**

विषय: चिकित्सा विकोटीकरण/एईएमजी के प्रति प्रणाली सुधार उपाय।

सुरक्षा श्रेणी के कर्मचारियों के चिकित्सा विकोटीकरण/एईएमजी से संबंधित मामलों की जाँच के दौरान यह पाया गया कि एक व्यक्ति जो गंभीर सर्वाइकल स्पोडिलाईटिस से ग्रस्त था और दूसरा व्यक्ति जो गंभीर इडियोपैथिक जेनेरलाइज्ड-इपिलेप्सी से पीड़ित था, अपने पीएमई में पास करने में सफल रहे क्योंकि न तो उनके पूर्व चिकित्सा इतिहास को ध्यान में रखा गया था और न ही उनके द्वारा पहले की उपयोग की गई चिकित्सा छुट्टियों को, ऐसे पीएमई में दर्ज किया गया। भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए, किसी भी उत्तरवर्ती चिकित्सा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित प्रणाली सुधार उपायों का सुझाव दिया गया है:-

- (i) मंडल रेलवे अस्पतालों/स्वास्थ्य इकाइयों/सीएसएसएच द्वारा किए गए कर्मचारियों के अंतिम चिकित्सा परीक्षा के परिणामों को चिकित्सीय परीक्षण के दौरान माँगा जाना चाहिए और ऐसी चिकित्सा परीक्षा (पीएमई/एसएमई/मेडिकल बोर्ड) की रिपोर्ट तैयार करते समय उन में उल्लिखित तथ्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No - 05/2025



Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

No. ECR/Vig./System Improvement/50

Date: 27.01.2025

**Principal Chief Medical Director
East Central Railway,
Hajipur.**

Sub System Improvement Measures towards
Medical decategorisation/AEMG.

During investigation of cases pertaining to Medical decategorisation /AEMG of officials belonging to safety categories, it was noted that one person suffering from severe cervical spondylitis and another suffering from severe Idiopathic generalized epilepsy passed their PME due to the reason that neither their past medical history nor leaves already availed by them on medical ground were taken on account during such PMEs. In order to avoid reoccurrence of such cases further, following system improvement measures in the course of any subsequent medical examination are suggested:-

- (i) Findings of last medical examinations of the official carried out by DRHs/Health Units/CSSH should be called for and the facts stipulated in them should be taken into account while preparing report of such Medical Examination (PME/SME/Medical Board).

- (ii) चिकित्सा आधार पर संबंधित अधिकारी द्वारा पहले से ली गई छुट्टियों को भी मॉंगा जाना चाहिए और उनमें उल्लिखित तथ्यों पर भी विचार किया जाना चाहिए।
- (iii) A-1 चिकित्सा श्रेणी के कर्मचारियों से आईआरएमएम 2000 के अनुच्छेद 520 के अनुच्छेद-VIII में निर्धारित प्रारूप में घोषणा ली जानी चाहिए। अन्य चिकित्सा परीक्षा मामलों में भी कर्मचारियों से उनकी सभी बीमारियों की घोषणा करने के लिए कहा जाना चाहिए, जिसमें उन बीमारियों की अवधि का उल्लेख हो।
- (iv) सामान्यतः, उपचार करने वाले डॉक्टर को डिवीजनल चिकित्सा बोर्ड (डीएमसी) का सदस्य नामित नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें अपवादित मामलों में नामित किया जाना चाहिए जिसके लिए विशिष्ट कारण रिकॉर्ड किया जाना चाहिए।
- (v) चिकित्सा आधार पर वैकल्पिक रोजगार की सिफारिश एक उत्तरवर्ती अवस्था है। इससे पहले, आईआरएमएम के पैरा 561 (ए) के अनुसार हल्की ड्यूटी की सिफारिश की जानी चाहिए।
- (vi) चिकित्सा प्रमाण पत्र/रिपोर्ट जारी करते समय, संबंधित चिकित्सक को अपना नाम, पद और दिनांक स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए ताकि सही पहचान हो सके।
- (vii) चिकित्सा बोर्ड की स्थापना, आयोजन और रिपोर्ट को स्वीकृत करने के संबंध में L/No- 2010/H/5/12 दिनांक 14.06.2010, 07.05.2014 और 29.04.2015 द्वारा जारी रेलवे बोर्ड की सलाह को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

उपरोक्त प्रणाली सुधार सुझाव को ईमानदारी पूर्वक लागू किया जाना चाहिए। जारी किए गए निर्देश की एक प्रति इस कार्यालय को जानकारी और रिकॉर्ड के लिए भेजी जानी चाहिए।

(उदयाचल कुमार)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/भंडार
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

✱

- (ii) Leaves already availed by concerned official on medical ground should also be called for and the facts stipulated in them should also be considered.
- (iii) Declaration in a format prescribed at Annexure-VIII of para 520 of the IRMM 2000 should be taken from officials of A-1 Medical Category. In other medical examination cases also, the officials should be asked to declare his all diseases indicating period of such diseases.
- (iv) Normally, treating doctor should not be nominated as a member of Divisional Medical Board (DMC). They should be nominated in exceptional cases for which specific reasons should be recorded.
- (v) Recommendation of alternate employment on medical ground is a subsequent stage. Before that, light duty should be recommended in terms of para 561(A) of the IRMM.
- (vi) While issuing medical certificates/reports, the concerned doctor should mention his name , designation and date clearly for proper identification.
- (vii) Implementation of advice of RB with respect to setting up and holding of Medical Board and acceptance of its report as circulated vide-L/No. 2010/H/5/12 Dtd. 14.06.10, 07.05.14 & 29.04.15 must be ensured.

The above system improvement suggestion may be implemented scrupulously. A copy of instructions issued may be sent to this office for information and record.

(Udyachal Kumar)

Dy. Chief Vigilance Officer/Stores
for General Manager/Vigilance

*

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.-06 / 2025



कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर - 844101

सं.-ई.सी.आर./विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक: 17.03.2025

प्रधान मुख्य अभियंता

पूर्व मध्य रेल,

हाजीपुर।

विषय: स्क्रेप पी.एस.सी. स्लीपर की निस्तारण संबंधी प्रणाली सुधार के संबंध में

रेलवे बोर्ड द्वारा पत्र संख्या 2015/RS/S/709/5 दिनांक 18.06.2019 के माध्यम से केवल ई-ऑक्शन द्वारा स्क्रेप पी.एस.सी. स्लीपर की निस्तारण हेतु निर्देश जारी किए गए थे। उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार, जौनल रेल के सी. टी.ई. स्क्रेप पी.एस.सी. स्लीपर को "जैसा है वैसा" (as is where is basis) आधार पर बेचने का निर्णय ले सकते हैं। यदि रेलवे परिसर में इन्हें तोड़ने की अनुमति आवश्यक हो, तो इसे मामला-दर-मामला के आधार पर, संबंधित वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं उसमें उल्लिखित कई शर्तों के अधीन ही किया जा सकता है।

जॉच के दौरान यह पाया गया कि पूर्व मध्य रेल के एक मंडल में पी. एस.सी. स्लीपर का निस्तारण, अनुपयोगी पी.एस.सी. स्लीपर को तोड़कर किया गया, जो कि उपर्युक्त रेलवे बोर्ड निर्देशों, एस.ओ.पी. तथा प्रस्ताव पर लेखा विभाग द्वारा की गई आपत्तियों को दरकिनार कर किया गया।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त रेलवे बोर्ड पत्र को सभी संबंधितों में प्रसारित करने एवं उसके शीघ्र अनुपालन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने की कृपा की जाए।

इस संबंध में की गई कार्रवाई की जानकारी इस कार्यालय को अवगत कराने की कृपा करें।

संलग्नक : यथोक्त

(उदयाचल कुमार)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (भंडार)

कृते महाप्रबंधक / सतर्कता

*

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No - 06/2025



Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

No. ECR/Vig./System Improvement/50

Date: 17.03.2025

**Principal Chief Engineer
E.C.Railway,
Hajipur.**

Sub : System improvement regarding disposal of scrap PSC sleeper

Railway Board had issued the instruction for disposal of scrap PSC sleeper only through E-auction vide RB letter number 2015/RS(S)/709/5 dated 18.06.2019 (Copy enclosed) as per which CTE of Zonal Railways can decide to sell scrap PSC sleepers on "as is where is basis". In case permission of breaking the same on railway premises is required, the same can be done on case to case basis, with the concurrence of their associated finance and subjected to several conditions mentioned therein.

During the course of investigation, it has been observed that disposal of PSC sleeper was done in a division of ECR by breaking of U/S PSC sleeper in violating the RB instruction, SOP and over ruling accounts observation made on the proposal.

It is requested to issue necessary guidelines to all concerned for circulation of above Railway Board letter and quick implementation.

Action taken in this regard may please be advised to this office.

DA:- As above

(Udyachal Kumar)

Dy. Chief Vigilance Officer/Stores
for General Manager/Vigilance

*

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.-07 / 2025



कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर - 844101

सं.-ई.सी.आर./सतर्कता/प्रणाली सुधार/50

दिनांक: 09.04.2025

प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक

पूर्व मध्य रेल,

हाजीपुर।

विषय: अनुबंधों में माइलस्टोन आधारित भुगतान व्यवस्था को शामिल करने हेतु प्रणाली सुधार संबंधी पत्र।

विद्युत/पावर हाउस/पटना जंक्शन पर एयर कंडीशनिंग यूनिट की आपूर्ति के संबंध में GeM अनुबंध संख्या GEMC & 511687706052470 दिनांक 04.06.2024 के अंतर्गत भुगतान विवाद की जाँच के दौरान यह पाया गया कि अनुबंध की आपूर्ति की परिधि में सामग्री की आपूर्ति के अतिरिक्त इंस्टॉलेशन, परीक्षण एवं कमीशनिंग भी शामिल थी। GeM अनुबंध में भुगतान की शर्तें स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं थीं, जबकि iMMS के अंतर्गत जारी क्रय आदेश में भुगतान की शर्त "100% सामग्री की प्राप्ति एवं स्वीकृति के उपरांत" अंकित थी।

अनुबंध में उल्लिखित आपूर्ति की शर्तों के अनुसार, सामग्री की स्वीकृति तभी मानी जा सकती है जब उसका इंस्टॉलेशन, परीक्षण एवं कमीशनिंग पूर्ण हो। यद्यपि फर्म द्वारा सामग्री की आपूर्ति 12.07.2024 को कर दी गई थी, विभिन्न कारणों से इंस्टॉलेशन में विलंब हुआ, जिससे CRAC

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No - 7/2025



Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

No. ECR/Vig./System Improvement/50

Date: 09.04.2025

PCMM

E.C. Railway,

Hajipur.

Sub : System improvement letter about inclusion of milestone based Payment

During the course of investigation regarding a dispute in payment for supply of air conditioning units at Electrical/Power House/Patna Jn. against GeM Contract No.: GEMC-511687706052470 dt 04.06.2024 it has been observed that the scope of supply in contract included Installation, testing and commissioning of the air conditioners in addition to the supply of material. Payment terms were not mentioned in the GeM Contract, while the iMMS coverage P.O. had payment terms mentioned as “ 100% ON RECEIPT AND ACCEPTANCE OF MATERIALS BY CONSIGNEE”.

The acceptance of the material could be established only if the material is installed, tested and commissioned as per the scope of supply incorporated in the contract. Although the firm had supplied the material on 12.07.2024, due to various reasons the installation of material was delayed, which resulted in delay in issuance

(Consignee Receipt and Acceptance Certificate) जारी करने में भी देरी हुई। फलस्वरूप बिल की प्रक्रिया में विलंब हुआ और अंततः फर्म को भुगतान 30.10.2024 को किया गया। कंसाइनी द्वारा इंस्टॉलेशन एवं कमीशनिंग में हुई देरी को भुगतान में विलंब का कारण बताया गया। जबकि GeM की नवीनतम GTC (General Terms and Conditions) के पैरा 11(i) में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि "प्राप्ति की तिथि वह होगी जो Provisional Receipt Certificate (PRC) में दर्शाई गई है, जिसे कंसाइनी द्वारा **वस्तु प्राप्ति के तुरंत बाद** ऑनलाइन जारी किया जाएगा।"

इससे भुगतान में विवाद उत्पन्न हुआ। जाँच में यह भी पाया गया कि GeM ने ऐसे अनुबंधों के लिए माइलस्टोन आधारित भुगतान व्यवस्था प्रारंभ की है, जिनमें आपूर्ति के साथ इंस्टॉलेशन, परीक्षण एवं कमीशनिंग भी शामिल हैं। माइलस्टोन आधारित भुगतान व्यवस्था लागू करने से विवादों के समाधान में सहायता मिलेगी तथा अनुबंध के विभिन्न चरणों में कार्य निष्पादन में हुई त्रुटियों पर दंडात्मक कार्रवाई भी संभव होगी।

अतः यह अनुशंसा की जाती है कि ऐसे GeM अनुबंधों, जिनमें आपूर्ति के साथ इंस्टॉलेशन, परीक्षण एवं कमीशनिंग शामिल हो, में माइलस्टोन आधारित भुगतान व्यवस्था को शामिल करने की संभावना को इंडेंटर से परामर्श करके सम्मिलित/लागू किया जाए। प्रत्येक चरण/माइलस्टोन के पूर्ण होने पर भुगतान की प्रतिशत राशि को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए, जिससे अनुबंध प्रबंधन अधिक प्रभावी रूप से किया जा सके।

इस विषय पर वरिष्ठ उप महाप्रबंधक/पूमरे/हाजीपुर का अनुमोदन प्राप्त है।

(उदयाचल कुमार)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/भंडार
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

✱

of CRAC(Consignee Receipt and Acceptance Certificate). The processing of the bill got further delayed and finally payment to the firm was made on 30.10.2024. The consignee cited installation and commissioning delays as the reason. While the latest version of GeM GTC (General Terms and conditions) Para 11 (i.) clearly states that *“The date of receipt shall be reckoned from the date of receipt of the Goods as notified in the Provisional Receipt Certificate (PRC) which will be issued online by consignee **immediately after receipt of Goods.**”* This led to a dispute in payment to the firm.

The investigation further revealed that GeM has introduced milestone-based payments for contracts involving supply, installation, testing, and commissioning. Implementing milestone payments would enhance dispute resolution and enable the imposition of penalties for inefficiencies at specific contract stages.

Therefore it is recommended that appropriate instruction may please be issued to ensure that *“The GeM Contracts involving supply, installation, testing and commissioning as scope of supply, the possibility of inclusion of milestone based payment should be explored in consultation with the indenter, precisely defining payment percentages to be made after completion of each stage/milestone. This will facilitate more effective contract management in subsequent stages.”*

This has been issued with the approval of SDGM/ECR/HJP.

(Udyachal Kumar)

Dy. Chief Vigilance Officer/Stores
for General Manager/Vigilance

✱

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.-08 / 2025



कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर - 844101

सं.-ई.सी.आर./सतर्कता/प्रणाली सुधार/50

दिनांक: 08.04.2025

पीसीएमएम, पीसीएमई और पीसीईई
पूर्व मध्य रेल,
हाजीपुर।

विषय: आईएसआई चिह्नित उत्पादों की खरीद के संबंध में व्यवस्था में सुधार।

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या RS/G/709/4 दिनांक 05.11.2015 (प्रति संलग्न) के अनुसार, ISI विनिर्देश के अनुसार खरीदी जाने वाली सभी वस्तुओं के लिए, क्रय अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि क्या वे ISI प्रमाणित निर्माता हैं या नहीं। यदि आईएसआई प्रमाणित निर्माता मौजूद हैं, तो निम्नलिखित प्रक्रिया के बाद खरीद केवल आईएसआई चिह्नित उत्पादों तक ही सीमित होगी।

“वस्तु की खरीद केवल आईएसआई चिह्नित उत्पादों के लिए की जाएगी।” तदनुसार, ऐसी वस्तुओं के लिए, खरीद केवल आईएसआई चिह्नित उत्पादों तक ही सीमित होगी।

2. पूर्व मध्य रेल के एक मंडल में एक वस्तु की खरीद के मामले की जाँच के दौरान, एक क्रय अधिकारी द्वारा GeM के माध्यम से बोली आमंत्रित की गई, जिसमें गैर-बीआईएस फर्म को भाग लेने की अनुमति दी गई थी। बीआईएस-मार्किंग और गैर-बीआईएस-मार्किंग दोनों फर्मों से प्रस्ताव प्राप्त हुए। सभी प्रस्तावों के लिए प्राप्तकर्ता द्वारा तकनीकी उपयुक्तता प्रदान की गई थी और ऑर्डर गैर-बीआईएस-मार्किंग फर्म को दिया गया था।

अतः, अनुरोध है कि भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए आवश्यक निर्देश/दिशानिर्देश जारी किए जाएँ।

कृपया इस संबंध में की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत कराएँ।

(उदयाचल कुमार)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/भंडार
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

*

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No - 08/2025



Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

No. ECR/Vig./System Improvement/50
PCMM, PCME & PCEE
East Central Railway,
Hajipur.

Date: 08.04.2025

Sub : System improvement regarding procurement of ISI
marked product.

As per Railway Board letter No RS(G)/709/4 dated 05.11.2015 (copy enclosed). for all items which are to be purchased to IS specification, the purchase officer will ascertain whether for the given them, these are ISI certified manufacturer or not. If there exists ISI certified manufactures, then the following then the purchase will be restricted to ISI marked product only.

“Purchase of the item will be made for ISI marked product only”
Accordingly, for such items, the purchase will be restricted to ISI marked product only.

2. During the course of investigation of a case of procurement of an item in a division of ECR, the bid was invited through GeM by a purchase officer, wherein Non-BIS firm was permitted for participation. Offers were received from both BIS-Marking and Non BIS-Marking firms. Technical suitability was given by the Consignee to all offers and the order was placed on the Non BIS-Marking firm.

Hence, it is requested to issue necessary instructions/
guideline to avoid such situation in future.

Action taken in this regard may please be appraised to this
office.

(Udyachal Kumar)

Dy. Chief Vigilance Officer/Stores
for General Manager/Vigilance

*

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.-10 / 2025



कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर - 844101

सं.-ई.सी.आर./सतर्कता/प्रणाली सुधार/50
प्रधान वित्त सलाहकार
पूर्व मध्य रेल,
हाजीपुर।

दिनांक: 28.05.2025

विषय: पी०पी०ओ० में रेलवे पेंशनधारकों और पारिवारिक पेंशनधारकों के पूर्ण विवरण भरने हेतु प्रणाली सुधार से संबंधित पत्र।

पूर्व-मध्य रेल के मंडल कार्यालयों में निवारक जांच के दौरान यह पाया गया कि पेंशनधारकों के विवरण यानी आधार संख्या, पैन आदि पी०पी०ओ० के संबंधित कॉलम में दर्ज नहीं थे, जबकि ये विवरण पेंशनधारकों द्वारा बैंक शाखा में जमा किए गए जीवन प्रमाण-पत्र में उपलब्ध हैं। इसके अलावा यह भी देखा गया कि पारिवारिक पेंशनधारकों की जन्म तिथि और आधार संख्या जैसे विवरण भी उन पी०पी०ओ० में नहीं दर्ज किए गए थे।

रेल सेवा (पेंशन) नियमों के अनुसार, पेंशनधारकों/पारिवारिक पेंशनधारकों की आयु के आधार पर पेंशन/पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाता है।

यदि पी०पी०ओ० में जन्म तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है, तब बैंक को भेजी गयी जानकारी अछूरी होगी जिससे पारिवारिक पेंशनधारकों की अतिरिक्त/बढ़ी राशि प्रभावित हो सकती है। फलस्वरूप भविष्य में पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतान में अनियमितता या त्रुटि हो सकती है।

उपरोक्त के आलोक में यह सुझाव दिया जाता है कि सभी इकाइयों को एक प्रणाली सुधार पत्र भेजा जाए, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाए कि पेंशनधारकों के विवरण जैसे आधार संख्या, पैन, आश्रित पारिवारिक सदस्य की जन्मतिथि तथा अन्य प्रासंगिक कॉलम जो पेंशन की राशि को प्रभावित कर सकते हैं, का उल्लेख पी०पी०ओ० में अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाए।

इस विषय पर वरिष्ठ उप महाप्रबंधक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(अमित कुमार सिंह)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/लेखा
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

*

***** (१) *****

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No - 10/2025



Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

No. ECR/Vig./System Improvement/50

Date: 28.05.2025

PFA
E.C.Railway.
Hajipur.

Sub : System improvement letter regarding filling up complete details of Railway Pensioners and Family Pensioners in PPOs.

During an investigation conducted as part of in a preventive check in Divisions of ECR, it was observed that the Pensioner's details i.e. Aadhar number, PAN etc. were not filled in the relevant columns of the issued PPOs, even though these details were mentioned in the Life Certificate submitted by the pensioners to the pension paying bank branch. It was further observed that the details such as Date of Birth and Aadhar number of the family pensioner were also not filled in these PPOs.

As per Railway Service (Pension) Rules, the additional quantum of pension/family pension is paid with reference to the age factor of the pensioner/family pensioner.

In the absence of the Date of Birth in the PPO's sent to the bank, the amount of additional/enhanced family pensioner's may be impacted. As such, irregularity or incorrect payment of pension/family pension may occur in future.

In light of the above, it is suggested that a system improvement letter may be issued to all units directing them to ensure that the pensioner's details including Aadhar number, PAN, Date of Birth of dependent family and other relevant columns may effect the pension should be duly filled in that PPOs.

This is issued with the approval of the SDGM.

(Amit Kumar Singh)

Dy. Chief Vigilance Officer (A)
for General Manager/Vigilance

*

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.-11 / 2025



कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर - 844101

सं.-ई.सी.आर./सतर्कता/प्रणाली सुधार/50

दिनांक: 09.06.2025

प्रमुख मुख्य चिकित्सा निदेशक
पूर्व मध्य रेल,
हाजीपुर।

विषय: नकद इम्प्रेस्ट (Cash Imprest) के रख-रखाव हेतु
प्रणालीगत सुधार।

निवारक जाँच के आधार पर सतर्कता टीम द्वारा दानापुर मंडल के अंतर्गत स्वास्थ्य इकाइयों (Health Units) में स्वीकृत नकद इम्प्रेस्ट का उपयोग, दवाइयों तथा चिकित्सीय उपकरणों की खरीद के संदर्भ में की गई विस्तृत जाँच के पश्चात यह तथ्य सामने आया कि नकद इम्प्रेस्ट से किए गए व्यय का विवरण दर्ज करने हेतु बनाए गए रजिस्टर का रख रखाव ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा था। साथ ही, दवाइयों एवं चिकित्सीय उपकरणों की खरीद हेतु निकाली गई राशि को व्यक्तिगत नकद राशि के साथ मिली हुई पाई गई। भारतीय रेल वित्त संहिता, खंड-I के पैरा 1054 में निहित प्रावधान के अनुसार, इम्प्रेस्ट धारक को समय पर प्रत्येक इम्प्रेस्ट की कुल राशि का प्रमाण (वाउचर या नकद रूप में) प्रस्तुत करने की स्थिति में रहना चाहिए।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में निर्देशित किया जाता है कि सभी संबंधित अधिकारियों को उपयुक्त निर्देश जारी किए जाएँ, ताकि नकद इम्प्रेस्ट से किए गए व्यय का विवरण दर्ज करने हेतु रजिस्टर संधारित किया जा सके। यह रजिस्टर नकद इम्प्रेस्ट के उपयोग के अनुरूप क्रमवार रूप से अद्यतन किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, इम्प्रेस्ट राशि को व्यक्तिगत नकद राशि के साथ मिश्रित नहीं किया जाना चाहिए तथा पैरा 1054 में उल्लिखित प्रावधान का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

इस संबंध में जारी किए गए प्रणाली सुधार पत्र की प्रति इस कार्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए।

इस विषय पर वरिष्ठ उप महाप्रबंधक/पूमरे/हाजीपुर का अनुमोदन प्राप्त है।

(उदयावल कुमार)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/भंडार
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

*

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No - 11/2025



Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

No. ECR/Vig./System Improvement/50

Date: 09.06.2025

PCMD

E.C. Railway,

Hajipur.

Sub : System improvement for maintenance of cash imprest.

Upon detailed investigation of a case based on preventive checks conducted by vigilance team in the Health Units (HUs) under DNR division regarding utilization of sanctioned cash imprest for procurement of medicines and medical equipment etc, it has been revealed that register maintained to record detailed particulars of expenditure incurred from cash imprest was not being properly maintained. Also, the money drawn for purchase of medicines and medical equipment was found to be mixed with personal cash. As per the provision contained in Para 1054 of the Indian Railway Finance Code, Volume-I, the imprest holder must at all times be in a position to produce the total amount of the imprest either in the form of vouchers or in cash.

In view of above, it is advised that suitable instructions may please be issued to all concerned for maintaining a register to record detailed particulars of expenditure incurred from cash imprest. This register should be updated in a sequential manner corresponding to the utilization of cash imprest. Additionally, the imprest money must not be mixed with personal cash, and provision laid down under para-1054 may be followed diligently.

The System Improvement Letter issued on this matter may please be submitted to this office for further necessary action.

**This has been issued with approval of SDGM/ECR/
HJP.**

(Udyachal Kumar)

Dy. Chief Vigilance Officer/Stores
for General Manager/Vigilance

*

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.-12/2025



कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर - 844101

सं.-ई.सी.आर./सतर्कता/प्रणाली सुधार/50

दिनांक: 09.07.2025

प्रमुख मुख्य चिकित्सा निदेशक

पूर्व मध्य रेल,

हाजीपुर।

विषय: निजी डायग्नोस्टिक केंद्रों के पैनलीकरण संबंधित प्रणाली सुधार पत्र।

निजी डायग्नोस्टिक केंद्रों के मंडल रेल अस्पताल/दानापुर के पैनल में शामिल होने से संबंधित एक मामले की जाँच के दौरान यह पाया गया कि— मंडल रेल अस्पताल/दानापुर ने निम्नलिखित सेवाओं के लिए परफार्मेंस बैंक गारंटी (PBG) प्राप्त की थी:

- (i) अतुल्यम डायग्नोस्टिक – USG सेवाओं के लिए
- (ii) बिहार डायग्नोस्टिक्स – पैथोलॉजिकल सेवाओं के लिए

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2021/H-1/11/10/MOU दिनांक 22.11.2021 और 03.06.2022 के अनुसार यह उपाय कुशल सेवा वितरण सुनिश्चित करता है और संभावित चूक, जैसे सेवा से इनकार या अधिक बिलिंग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन, दूसरी ओर PBG जमा नहीं किया गया है :-

- (i) अतुल्यम डायग्नोस्टिक – C-T-Scan/MRI सेवाओं के लिए और
- (ii) प्राइमस्कैन इमेजिंग – USG के साथ-साथ C-T-Scan/MRI सेवाओं के लिए।

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No - 12/2025



Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

No. ECR/Vig./System Improvement/50

Date: 09.07.2025

**Principal Chief Medical Director
East Central Railway,
Hajipur.**

Sub: System Improvement Measures towards
empanelment of Private Diagnostic centers.

During investigation of a case pertaining to empanelment of Private Diagnostic centers at DRH/DNR, It was observed that-

DRH/DNR had secured Performance Bank Guarantees (PBGs) for the following services:

- (i) Atulyam Diagnostic for USG services
- (ii) Bihar Diagnostics for Pathological services

This measure ensures efficient service delivery and safeguards against potential defaults, such as refusal of service or overbilling, in accordance with Railway Board's letters No. 2021/H-1/11/10/MOU dated 22.11.2021 & 03.06.2022" But, on the other hand PBG had not been deposited by-

- (i) Atulyam Diagnostic for C.T.Scan/MRI services and
- (ii) Primescan Imaging for USG as well as C.T.Scan/MRI services.

संबंधित डायग्नोस्टिक केंद्रों को DRH/DNR द्वारा शेष PBG जमा करने के लिए कई अनुस्मारक पत्र दिए गए, लेकिन उन्होंने जाँच की तिथि तक इसे जमा नहीं किया।

यह अनियमितता, प्रणाली की विफलता के कारण हो सकती है जिसमें उपरोक्त अनुबंध से संबंधित कार्य-आदेश में PBG जमा करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी।

भविष्य में समान मामलों को रोकने के लिए, PCMD से अनुरोध किया गया है कि निम्नलिखित उपायों के लिए एक सिस्टम सुधार पत्र (SIL) जारी करें:-

एक ऐसी प्रणाली अपनाई जा सकती है जिसके तहत सूचीबद्धता से संबंधित कार्य-आदेशों में 'निष्पादन बैंक गारंटी' (पीबीजी) जमा करने के लिए एक समय सीमा को सम्मिलित किया जाए। यह कार्य "सेवाओं के लिए अनुबंध की सामान्य शर्तों (GCC for Services) के पैरा 4.11.1, पत्रांक 2018 / Trans.Cell/ service Contract, नई दिल्ली दिनांक 02.02.2018 के अनुरूप अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किए गए के अनुसार किया जा सकता है।

उपरोक्त प्रणाली सुधार सुझाव को निश्चित तौर पर लागू किया जाए। जारी किए गए निर्देशों की एक कॉपी इस कार्यालय को सूचना और रिकॉर्ड के लिए भेजी जा सकती है।

(उदयावल कुमार)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/भंडार
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

✱

Several reminders were served to concerned diagnostic canter by DRH/DNR to deposit remaining PBG, but they did not deposited the same till date of check.

This irregularity may results due to system failure in which Work order related to the above Empanelment did not contains any time-line to deposit PBG.

To prevent similar cases in the future, PCMD is requested to issue a System Improvement Letter (SIL) for the following measures-

A system may be adopted to incorporate a timeline for depositing Performance Bank Guarantees (PBGs) in work orders related to empanelment. This can be done in accordance with Para 4.11.1 of the 'General Conditions of Contract (GCC) for Services', Vide- 2018/ Trans. Cell/Mech/Service Contracts, New Delhi, Dated 02.02.2018, or as specified by the Competent Authority.

The above system improvement suggestion may be implemented scrupulously. A copy of instructions issued may be sent to this office for information and record.

(Udyachal Kumar)

Dy. Chief Vigilance Officer/Stores
for General Manager/Vigilance

*

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.-13/2025



कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर - 844101

सं.-ई.सी.आर./सतर्कता/प्रणाली सुधार/50

दिनांक: 22.07.2025

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल,
हाजीपुर।

विषय: Children Education Allowance/Hostel Subsidy के भुगतान के पश्चात् Bonafide Certificate का जाँच किये जाने के संबंध में।

सतर्कता विभाग द्वारा एक मंडल/इकाई में किए गए निवारक जाँच के दौरान पाया गया कि Children Education Allowance/Hostel Subsidy के भुगतान का संबंधित विद्यालय से जारी Bonafide Certificate का जाँच नहीं किया जा रहा है।

उपरोक्त के आलोक यह सुनिश्चित किया जाए कि "पूर्व मध्य रेल के सभी मंडल/इकाई में Children Education Allowance/Hostel Subsidy के भुगतान के पश्चात् 10% भुगतान मामले (Bonafied Certificate) की जाँच संबंधित विद्यालय से डाक/कल्याण निरीक्षक द्वारा कराना सुनिश्चित करें।" साथ ही किये गये जाँच का रिकार्ड भी पुस्तिका में अनुरक्षित किया जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त पर वरिष्ठ उप महाप्रबंधक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(अमित कुमार सिंह)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/लेखा
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

*

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.-21 / 2025



कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर - 844101

सं.-ई.सी.आर./सतर्कता/प्रणाली सुधार/50

दिनांक: 01.09.2025

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

पूर्व मध्य रेल,

हाजीपुर।

विषय: बिना लिखित आदेश के रनिंग और अन्य स्टाफ का अन्यत्र जगह पर पदस्थापना संबंधित प्रणाली सुधार पत्र।

पूर्व मध्य रेल के एक मंडल में एक परिवार के जांच के दौरान पाया गया कि केवल मौखिक आदेश पर एक रनिंग कर्मचारी को बिना रनिंग ड्यूटी कराये एक लम्बे समय तक किसी अन्यत्र जगह पर कार्य कराया जाता रहा है। जांच के दौरान कर्मचारी या संबंधित प्रशासन द्वारा ऐसी पदस्थापना संबंधी कोई भी लिखित आदेश उपलब्ध नहीं कराया जा सका, जिससे विदित होता है कि एक लम्बे समय तक रनिंग कर्मचारी के इस पद का दुरुपयोग होता रहा।

अतः मामले को संज्ञान में रखकर अनुशंसा की जाती है कि "किसी भी रनिंग और अन्य पदों पर कार्यरत रेलकर्मियों को अन्यत्र जगह पदस्थापना नियमानुसार केवल सक्षम प्राधिकारी के द्वारा लिखित आदेश प्राप्त करने के उपरांत ही किया जाए ताकि रनिंग और अन्य कर्मचारी के पद का दुरुपयोग न हो"

इस विषय पर वरिष्ठ उप महाप्रबंधक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(अमित कुमार सिंह)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/लेखा
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

*

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.-14 / 2025



कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर - 844101

सं.-ई.सी.आर./विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक: 30.07.2025

प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक

पूर्व मध्य रेल,

हाजीपुर।

विषय: आपातकालीन कोटे के अंतर्गत बर्थ आवंटन के संबंध में।

संदर्भ: सीआर/वीआईजी/वी2/कंपोजिट/मुख्यालय/डी/
पीसी/20230600393

उपर्युक्त संदर्भ के अनुपालन में, आपातकालीन कोटे के अंतर्गत बर्थ आवंटन में अनियमितताओं के पहलू पर निवारक जाँच की गई।

जाँच के दौरान, यह पाया गया कि एमआर सेल, एमओएसआर सेल और अन्य से प्राप्त कुछ अनुरोधों पर सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे और अनुरोधों में मोबाइल नंबर भी नहीं थे।

यह सलाह दी जाती है कि आपातकालीन कोटे सेल में प्राप्त किसी भी अनुरोध पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर/अग्रेषित किया जाना चाहिए।

यह सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है।

(अमित कुमार सिंह)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/लेखा
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

*

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No - 14/2025



Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

No. ECR/Vig./System Improvement/50
Principal Chief Commercial Manager
East Central Railway,
Hajipur.

Date: 30.07.2025

Sub.:- Regarding allotment of berths against Emergency
Quota.

Ref: - ECR/VIG/V2/Composite/HQ/D/PC/20230600393.

In compliance to reference cited above, a preventive check was conducted on the aspect of irregularities in allotment of berths against emergency quota.

During the course of investigation, it is found that some of the requisitions received from MR Cell, MoSR Cell & others were found without the signature of the competent authority & lacking of mobile numbers were also observed in the requisitions.

It is advised that any requisitions received in the EQ Cell should be signed /forwarded by the competent authority.

It is approved by the competent authority.

(Amit Kumar Singh)

Dy. Chief Vigilance Officer (A)
for General Manager/Vigilance

*

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.-15/2025



कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर - 844101

सं.-ई.सी.आर./सतर्कता/प्रणाली सुधार/50

दिनांक: 04.08.2025

प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक

पूर्व मध्य रेल,

हाजीपुर।

विषय: मेडिकल मेमो पर चिकित्सा श्रेणी को स्पष्ट उल्लेख करने के संबंध में प्रणाली सुधार पत्र।

सतर्कता संगठन में प्राप्त एक शिकायत की जाँच के दौरान पाया गया कि पूर्व मध्य रेल के एक मंडल चिकित्सा अस्पताल द्वारा मेडिकल मेमो जारी किया था जिसमें एक कर्मचारी की चिकित्सा श्रेणी "BYE-Two to C-1" में फिट बताई गई थी और इस पर लिखावट भी स्पष्ट नहीं था। जबकि रेलवे भर्ती बोर्ड/पटना द्वारा कर्मचारी की चिकित्सा श्रेणी "Aye-two to C-1" में फिट मॉगी गई थी। लेकिन संबंधित अस्पताल द्वारा जारी मेडिकल मेमो में चिकित्सा श्रेणी न तो A-2 है और न ही B-2 क्योंकि चिकित्सा नियमावली के अनुसार B-2 को Bye-two लिखा गया है।

भारतीय रेलवे चिकित्सा नियमावली के पैरा 521 के अनुसार, A-2 को Aye-two, B-2 को Bye-two, C-2 को Cey-two आदि लिखा जाता है। यह संभावना है कि इस प्रकार की अनियमितताएं अन्य मंडल अस्पताल/युनिट के मेडिकल मेमो में पाई जा सकती हैं।

उपरोक्त के आलोक में, यह सुझाव दिया जाता है कि सभी चिकित्सा ईकाइयों को एक प्रणाली सुधार पत्र जारी किया जाए, जिसमें उन्हें निर्देश दिया जाए कि मेडिकल मेमो पर चिकित्सा श्रेणी का उल्लेख भारतीय रेलवे चिकित्सा नियमावली के अनुसार स्पष्ट रूप से (कर्सिव अक्षर का प्रयोग न करते हुए) जैसे Aye-one, Aye-two, Bee-One, Bee-Two, Cey-One, Cey-Two आदि के साथ-साथ प्रतीकात्मक रूप में जैसे A-1, A-2, B-1, B-2, C-1, C-2 आदि का उपयोग किया जाना चाहिए।

इस पर वरिष्ठ उप महाप्रबंधक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(अमित कुमार सिंह)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/लेखा
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

*

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No - 15/2025



Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

No. ECR/Vig./System Improvement/50
PCMD

Date: 04.08.2025

**East Central Railway,
Hajipur.**

Sub : System improvement letter regarding clearly mentioning
of Medical category on medical memo.

During investigation of a complaint received in Vigilance organisation, it was found that a Divisional Medical Hospital of East Central Railway has issued Medical Memo wherein Medical Category of an employee is mentioned in medical memo as fit in "Bye Two to C-1" which was not clear whereas Medical Category of an employee had been sought by RRC/Patna as fit in A-2 to C-1. But Medical Category on Medical Memo issued by concerned divisional hospital seems neither A-2 nor B-2 because B-2 is written as Bee-two as per medical manual.

As per Para 521 of Indian Railway Medical Manual, Medical Category of A-2 is written as Aye-two, B-2 is Bee-two, C-2 is Cey-two etc. It is possibility that this type of irregularities may be found in another Medical Memo of other divisional hospital/unit.

In light of the above, it is suggested that a system improvement letter may be issued to all medical units/divisions directing them that Medical Category on Medical Memo should clearly be mentioned as per IRMM using alphabet (not using cursive letter) like Aye-one, Aye-two, Bee-one, Bee-two, Cey-one, Cey-two etc as well as symbolic like-A-1; A-2; B-1, B-2; C-1; C-2 etc.

This is issued with the approval of the SDGM.

(Amit Kumar Singh)

Dy. Chief Vigilance Officer(A)
for General Manager/Vigilance

*

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.-16 / 2025



कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर - 844101

सं.-ई.सी.आर./सतर्कता/प्रणाली सुधार/50

दिनांक: 04.08.2025

महाप्रबंधक/कार्मिक
पूर्व मध्य रेल,
हाजीपुर।

विषय: अवकाश खाते से अवकाश की राशि डेबिट न करने के संबंध में सुधार प्रणाली पत्र।

पूर्व मध्य रेल के एक मंडल में स्टेशन उपस्थिति पंजिका में अनियमितताओं के पहलू पर एक निवारक जाँच के दौरान, यह पाया गया कि एक कर्मचारी वर्ष 2024 के दौरान निश्चित अवधि के लिए बीमारी अवकाश पर था। रेलवे डॉक्टर द्वारा बीमारी प्रमाण पत्र और स्वस्थता प्रमाण पत्र जारी किया गया था। स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रदान करने के बाद, संबंधित पर्यवेक्षक ने कर्मचारी को अपनी झूठी पर आने की अनुमति दी और उसे अपने सक्षम प्राधिकारी को अवकाश के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया। लेकिन उक्त कर्मचारी ने उसी अवकाश के लिए आवेदन नहीं किया और स्टेशन पर अपनी झूठी पर वापस लौटा। इस प्रकार, सतर्कता कार्यालय द्वारा जाँच किए जाने तक, उस अवधि के अवकाश की राशि उसके अवकाश खाते से डेबिट नहीं की गई। रेलवे बोर्ड के आरबीई संख्या 94 / 2023 के अनुसार, "सभी अवकाश आवेदन केवल एचआरएमएस के अवकाश मॉड्यूल के माध्यम से संसाधित किए जाएँगे और 01 अगस्त, 2023 से अवकाश की मैनुअल प्रक्रिया बंद कर दी गई है। यह संभावना है कि इस प्रकार की अनियमितताएँ किसी अन्य रेलवे इकाई में हो सकती हैं।

एक सुधार प्रणाली पत्र जारी करने की सलाह दी जाती है कि कर्मचारी की किसी भी प्रकार की छुट्टी आरबीई- 94 / 2023 के अनुसार केवल HRMS पर ही स्वीकृत किया जाए। यदि कोई छुट्टी मैनुअल रूप से स्वीकृत की जानी है, किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति में जैसे इंटरनेट उपलब्ध न होना, एचआरएमएस पोर्टल बंद होना या अन्य तकनीकी समस्याएँ आदि, तो एचआरएमएस पर ली गई छुट्टी को नियमित करने की जिम्मेदारी संबंधित अनुभाग प्रभारी की होगी।

उपरोक्त प्रणाली सुधार सुझावों का कड़ाई से पालन किया जाए। जारी किए गए निर्देशों की एक प्रति सूचना एवं अभिलेख हेतु इस कार्यालय को भेजी जाए।

इस विषय पर वरिष्ठ उप महाप्रबंधक/पूँर/हाजीपुर का अनुमोदन प्राप्त है।

(अमित कुमार सिंह)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/लेखा
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

*

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No - 16/2025



Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

No. ECR/Vig./System Improvement/50
GM (P)

Date: 04.08.2025

**East Central Railway,
Hajipur.**

Re a : SIL regarding non-debiting of leave from leave account.

During investigation of a preventive check of a station in a Division of ECR on the aspect of irregularities in station attendance register, it was found that an employee was on sick leave for certain period during the year 2024. Sick memo and fit certificate were issued by Railway doctor. After providing fit memo, the concerned supervisor allowed the employee to join his/her duty and instructed him to apply leave to his/her competent authority. But the said employee did not apply the same leave and resume his duty at station. As such, deduction of leave for that period was not debited from his/her leave account till the checking by the vigilance office. As per Railway Board's RBE No.94/2023 stipulates that *"all leave application shall be processed only through Leave Module of HRMS and manual processing of leave shall be discontinued w.e.f. 01st August, 2023.* It is possibility that this type of irregularities may be occurred in another Railway unit.

It is advised to issue an SIL regarding any kind of leave of employee is to be sanctioned as per RBE- 94/2023 on HRMS only. If any leave is to be sanctioned manually; in any unforeseen circumstances i.e. internet not available, HRMS Portal shut down and other technical issues etc., it is the responsibility of concerned section in-charge for regularizing of availed leave on HRMS.

The above System improvement suggestions may be implemented scrupulously. A copy of instructions issued may be sent to this office for information and record.

This is issued with the approval of SDGM/ECR/HJP

(Amit Kumar Singh)

Dy. Chief Vigilance Officer(A)
for General Manager/Vigilance

*

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.-17/2025



कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर - 844101

सं.-ई.सी.आर./सतर्कता/प्रणाली सुधार/50 दिनांक: 06.08.2025
प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल,
हाजीपुर।

विषय: फर्जी नियुक्ति रोकने हेतु क्यूआर कोड युक्त पहचान पत्र
उपलब्ध कराने के संबंध में।

संदर्भ:- 2025/V5/ECR/RRB/03, दिनांक 25.03.2025. (रेल
भवन, नई दिल्ली)

फर्जी नियुक्ति से बचने के लिए क्यूआर कोड वाले पहचान पत्र प्राप्त करने के संबंध में दैनिक भास्कर, नई दिल्ली, दिनांक 16.12.2024 में एक लेख प्रकाशित हुआ है। रेलवे बोर्ड द्वारा इस कार्यालय को संबंधित मामला भेज दिया गया है।

आरपीएफ/एसईई द्वारा कुछ फर्जी पहचान पत्र और पोस्टिंग पत्र एकत्र किए गए हैं। फर्जी पहचान का उपयोग करने वाले कुछ अजनबियों के खिलाफ केस संख्या 157/2024 और 158/2024 के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया गया है।

इस संबंध में, यह सलाह दी गई है कि कृपया पूर्व मध्य रेल के सभी डिवीजनों/इकाइयों को एक पत्र प्रसारित करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पूरे पूर्व मध्य रेल में क्यूआर कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं और तदनुसार इस कार्यालय को सूचित किया जाए।

इस विषय पर वरिष्ठ उप महाप्रबंधक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(अमित कुमार सिंह)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/लेखा
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

*

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No - 17/2025



Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

No. ECR/Vig./System Improvement/50
Principal Chief Personnel Officer
East Central Railway,
Hajipur

Date: 06.08.2025

Sub.:- Reg. providing identity cards with QR code to prevent fake appointment.

Ref: - 2025/V5/ECR/RRB/03, dated 25.03.2025. (Rail Bhavan, New Delhi)

An article regarding getting identity card with QR code to prevent fake appointment has been published in Dainik Bhaskar, New Delhi, dated 16.12.2024. The concern matter has been forwarded to this office by Railway Board.

Some fake identity cards & posting letters have been collected by RPF/SEE. The criminal case has been registered against some of strangers who were using fake identities vide Case No.157/2024 & 158/2024.

In this regard, it has been advised that kindly circulate a letter to all divisions / units of ECR to ensure that identity cards with QR codes have to be issued in entire ECR & intimate to this office accordingly.

It is approved by the competent authority.

(Amit Kumar Singh)

Dy. Chief Vigilance Officer(A)
for General Manager/Vigilance

*

***** (99) *****

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.-18/2025



कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर - 844101

सं.-ई.सी.आर./विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक: 11.08.2025

**प्रधान मुख्य यांत्रिक अभियंता
पूर्व मध्य रेल,
हाजीपुर।**

विषय : कर्मचारी के ईपीएफ के भुगतान के संबंध में बिल भुगतान के समय, फर्म द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के सत्यापन के लिए भविष्य निधि संगठन विभाग (भारत) को उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार कर्मचारी के वास्तविक कार्य के करने के संदर्भ में प्रणाली सुधार।

सतर्कता के मामले की जाँच के दौरान, यह ध्यान दिया गया कि एक फर्म ने ईपीएफ के भुगतान के संबंध में कर्मचारी के प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन डिपार्टमेंट (भारत) को गलत दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। फर्म द्वारा प्रस्तुत ईपीएफ दस्तावेजों में कर्मचारियों के नाम वास्तव में उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार कर्मचारियों से भिन्न थे। बिल का भुगतान रेलवे अधिकारियों द्वारा उपस्थित रजिस्टर और फर्म द्वारा प्रस्तुत ईपीएफ दस्तावेजों में कर्मचारियों के नाम की पुष्टि किए बिना किया गया था। सतर्कता जांच के दौरान संज्ञान में आए अनियमितताओं के बाद, फर्म ने ट्रेनों में वास्तविक काम करने वाले संविदात्मक कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को रुपये 1,87,012.00 का भुगतान किया।

इसलिए यह सलाह दी जाती है कि बिल भुगतान के समय, फर्म द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को दिए गये वेबसाइट पते के साथ टीआरआरएन (अस्थायी रिटर्न संदर्भ संख्या) के माध्यम से सत्यापित किया जाना चाहिए। वेबसाइट का पता नीचे है:-

<https://unifiedportal-emp.epfindia.gov.in/publicPortal/no-auth/misReport/home/loadSearchTrnHome>

प्रधान मुख्य यांत्रिक अभियन्ता/पूरे से अनुरोध किया जाता है कि वह उपरोक्त मुद्दों के संबंध में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (भारत) को ईपीएफ के भुगतान के मुद्दे पर ध्यान देने और इस संबंध में उपयुक्त दिशानिर्देश जारी करें।

इस संबंध में की गई कार्रवाई, कृपया इस कार्यालय में जल्द से जल्द अवगत कराई जा सकती है।

यह वरिष्ठ उप महाप्रबंधक/पूरे के अनुमोदन के साथ जारी किया गया है।

(आशुतोष झा)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/विद्युत
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No - 18/2025



Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

No. ECR/Vig/System Improvement/50

Dated 11-08-2024

PCME

East Central Railway
Hajipur.

Sub : System Improvement regarding verification of submitted documents by firm at the time of bill payment regarding payment of EPF to the Employee's Provident Fund Organisation department (India) for the staff actually worked as per attendance register

During investigation of Vigilance case, it came to notice that a firm had submitted the false documents regarding payment of EPF to the Employee's Provident Fund Organisation department (India). The names of staff in the submitted EPF documents by firm were different from staff actually worked as per attendance register. Bill payment was done by Railway officials without verifying the name of the staff in attendance register and EPF documents submitted by firm. After the irregularities raised during vigilance check, firm paid the amount of Rs.1,87,012.00 to EPFO for the contractual staff actually worked in the trains.

It is therefore advised that, at the time of bill payment, EPFO documents submitted by Firm should be got verified through website address with TRRN (Temporary Return Reference Number) mentioned. The website address is as below:-

<https://unifiedportal-emp.epfindia.gov.in/publicPortal/no-auth/misReport/home/loadSearchTrrnHome>

PCME/ECR is requested to look into the issue of payment of EPF to the Employee's Provident Fund Organisation department (India) with respect to the issues raised above and issue suitable guidelines in this regard.

Action taken in this regard may please be apprised to this office at the earliest.

This has been issued with the approval of SDGM/ECR

(Ashutosh Jha)

Dy. Chief Vigilance Officer/Elect.
for General Manager/Vigilance

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.-19 / 2025



कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर - 844101

सं.-ई.सी.आर./सतर्कता/प्रणाली सुधार/50

दिनांक: 20.08.2025

प्रमुख मुख्य इंजीनियर
पूर्व मध्य रेल,
हाजीपुर।

विषय: स्क्रेप सामग्री हेतु लॉट रजिस्टर का रख-रखाव के संबंध में।

सतर्कता दल द्वारा धनबाद मंडल के अंतर्गत एक SSE/Works यूनिट में स्क्रेप सामग्री की नीलामी/बिक्री हेतु लॉट बनाने में पाई गई अनियमितताओं पर किए गए निवारक जाँच के आधार पर एक मामले की विस्तृत जाँच के उपरांत यह पाया गया कि एम.एस. स्क्रेप लॉट के निस्तारण हेतु सेल डिपो/धनबाद को प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय यूनिट द्वारा वास्तविक लॉट वजन से कम मात्रा रिपोर्ट की गई, जबकि तथ्य यह था कि उक्त लॉट का निर्माण स्क्रेप का विधिवत तोलकर किया गया था, जिसे स्टॉक होल्डर एवं स्टॉक वेरिफायर द्वारा सत्यापित और प्रमाणित भी किया गया था। यह अंतर इसलिए उजागर हुआ कि लॉट से संबंधित वजन विवरण की एक पृष्ठ का समावेश नहीं किया गया था।

इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि यूनिट द्वारा भंडार कोड, पैरा S-2410 के अनुसार कोई लॉट रजिस्टर संघारित नहीं किया गया था। यदि नीलामी हेतु प्रकाशित कैटलॉग को लॉट रजिस्टर से मिलान कर लिया जाता, तो इस प्रकार की विसंगतियाँ आसानी से चिन्हित की जा सकती थीं।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में यह सलाह दी जाती है कि सभी संबंधितों को उपयुक्त निर्देश जारी किए जाएँ ताकि स्क्रेप सामग्री हेतु लॉट रजिस्टर का संधारण अनिवार्य रूप से किया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि लॉट रजिस्टर में अंकित मात्रा और ई-ऑक्शन बिक्री/प्रकाशित नीलामी कैटलॉग में अंग्रेषित मात्रा में कोई अंतर न रहे।

इस विषय पर निर्गत प्रणाली सुधार पत्र इस कार्यालय को आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रस्तुत किया जाए।

इस विषय पर वरिष्ठ उप महाप्रबंधक/पूमरे/हाजीपुर का अनुमोदन प्राप्त है।

(उदयाचल कुमार)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी(भंडार)

कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No - 19/2025



Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

No. ECR/Vig./System Improvement/50

Date: 20.08.2025

PCE

**East Central Railway,
Hajipur.**

Sub : Maintenance of Lot register for scrap materials.

Following a detailed investigation of a case based on the preventive check conducted by vigilance team in one of SSE/Works unit under DHN division regarding irregularities in formation of lot of scrap materials for auction/sale. It has been observed that, while submitting the proposal for disposal of the MS Scrap lot to the Sale Depot/DHN, **the unit reported a quantity lesser than the actual lot weight, despite the fact that the lot had been made after proper wehment of the scrap, duly verified and authenticated by the stock holder and stock verifier.** The said discrepancy has been found to have arisen on account of omission of one of page of weightment particulars pertaining to the lot.

Further, it was also observed that no Lot Register was found to be maintained by the unit in terms of Stores Code, Para S-2410. **Such discrepancies could easily be identified if the auction catalogue published for the lot is cross checked with Lot Register.**

In view of the above, it is advised that suitable instruction may please be issued to all concerned to maintain a Lot register for scrap materials, and **it must be ensured that there is no variation between the quantity indicated in the Lot Register and the quantity forwarded for e- auction sale/published auction catalogue.**

The System Improvement Letter issued on this matter may please be submitted to this office for further necessary action.

This has been issued with approval of SDGM/ECR/HJP.

(Udyachal Kumar)

Dy. Chief Vigilance Officer(Stores)
For General Manager/Vigilance

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.-20 / 2025



कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर - 844101

सं.-ई.सी.आर./सतर्कता/प्रणाली सुधार/50

दिनांक: 28.08.2025

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण पटना

सभी विभागाध्यक्ष/पूमरे

मंडल रेल प्रबंधक,

पूमरे/डीडीयू, धनबाद,

दानापुर, सोनपुर, समस्तीपुर

विषय: निर्धारित प्रपत्र में बैंक गारंटी जमा करने के संबंध में प्रणाली सुधार ।

पूर्व मध्य रेल के एक मंडल में निवारक जाँच के दौरान पाया गया कि एजेंसी द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी निर्धारित प्रारूप में नहीं थी। अनुबंध की अवधि के दौरान और बाद के चरणों में भी किसी भी कानूनी या अन्य दायित्वों से बचने के लिए निर्धारित प्रारूप में बैंक गारंटी प्रस्तुत करना आवश्यक है।

बैंक गारंटी का निर्धारित प्रारूप भारतीय रेलवे लेखा संहिता खंड I के परिशिष्ट X और GCC 2022 के अनुलग्नक VI A में दिया गया है।

अतः यह सुझाव दिया जाता है कि ठेका प्राप्त करने हेतु एजेंसी द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत की जाए, अर्थात् लेखा संहिता खंड I के परिशिष्ट X के अनुसार या अनुबंध की नवीनतम सामान्य शर्तों (कार्य/सेवाएँ) के अनुसार या इस संबंध में रेलवे बोर्ड द्वारा जारी नवीनतम दिशानिर्देशों (यदि कोई हो) के अनुसार ही प्रस्तुत की जाए।

उपरोक्त पर वरिष्ठ उप महाप्रबंधक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(अमित कुमार सिंह)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/लेखा
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No - 20/2025



Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

No. ECR/Vig./System Improvement/50

Date: 28.08.2025

**CHIEF ADMINISTRATIVE OFFICER/ECR/MHX/PNBE
PFA, PCPO, PCCM, PCE, PCEE, PCMD, PCME, PCMM,
PCOM, PCSC, PCSTE
EAST CENTRAL RAILWAY, HAJIPUR
DIVISIONAL RAILWAY MANAGER
EAST CENTRAL RAILWAY, DDU/DHN/DNR/SEE/SPJ**

Sub : System Improvement regarding submission of Bank
Guarantee in prescribed proforma.

During Preventive Check in a division of East Central Railway, it is found that the Bank Guarantee as submitted by an agency was not in prescribed proforma. Submission of Bank Guarantee in prescribed proforma is essential to avoid any legal or other obligations during the period of contract and even at the later stages too.

The prescribed format of Bank Guarantee is given in Appendix X of Indian Railway Accounts Code Vol. I. as well as Annexure VI A of GCC 2022.

Therefore, it is suggested that the Bank Guarantee, as submitted by the agency for awarded contract, should be submitted in the prescribed proforma i.e. as per Appendix X of Accounts Code Vol. I or as per the latest General condition of Contract (Works/ Services) or as per the latest guidelines issued by the Railway Board in this regard (if any).

This is issued with the approval of SDGM/ECR/HJP.

(Amit Kumar Singh)

Dy. Chief Vigilance Officer(A)
for General Manager/Vigilance

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.-22/2025



कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर - 844101

सं.-ई.सी.आर./सतर्कता/प्रणाली सुधार/50

दिनांक: 03.09.2025

प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक

पूर्व मध्य रेल,

हाजीपुर।

विषय: सामग्री के निरीक्षण के संबंध में प्रणाली में सुधार।

पूर्व मध्य रेल के एक मंडल में विटर जैकेट की खरीद से संबंधित एक मामले की जाँच के दौरान, यह पाया कि निविदा और संबंधित खरीद आदेश दोनों में "GC और TC के अनुसार TPI द्वारा निरीक्षण" के रूप में निरीक्षण खंड शामिल था। रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2024/RS(G)/164/Vig/11 दिनांक 11.07.2024 के अनुसार, निरीक्षण एजेंसी द्वारा कोई प्रयोगशाला परीक्षण नहीं किया जाता है और गारंटी प्रमाणपत्र और परीक्षण प्रमाणपत्र (GC&TC) और/या दृश्य निरीक्षण के आधार पर निरीक्षण को अपवाद के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए, न कि एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में, जिसे केवल असाधारण परिस्थितियों में ही उपयोग किया जाना चाहिए।

इस संबंध में, रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या: 2017/Trans/01/Policy/Pt&S दिनांक 16.08.2018 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जो सामग्री के निरीक्षण के संबंध में मौजूदा निर्देशों को समेकित करता है। मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं:-

- (i) 5 लाख से अधिक के आदेशों के लिए TPI द्वारा सामग्रियों का पूर्व-निरीक्षण अनिवार्य है।
- (ii) हालांकि, ISI चिह्नित उत्पादों के लिए, यदि आदेश किसी ISI प्रमाणित निर्माता को दिया जाता है, तो सामग्री को फर्म के WTC पर स्वीकार किया जा सकता है।

EAST CENTRAL RAILWAY

SIL No - 22/2025



Office of the
General Manager (Vig.)
Hajipur - 844101

No. ECR/Vig./System Improvement/50

Date: 03.09.2025

PCMM

**East Central Railway,
Hajipur,**

Sub : System improvement regarding inspection of materials

During the course of investigation of a case of pertaining purchase of winter jackets in one of the divisions of East Central Railway, it has been observed that both the tender and the corresponding purchase order incorporated the inspection clause as "*Inspection by TPI against GC & TC*". As per Rly. Board letter 2024/RS(G)/164/Vig/11 dt. 11.07.2024, no laboratory tests are conducted by the inspecting agency and Inspection against Guarantee Certificate and Test Certificate (GC&TC) and/or Visual Inspection should be an exception rather than a norm which should be used sparingly only in extraordinary circumstances.

In connection to this, attention is drawn towards the Rly. Board Letter No.: 2017/Trans/01/Policy/Pt-S dtd. 16.08.2018, which consolidates the existing instructions regarding inspection of material. The key provisions are as follows:-

- (i) Pre-Inspection of materials by TPI is Mandatory for orders above Rs. 05 Lakh.
- (ii) However for ISI marked products, if order is placed on an ISI certified manufacturer, the material can be accepted on firm's WTC.

- (iii) अन्य मामलों में, निविदा स्तर पर कंसाइनी निरीक्षण पर विचार किया जा सकता है, जिसकी आवश्यकता को निविदा स्वीकार करने वाले प्राधिकारी (JAG से नीचे नहीं) के अनुमोदन के साथ विधिवत विचार और न्यायोचित ठहराया जा सकता है। अनुबंध के बाद के चरण में निरीक्षण खण्ड में बदलाव के लिए, पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट संशोधनों को मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी (SAG से नीचे नहीं) का अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए, जिसकी आवश्यकता को विधिवत विचार और न्यायोचित ठहराया जा सकता है।
- (iv) JS/SS स्टोर अधिकारियों के स्वतंत्र प्रभार के रूप में काम करने के मामलों में, कंसाइनी निरीक्षण के लिए अनुमोदन संबंधित ADRM/ CWM से प्राप्त किया जा सकता है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, रेलवे बोर्ड के उपरोक्त पत्रों में शामिल दिशानिर्देशों का व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने के लिए कृपया उचित निर्देश जारी किए जाएं। इससे निविदाओं और अनुबंधों में निरीक्षण प्रावधानों को शामिल करने को मानकीकृत करने में मदद मिलेगी, और यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी परिवर्तन/संशोधन निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया जाए। इस संबंध में की गई कार्रवाई रिपोर्ट को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए इस कार्यालय में प्रस्तुत किया जाए।

इस विषय पर वरिष्ठ उप महाप्रबंधक/पूमरे/हाजीपुर का अनुमोदन प्राप्त है।

(उदयावल कुमार)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/भंडार
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

“सबसे अच्छा मनुष्य वह है,
जो अपनी प्रगति के लिए
सबसे अधिक श्रम करता है।”

— सुकरात

- (iii) In other cases, consignee inspection can be considered at the tender stage, duly deliberating and justifying the need with approval of Tender Accepting Authority (not below JAG) For change in inspection clause at the post contract stage, approval of authority competent to approve post contract amendments (not below SAG) must be obtained duly deliberating and justifying the need.
- (iv) In cases of JS/SS stores officers working as independent in charges, approval for consignee inspection may be obtained from ADRM/CWM concerned.

In view of above, appropriate instructions may please be issued to ensure wide circulation of guidelines incorporated in the Rly. Board letters cited above. This will help standardize the incorporation of inspection clauses in tenders and contracts, and ensure that any deviations/amendments thereto may be made in accordance with prescribed norms. Action taken report in this regard may please be submitted to this office for further necessary action.

This has been issued with the approval of SDGM/ECR/HJP.

(Udyachal Kumar)

Dy. Chief Vigilance Officer/Stores
for General Manager/Vigilance

" It is the Duty of all leading men,
whatever their persuasion or party,
to safeguard the Dignity of India."

— **Mahatma Gandhi**

पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.-23/2025



कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर - 844101

सं.-ई.सी.आर./सतर्कता/प्रणाली सुधार/50

दिनांक: 09.09.2025

महाप्रबंधक/लेखा एवं महाप्रबंधक/कार्मिक

पूर्व मध्य रेल,

हाजीपुर।

विषय: स्पाउस ग्राउण्ड स्थानान्तरण के लिए प्राप्त आवेदनों की प्राथमिकता सुनिश्चित करने हेतु एकसमान निर्देश जारी करने के संबंध में।

पूर्व मध्य रेल के एक इकाई में सतर्कता जॉच के दौरान पाया गया कि वैसे कर्मचारी, जिन्होंने स्पाउस ग्राउण्ड के आधार पर स्थानान्तरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किये थे, उनके आवेदन को प्राथमिकता नहीं देते हुए स्वयं के अनुरोध पर प्राप्त अन्य आवेदनों पर विचार किया गया। कभी-कभी इनके आवेदन को किसी कारण से अस्वीकार कर दिया जाता है अथवा प्राथमिकता क्रम का हवाला देते हुए जान-बूझकर विलंब किया जाता है। जबकि, रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों यथा आरबीई नं. 23/2010 दिनांक 02.02.2010 आदि के अनुसार इस प्रकार के स्थानान्तरणों में प्राथमिकता निर्धारित करते हुए स्थानान्तरण सुनिश्चित किये जाने के निर्देश हैं। इस प्रकार, उक्त रेलवे यूनिट में स्पाउस ग्राउण्ड के आधार पर स्थानान्तरण हेतु लंबे समय से प्रतीक्षारत कर्मचारियों का समयबद्ध स्थानान्तरण सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है।

उपरोक्त के आलोक में सुझाव दिया जाता है कि पूर्व मध्य रेल में होने वाले उपरोक्त अनियमितता को शून्य करने हेतु रेलवे बोर्ड के नवीनतम दिशा-निर्देशों के तहत स्पाउस ग्राउण्ड के आधार पर स्थानान्तरण के लिए प्राप्त आवेदनों को स्वयं के आधार पर स्थानान्तरण हेतु प्राप्त आवेदनों के बीच एक समुचित प्राथमिकता संख्या निर्धारित करते हुए एक समान दिशा-निर्देश जारी किया जाये ताकि इस प्रकार के स्थानान्तरण आवेदनों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जा सके।

उपरोक्त पर वरिष्ठ उप महाप्रबंधक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(अमित कुमार सिंह)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/लेखा
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

कविता

सतर्कता— हमारी साझा जिम्मेदारी

✍ जूही बाला कर्ण, लेखाकार / बजट / लेखा

रोक ले उन होनियों को,
हो परे, जो इन्द्रियों के बोध से,
वह मानसिक अवस्था है, सतर्कता !!

मैं—तुम की सीमाओं से इतर
संकीर्णताओं की बेड़ियों से ऊपर
है जीवन रेखा रेलवे, भारत की
अतः सुरक्षा की जिम्मेदारी इसकी
है साझा हम सभी की !!

लुटेरे—उचककों से मिलती आहें
संग वे भी हैं, जो घर के भेदी लंका ढाए, पर
वित्तीय एवं विभागीय अनियमितताओं को,
धोखाधड़ी एवं गबन करने वाले भेदियों को,
खाल पहने भेड़ियों को
सतर्कता संगठन है दबोचता!!

बोगी—कोच में छिपे मानसिक रोगी दूँहें अपना शिकार
शौचालय, गलियारों आदि में दुबककर
सूनापन का लाभ उठाकर ऐसा करते वे अपना अंग उघार
जिससे नग्नता को भी हो स्वयं पर धिक्कार !!

पर सभी पीड़ितों संग, सुनो बालाओं मत घबराओ
धीर धरो लो लंबी सांस
सुरक्षा एवं सतर्कता संगठन संग रेल परिवार ने
किया आपके लिए कुछ खास
139, रेल मदद, अमानत, मेरी सहेली
सीसीटीवी आदि सहित डिजिटलीकरण
द्वारा टूटेगी ना तेरी आस!!

है पटरियों सीधी रेल की
वक्रताओं को संभालती,
तो हम भी क्यों ना हो तटस्थ
विचार रखकर नेक और मस्त!!

आओ सब मिल जोड़े हाथ
बने जंजीर सो लोह—इस्पात
ताकि भ्रष्टाचार रह जाए दूर से निहारती!!

कविता

सतर्कता— सबकी साझा जिम्मेदारी

✍ महादेव कुमार मंडल, मुसतानि/भण्डार

सतर्कता है दीपक जैसी,
जो अंधियारों को हरती है!
ईमानदारी की राह दिखाकर,
न्याय की लौ को भरती है!!

हे देव सतर्कता शब्द नहीं बस
जीवन जीने का है यह आचरण!
हर कर्म में हो पारदर्शिता,
यही तो है सच्चा अनुशासन!!

जो हम सब मिल लें जिम्मेदारी,
तो भ्रष्ट रहे नहीं कोई व्यवस्था!
सच्चाई की हो नींव मजबूत,
और टूटे कभी ना जन की आस्था!!

ना केवल कर्तव्य हो मेरा,
ना केवल हो बात तुम्हारी!
सतर्कता की बात चले तो
हो सबकी साझा जिम्मेदारी!!

सबका अगर प्रयास हो पूरा
फिर कोई काम ना रहे अधूरा
तो फिर आओ सब मिलकर के
करें भ्रष्टाचार पर चोट करारी
सतर्कता साझा जिम्मेदारी
सबकी साझा जिम्मेदारी।

*

स्वत्व त्यजक

यह बुलेटिन केवल दिशा-निर्देश प्रदान करने के प्रयोजन हेतु एवं कार्यालय उपयोग के लिए है। इसे किसी भी कार्यालय संदर्भ में प्राधिकार के रूप में उद्धृत नहीं किया जाना चाहिए और न ही इसे कोर्ट में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कोई भी संदर्भ, जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, हमेशा विषय के मूल आदेशों से संदर्भित किया जाना चाहिए।

Disclaimer

This bulletin is purely for the purpose of providing guidelines and is intended for official use only. It should not be quoted as authority in any official reference or produced in a Court. A reference, wherever necessary should always be made to the original orders on the subjects.

Highest Railway Bridge in the World "Chenab"



रेल निकेतन, महाप्रबंधक कार्यालय, पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर



सतर्कता संगठन

पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर

पारदर्शिता हेतु सतत् प्रयासरत एवं कटिबद्ध